₹ 20

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

नवम्बर 2013

- सच्चे ईश्वरवाद की विशेषताएं
  –मौलाना जलालुद्दीन उमरी
- इस्लाम में नैतिकता
  –डॉ॰ फ़रहत हुसैन

- आदमी और पंच तत्व –डॉ॰ सुरेन्द्र अज्ञात
- सहशिक्षा, पर्दा और इस्लाम –क़ैसर हुसैन
- प्रेस के काले क़ानून –संपादन प्रभाग

بسم الله الرحمن الرحيم

''नेकी यह है कि
अल्लाह की मुहब्बत में
अपना दिलपसन्द माल
रिश्तेदारों और यतीमों पर,
मिस्कीनों और मुसाफ़िरों पर,
मदद के लिए हाथ फैलाने
वालों पर और ग़ुलामों की
रिहाई पर ख़र्च करे ।''

(क़ुरआन)

A WELL WISHER
MUMBAI

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 23 अंक 5 नवम्बर 2013

हमने इस घर (काबा) को लोगों के लिए केन्द्र और शांति की जगह ठहराया था और लोगों को आदेश दिया था कि इबराहीम जहां इबादत के लिए खड़ा होता है उस जगह को स्थायी रूप से नमाज़ की जगह बना लो। –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

09818799223, 011-26949430

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 20/- विशेषांक रु० 30/-

वार्षिक रु० 220/-, दो वर्ष 425/-

पांच वर्ष 1000/-, आजीवन रु० 5000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–100 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–35 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

ख़ुदा ख़ैर करे

स्वार्थ में डूबा हर एक मन है ख़ुदा ख़ैर करे
अब कहां प्रेम का बंधन है ख़ुदा ख़ैर करे

फूल हैं सूखे पड़े कलियां मुरझाई हुईं
झाड़-झंखाड़ पर यौवन है ख़ुदा ख़ैर करे

जो हैं निर्दोष नज़र आते हैं दोषी इसमें
वाह क्या न्याय का दर्पण है ख़ुदा ख़ैर करे

हानि और लाभ से जनता का नहीं कुछ मतलब
सबको प्रिय राजसिंहासन है ख़ुदा ख़ैर करे

हम इसी लोक की चिंता में हैं कुछ ऐसे फंसे
दूर परलोक का चिंतन है ख़ुदा ख़ैर करे

नाश हो देश का या जनता का हो सत्यानाश
सबका उद्देश्य बस अब धन है ख़ुदा ख़ैर करे

धर्म से आज जो हम दूर हुए जाते हैं
अति कठिन धर्म का पालन है ख़ुदा ख़ैर करे

लोक-लज्जा है तनिक और न ज़रा ईश्वर-भय
वासनाओं में घिरा मन है ख़ुदा ख़ैर करे

शांति, सुख-चैन से इस युग का है मानव वंचित
एक नहीं सैकड़ों उलझने हैं ख़ुदा ख़ैर करे

शत्रुता, द्वेष, कलह ने वह जमाया है रंग
भाई ही भाई का दुश्मन है ख़ुदा ख़ैर करे

पाप ही पाप का भंडार है अब अपना समाज
अब कठिन पुण्य का दर्शन है ख़ुदा ख़ैर करे

जिस तरफ़ देखिए फैली है वह गुंडागर्दी
कहीं शासक हैं न शासन है ख़ुदा ख़ैर करे

धर्म और धर्म की शिक्षा से है मानो घृणा
ईश्वरीय नियमों का खंडन है ख़ुदा ख़ैर करे

यूं ही दानवता से मानवता भी सहमी-सहमी
उस पर परमाणु-परीक्षण है ख़ुदा ख़ैर करे

साम्प्रदायिक को भड़का कर उठाता है जो लाभ
नेता इस देश का दुश्मन है ख़ुदा ख़ैर करे

किस तरह जीते हैं मर-मर के बताएं कैसे
जो भी दुर्भाग्य से निर्धन है ख़ुदा ख़ैर करे

हर दुराचार का दुष्कर्म का दिखलाए जो मार्ग
नाम उसका दूरदर्शन है ख़ुदा ख़ैर करे

कहीं संसार में अब शेष नहीं शांति 'क़मर'
कैसा दानवता का नर्तन है ख़ुदा ख़ैर करे।

● **'क़मर' रामनगरी**



कहां क्या है ?

खुदा ख़ैर करे	–'क़मर' रामनगरी	3
कुरआन ज्योति		5
मध्य-मार्ग अपनाना (हदीस मंजरी)		6
धूमिल न करें मुसलमानों की छवि (संपादकीय)		7
अल्लामा इक़बाल साम्प्रदायिक नहीं थे (आपके पत्र)		9
इस्लाम में नैतिकता की अनिवार्यता (आस्था)	–डॉ॰ फ़रहत हुसैन	13
इस्लाम में समानता का अधिकार	–मौलाना जलालुद्दीन उमरी	15
सुरक्षित कहां ? (लघुकथा)	–डॉ॰ इन्दिरा अग्रवाल	16
सहशिक्षा, पर्दा और इस्लाम (विचारणीय)	–क़ैसर हुसैन	17
पत्रकारिता-दमन के काले क़ानून (अतीत के झरोखे से)	–संपादन प्रभाग	21
सच्चे ईश्वरवाद की विशेषताएं (विशेष आयोजन)	–मौलाना जलालुद्दीन उमरी	26-27
अल्लाह की महानता	–मुनव्वर हुसैन	35
क्या आदमी पांच तत्वों का पुतला है ? (विमर्श)	–डॉ॰ सुरेन्द्र अज्ञात	39
जीवन में उजाला हो (कविता)	–अभिराम सत्यज्ञ जयशील	42
सरकार चाहे तो घट सकती है महंगाई (फेसबुक उवाच)	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	43
कथा कुंज का राजकुमार (कहानी)	–डॉ॰ सलीम ख़ां	45
सौंदर्य प्रसाधनों के इस्तेमाल के कुप्रभाव	–विद्या प्रकाश	49
हानिकारक है फास्ट फूड का सेवन	–उषा जैन 'शीरी'	50

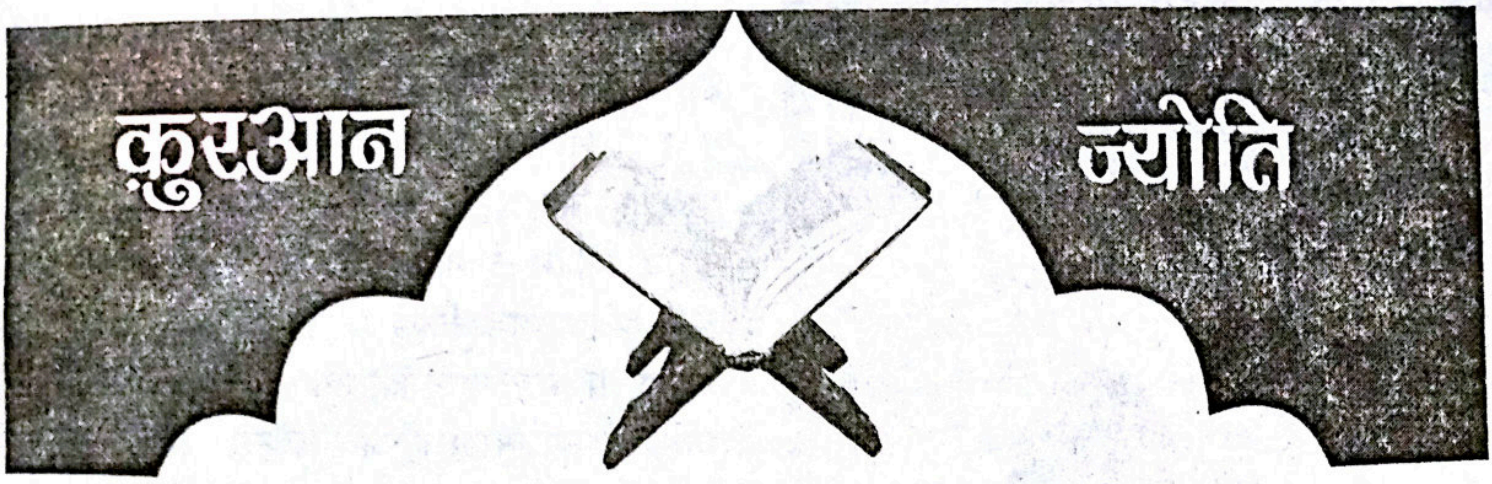

(38) ऐसा है तो तुम्हें मालूम हो कि दुनिया की ज़िन्दगी की यह सब सामग्री आख़िरत में बहुत थोड़ी निकलेगी ।[39] (39) तुम न उठोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक़ सज़ा देगा[40], और तुम्हारी जगह किसी और गिरोह को उठाएगा[41] और तुम अल्लाह का कुछ भी न बिगाड़ सकोगे, उसे हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है । (40) तुमने अगर नबी की सहायता न की तो कुछ परवाह नहीं, अल्लाह उसकी सहायता उस समय कर चुका है जब काफ़िरों (अधर्मियों) ने उसे निकाल दिया था, जब वह केवल दो में का दूसरा था, जब वे दोनों ग़ार (गुफ़ा) में थे । –क़ुरआन, 9 : 38,40

39. इसके दो अर्थ हो सकते हैं–एक यह कि आख़िरत का असीम जीवन और वहां की अनगिनत व असीम सामग्री को जब तुम देखोगे तब तुम्हें मालूम होगा कि दुनिया की ज़िन्दगी की थोड़ी-सी अवधि में रसास्वादन की जो बड़ी-बड़ी संभावनाएं तुम्हें मिली हुई थीं और अधिक से अधिक ऐश के जो सामान तुम्हें मिले हुए थे, वे इन अथाह संभावनाओं और इन नेमतों और विशाल सल्तनत के मुक़ाबले में कुछ भी मूल्य नहीं रखते और उस समय तुमको अपनी भविष्य के परिणाम से असावधानी बरतने और संकीर्ण दृष्टि पर अफ़सोस होगा कि तुमने क्यों हमारे समझाने के बाद भी दुनिया के सामयिक और तुच्छ लाभ के लिए अपने आपको उन शाश्वत और बड़े लाभों से वंचित कर लिया । दूसरे यह कि दुनिया की ज़िन्दगी की पूंजी आख़िरत में काम आने वाली चीज़ नहीं है । यहां तुम भले ही कितनी सामग्री जुटा लो, मौत की आख़िरी हिचकी के साथ हर चीज़ से हाथ धोना पड़ेगा और मौत की सीमा के उस पार जो दुनिया है, वहां इनमें से कोई चीज़ भी तुम्हारे साथ न होगी, वहां इसका कोई हिस्सा अगर तुम पा सकते हो तो केवल वही जिसे तुमने अल्लाह की प्रसन्नता पर क़ुरबान किया हो और जिसकी मुहब्बत पर तुमने अल्लाह और उसके दीन की मुहब्बत को प्रमुखता दी हो ।

40. इसी से यह नियम बना है कि जब तक आम एलान (युद्ध संबंधी सेवाओं के लिए आम बुलावा) न हो या जब तक किसी क्षेत्र की मुस्लिम आबादी या मुसलमानों के किसी गिरोह को जिहाद के लिए निकलने का आदेश न दिया जाए, उस समय तक तो जिहाद 'फ़र्ज़ किफ़ाया' रहता है । अर्थात अगर कुछ लोग उसे अदा करते रहें तो बाक़ी लोगों पर से उसकी अनिवार्यता ही समाप्त हो जाती है । लेकिन जब मुसलमानों के प्रमुख की ओर से मुसलमानों को जिहाद व आम बुलावा हो जाए, या किसी विशेष गिरोह या विशेष क्षेत्र की आबादी को बुलावा दे दिया जाए, तो फिर जिन्हें बुलावा दिया गया हो, उन पर जिहाद फ़र्ज़े-ऐन (यानी हर व्यक्ति के अनिवार्य) है, यहां तक कि जो व्यक्ति किसी उचित मजबूरी के बिना न निकले, उसका ईमान तक मान्य नहीं है ।

41. अर्थात अल्लाह का काम कुछ तुम पर निर्भर नहीं है कि तुम करोगे तो होगा, वरना न होगा । वास्तव में यह तो अल्लाह की मेहरबानी और एहसान है कि वह तुम्हें अपने दीन की सेवा का सुनहरा मौक़ा दे रहा है । अगर तुम अपनी नासमझी से इस अवसर को खो दोगे तो अल्लाह किसी और क़ौम को इसका सौभाग्य प्रदान करेगा और तुम निष्फल रह जाओगे ।



मध्य-मार्ग अपनाना

● हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "निस्स्पृहता (बेनियाज़ी) एवं सम्पन्नता धन की अधिकता से प्राप्त नहीं होती बल्कि निस्स्पृहता तो मन की निस्स्पृहता है ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत हकीम बिन हिजाम (रज़ि॰) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से मांगा, तो आपने मुझे प्रदान किया । मैंने फिर आपसे मांगा, तो आपने मुझे फिर दिया । मैंने फिर मांगा, तो आपने मुझे फिर दिया और कहा : "ऐ हकीम, यह माल बहुत हरित (मनोहारी) और मधुर है, जो इसे मन की निस्स्पृहता के साथ लेता है, उसके लिए इसमें बरकत होगी । और जो कोई उसे मन के लोभ के साथ लेता है, उसके लिए इसमें कोई बरकत नहीं होती और वह उस व्यक्ति की तरह होता है जो खाता रहे किन्तु उसका पेट न भरे । और ऊपर वाला हाथ (अर्थात देने वाला) नीचे वाले हाथ से अच्छा है ।" हज़रत हकीम (रज़ि॰) कहते हैं कि मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, उसकी सौगंध जिसने आपको सत्य के साथ भेजा है, मैं आपके बाद किसी से कुछ भी नहीं लूंगा यहां तक कि दुनिया से जुदा हो जाऊं । हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) हज़रत हकीम (रज़ि॰) को बुलाया करते कि उन्हें कुछ दें, लेकिन वे उनसे कुछ लेने से इन्कार करते रहे । फिर हज़रत उमर (रज़ि॰) ने कहा: ऐ मुसलमानो, मैं तुम्हें हकीम के मामले में गवाह बनाता हूं कि मैंने 'फ़ै' (बिना लड़े-फिड़े प्राप्त शत्रु का माल) के माल में से अल्लाह ने जो उनका हिस्सा रखा है, मैं वह उन्हें पेश करता हूं और वे उसे लेने से इन्कार करते हैं । हज़रत हकीम (रज़ि॰) ने नबी (सल्ल॰) के बाद किसी से कुछ न लिया यहां तक कि उनकी मृत्यु हो गयी ।

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल-जुबैर बिन अल-अव्वाम (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "यह कि तुममें से कोई व्यक्ति अपनी रस्सियां लेकर पहाड़ पर जाए और लकड़ियों का गट्ठा अपनी पीठ पर लेकर आये और उसे बेचे । इस प्रकार अल्लाह उसके चेहरे की आभा को नष्ट होने से बचा ले, तो यह उसके लिए इससे अच्छा है कि लोगों से मांगता फिरे । वे उसे कुछ दें या न दें ।"

–बुख़ारी

● हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "हर दिन जब बन्दे प्रातःकाल उठते हैं तो अवश्य ही दो फ़रिश्ते उतरते हैं । उनमें से एक कहता है : ऐ अल्लाह, ख़र्च करने वाले को उसका बदल प्रदान कर और दूसरा कहता है : ऐ अल्लाह, अपना माल रोक रखने वाले को तबाही में डाल दे ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

धूमिल न करें मुसलमानों की छवि

पिछले कुछ दशकों से देश के मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूर्वनियोजित ढंग से ग़लतफ़हमियां और भ्रांतियां फैलायी जा रही हैं । विशेषकर स्वदेशी मीडिया ने देश के मुसलमानों की कई भ्रामक छवियां बना दी हैं । वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह के मत में एक सामान्य मुसलमान वह है, जिसके 8-10 बच्चे होते हैं, वह बनियान लुंगी पहन कर गली-मुहल्ले के नुक्कड़ पर पान की पीक थूकता नज़र आएगा । एक अन्य लेखिका तवलीन सिंह के विचार में एक सामान्य मुसलमान रूढ़िवादी होता है । मुसलमानों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवाद से जोड़ा जाता है और देश की सुरक्षा एजेंसियां भी आतंकवाद के झूठे आरोपों में निर्दोष मुसलमानों को गिरफ़्तार करके मुसलमानों की छवि को ख़राब करने में अक्सर संलग्न रहती हैं । उन्हें इस बात की ज़रा भी चिंता नहीं होती कि वे देश के एक समुदाय के साथ अत्याचार कर रही हैं । अदालतों द्वारा ऐसे मामलों में निर्दोष जनों की रिहाई का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अमेरिकी यहूदी मीडिया और कुछ बड़े मीडिया घरानों का भारतीय मुसलमानों के बारे में यह निरंतर दुष्प्रचार है कि बहुत से मुसलमान बाबर, बिन लादेन, मुल्ला उमर, मौलाना मसऊद अज़हर आदि से प्रभावित हैं और इनके द्वारा प्रचारित आतंकवाद की हिमायत करने वाले हैं । संघ परिवार के लोग तो मुसलमानों की तुलना ग़द्दारों से करते हैं और उन्हें देशप्रेमी नहीं मानते । उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट और हॉकी के मुक़ाबलों में पाकिस्तान की तरफ़दारी करते हैं । मीडिया का एक बड़ा वर्ग मुसलमानों के बारे में ऐसा मानता है कि वह ज़रा-ज़रा सी बात पर अपनी पत्नी को तलाक़ दे देता है । वह आधुनिक शिक्षा-प्रशिक्षण से दूर रहता है, परिवार नियोजन में विश्वास नहीं रखता, घेटो (एक अलग-थलग बस्ती) में रहने वाले लोगों जैसी मानसिकता रखता है, अंधेरी, बदबूदार, जर्जर बस्तियों में रहना पसन्द करता है । एक भ्रामक छवि यह भी बनायी जाती है कि मुसलमान महिलाओं को समाज में कोई हक़ नहीं देते, जिससे मुस्लिम महिलाएं लाचारी का जीवन बिताती हैं । मुस्लिम पुरुष जब चाहते हैं, शादी कर लेते हैं और जब चाहते हैं तलाक़ भी दे देते हैं और यह नहीं सोचते कि तलाक़ देने से उस औरत का क्या होगा । इन मिथ्या-प्रचारों के साथ ही मुसलमानों की एक और छवि यह बनायी जाती है कि वे सद्दाम हुसैन, तालिबान, अरब देशों के गुणगान में लगे रहते हैं, जबकि इन देशों को भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है । आम मुसलमानों के बारे में एक छवि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बनायी गयी है । इनके अनुसार सभी मुसलमान अल्पसंख्यकवादी हैं और वे चुनाव में प्रायः मुस्लिम प्रत्याशी को ही वोट देते हैं । वे यह भी मानते हैं कि मुसलमान धर्म के आधार पर मतदान करते हैं । वास्तविकता यह है कि इन सभी छवियों में से मुसलमान की एक भी छवि वास्तविक नहीं है । मुसलमान की बस एक ही छवि रही है और वह है कि वह अन्तर्हृदय से इस्लाम को चाहने वाला होता है, अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से बेपनाह मुहब्बत करता है और अपने धर्म, रसूल पर किसी भी समय मर-मिटने के लिए तैयार रहता है । लेकिन सच्ची बात यह भी है कि इन बनी-बनायी भ्रामक छवियों के आधार पर भारत में बसे मुसलमानों का आकलन नहीं हो सकता । जब देश का विभाजन हो रहा था तो उस समय

भारत के बहुलतावादी समाज के समर्थक स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से एक ऐसा झकझोर कर देने वाला भाषण दिया था कि पाकिस्तान जाने वाले अनेक लोगों ने अपने बिस्तरबंद खोल दिये थे और मौलाना के इस शेर पर लब्बैक कहा था, 'जो चला गया उसे भूल जा, हिन्द को अपनी जन्नत बना।'

मुसलमानों ने इन्तिहाई असुरक्षा और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने देश को नहीं छोड़ा। चारों ओर वैमनस्यता का आलम था। मुसलमानों में नेतृत्व का भी अभाव था। मौलाना आज़ाद की भी एक सीमा थी। वे कांग्रेस पार्टी में थे, अतः मुसलमान अपने को उपेक्षित समझने लगे और अंततः मुख्यधारा से हटते चले गये, उनका विकास छिन गया, साम्प्रदायिकता और फासीवाद की आग ने उनकी परेशानियों में लगातार इज़ाफ़ा किया। आज की स्थिति पहले से बहुत भिन्न नहीं है। अब तो मुसलमानों पर मीडिया के द्वारा दिन-प्रतिदिन हमले करवाए जाते हैं, जिसके कारण उनकी अच्छी-खासी छवि लगातार धूमिल हो रही है। भारतीय मुसलमानों के बारे में जो पूर्वाग्रही रवैया बना दिया गया है, उसके ज़िम्मेदार मुसलमान भी हैं। उन्हें चाहिए था और आज भी उन्हें यह करना चाहिए कि अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ इस्लाम और मुसलमानों के बारे में वास्तविक शिक्षाएं व बातें देशवासियों तक पहुंचाएं, ताकि भ्रम-प्रचार का अंत के साथ ही देश में दुर्भाव पैदा करने की सोची-समझी साज़िशों का भी समापन हो सके। देश के विवेकशील और मानवता के शुभचिंतकों से अपील है कि वे मुसलमानों के बारे में किये जा रहे दुष्प्रचार का अपने स्तर पर उचित जवाब देकर वैमनस्यता फैलाने की घृणित कोशिशों को विराम देने में योगदान करें। सरकार को भी चाहिए कि सद्भावना पैदा करने वाले आयोजनों को बढ़ावा और इसके लिए अवसरों की खोज करे। इस संदर्भ में केन्द्रीय गृहमंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे का प्रयास सराहनीय और स्वागतयोग्य है। उन्होंने मुसलमानों को जान-बूझकर आतंकवाद से जोड़ने की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की घिनौनी नीतियों की भर्त्सना की है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में उन्होंने निर्दोष मुस्लिम नवजवानों की गिरफ़्तारी न करने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री ने पत्र में लिखा है कि कई ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं, जिनसे पता चलता है कि मुस्लिम युवकों को पुलिस ने ग़लत तरीक़े से गिरफ़्तार किया है। उन्होंने लिखा है, "कुछ अल्पसंख्यक युवाओं को लग रहा है कि उन्हें जान-बूझकर निशाना बनाया गया और उन्हें उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया। सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बेक़सूर व्यक्ति बेवजह प्रताड़ित न हो।" गृहमंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे आतंकवाद संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए संबद्ध उच्च न्यायालयों के परामर्श से विशेष अदालतें स्थापित करें, विशेष सरकारी वकीलों की नियुक्ति करें और अन्य लंबित मामलों की तुलना में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दें। गृह मंत्री ने कहा कि क़ानून निर्माता एजेंसियां आतंकवाद के ख़ात्मे के लिए पूर्ण असहिष्णुता वाली नीति सुनिश्चित करने के साथ ही सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव के संदर्भ में संतुष्ट हों। उन्होंने कहा, "जहां अल्पसंख्यक समुदाय के किसी सदस्य की ग़लत भावना से गिरफ़्तारी हो, ग़लत तरीक़े से गिरफ़्तारी हो वहां ऐसा करने वाले पुलिस अधिकारी के ख़िलाफ़ कड़ी एवं शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। गिरफ़्तार व्यक्ति को न केवल तत्काल रिहा किया जाए बल्कि उसे समुचित मुआवज़ा दिया जाना चाहिए और पुनर्वास किया जाना चाहिए ताकि वह मुख्यधारा से जुड़ सके।" मई में केन्द्र सरकार ने आतंकवाद संबंधी मामलों के लिए एन॰आई॰ए॰ क़ानून के तहत 39 विशेष अदालतें स्थापित कीं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के॰ रहमान ख़ान ने भी गृहमंत्री को पत्र लिखकर देश के अलग-अलग भागों में मुस्लिम युवकों की आतंकवाद संबंधी मामलों में ग़लत तरीक़े से गिरफ़्तारी को लेकर चिंता जतायी थी।

अल्लामा इक़बाल साम्प्रदायिक बिल्कुल नहीं थे

अगस्त 13 में वसीम अकरम 'त्यागी' का लेख अत्यंत रोचक, ज्ञानपूर्ण व सूचनात्मक रहा । 'हंस' जैसी पत्रिका, जो अत्यंत योग्य व ख्यातिप्राप्त विज्ञात्मा के हाथों में है–उन्होंने अल्लामा इक़बाल पर इतना अज्ञान पूर्ण लेख छापा–आश्चर्य है ।

इक़बाल न केवल अच्छे कवि, शिक्षक आदि ही नहीं थे, अपितु ''मर्दे कामिल''–'परिपूर्ण मानव' की अत्युच्च-अवधारणा के सबल व्याख्याता भी थे । 'मर्दे कामिल' पर नीत्शे के पश्चात इतना उत्तम लेखन या तो ईसाई दार्शनिक तेलहार्ड डी चार्डिन का है या फिर पाण्डिचेरी के योगी-दार्शनिक श्री अरविन्द का है । श्री अरविन्द में नीत्शे की झलक होते हुए भी उन्होंने ''अतिमानव'' के सिद्धांत को वेदाधारित व्याख्याओं का आश्रय लेकर अत्यंत स्पाच्चा व ऊंचाई तक पहुंचाया ।

'शिकवा व जवाबे-शिकवा' अतिशय श्रेष्ठ और मर्मभेदक अभिव्यक्तियां हैं । इतना उत्तम लेखन शायद ही इस विषय पर किसी ने किया हो ।

इक़बाल तास्सुबी या साम्प्रदायिक बिल्कुल नहीं थे । परन्तु यदि मुसलमान होते हुए उन्होंने मुसलमानों के विकास, लाभ व विस्तार के लिए सोचा भी तो वे ग़लत कैसे हैं ? जाति-सम्मान, जाति-गौरव कोई बुरी बात कैसे हो गयी ? हिन्दुओं के लिए कोई गर्हित वचन उन्होंने नहीं कहे । श्री अशोक जी तनिक श्रम करके अल्लामा की जीवनी व उनकी शायरी थोड़ा पढ़ लें जो हिन्दी-अंग्रेज़ी-उर्दू, तीनों में प्राप्य है । ऐसा करने पर उन्हें अपने लेखन पर खेद-पश्चाताप ही होगा ।

अध्यात्म से डॉ॰ जगदीश गांधी का न जाने क्या आशय है । अधिं+आत्म=अध्यात्म अर्थात 'स्व' का विकास अस्मिता का फैलाव-विस्तार । इसमें परमात्मा, मुक्ति, पुनर्जन्म या पूजा-पाठ आदि की कोई झलक नहीं है । आत्म-विकास या स्वयं को 'अधिक' करने में विज्ञान व पादार्थिक विकास भी शामिल है । वह हो ही रहा है । चारित्रिक, नैतिक विकृतियों का कारण ''जीवन के अपरिहार्य'' लक्ष्य का अज्ञान है । पुराने दकियानूसी लक्ष्यों को विज्ञान तोड़ रहा है । नये लक्ष्य बन रहे हैं । विज्ञान-सम्मत जीवन का लक्ष्य है–पर्यावरण, भूमि के प्राणी, मानव व अन्य जीवों की सुरक्षा, विकास व उन्नति । यहीं भाविष्यक अध्यात्म की दिशा है ।

पृष्ठ 21 पर छपी यायावर की ग़ज़ल सुन्दर व प्रेरक है । पृष्ठ 47 पर प्रकाशित लेख के सिलसिले में कहना है कि मोदी के विषय में संपूर्ण हिन्दू मानस में अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं । पुरातन-तम ग्रंथ वेद में 'मोक्ष' शब्द ही नहीं है । आकाशीय स्वर्ग प्रेरणा है, परन्तु भूमि को ही स्वर्गोपम व मानवों को देवोपम बनाना ही वेद को अभीष्ट है । महर्षि दयानन्द मोक्ष को अनन्त नहीं मानते । योगी श्री अरविन्द पृथ्वी पर ही दिव्यतापूर्ण जीवन के आकांक्षी और प्रयासी हैं । यह लक्ष्य कितना तार्किक और प्रत्यक्ष फलप्रद है, विचारणीय है । संपादक भद्रात्मा डॉ॰ मुहम्मद अहमद के सुयोग्य निरीक्षण व कर्तृत्व में 'कान्ति' बहुत फल-फूल रही है । अनेकशः धन्यवाद ।

डॉ॰ ज्ञानचन्द्र

6562/1, चमेलियान रोड, दिल्ली-110006

प्रसन्न रहिए

मासिक पत्रिका 'कान्ति' सितम्बर 2013 का अंक पढ़ा । आपकी इस पत्रिका के अंतर्गत प्रत्येक आलेख व रचनाओं को सरसरी अध्ययन करता हूं । सारांश रूप में मैंने यही पाया कि यह उपरोक्त पत्रिका आध्यात्मिक, साहित्यिक व सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभावी रही है । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी अत्यंत आवश्यकता है ।

सितम्बर 2013 के अंक में अभिमत ''बुढ़ापा समय है प्रसन्न रहने का'' रचयिता श्री राजेन्द्र जी गोयल का मैंने अध्ययन किया है । ऐसे मैं भी वरिष्ठ नागरिक सेवानिवृत्त शिक्षाविद हूं । मेरी आयु 76 वर्ष की है । आगामी एक अक्तूबर 2013 को 'विश्व वृद्धजन दिवस' भी मनाने को जा रहे हैं । श्री राजेन्द्र जी के विचारों का पूर्णतया मैं समर्थक हूं ।

वस्तुतः सत्य है कि 'बुढ़ापा रहने का समय है, प्रसन्न

रहने का' इसके लिए वृद्धजन को अपने परिवार के लिए आदर्श बनना होगा। ''जो लोग बुढ़ापे को बुरा समझते हैं मैं उन्हें मूर्ख समझता हूं। अरे आपके पास ज़िन्दगी भर का अनुभव है। गड्ढ़े और खाइयों से बचते हुए आपने अपने जीवन को मंज़िल तक पहुंचाया है। आपके पास ऐसा ख़ज़ाना है जो बाहर से दिखायी नहीं देता परन्तु कभी-कभी उसकी चमकदार किरण आपके शब्दों में ज़ाहिर हो जाती है। कोई आपसे लाभ उठाना चाहे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो गूंगे का गुड़ है, मुंह में डाले रखिये और मज़ा लीजिए।

यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके बहू-बेटे यहां तक कि आपकी पत्नी भी आपका आदर करें, आपकी आवश्यकताओं का ध्यान रखे तथा ऐसा कोई काम नहीं करे, जो आपको अच्छा नहीं लगता हो, तो आपको अपना जीवन कुछ ऐसा बनाना होगा कि आपकी अनुपस्थिति में कोई कठिनाई या समस्या उत्पन्न होने पर वे यह सोचें कि आपके सामने यदि वह समस्या होती तो आप क्या करते।

"Laugh and the whole world will laugh with you, weep and you weep alone."

(हंसिये तो सारा संसार आपके साथ हंसेगा, परन्तु यदि आप रोएंगे तो अकेले ही रोना पड़ेगा।)

शरीर में यह प्रसन्नता की लहर उत्साह और हंसी उत्पन्न करती है, घबराहट तनाव और दुख को दूर भगा देती है। हंसमुख व्यक्ति गोष्ठियों और उत्सवों की जान है। यही पता नहीं चलता कि दिन कब बीता और रात कब गयी। अंग्रेज़ी में कहते हैं–"Humour is the satt of life."

रामस्वरूप झैवर
9-10 शास्त्रीनगर, विस्तार, भीलवाड़ा (राज०)

उपयोगी एवं ज्ञानवर्द्धक

'कान्ति' पत्रिका बहुत ही उपयोगी एवं ज्ञानवर्द्धक पत्रिका है। इसके अध्ययन से इस्लाम के बारे में जो भ्रांतियां हैं वे दूर हो जाती हैं। साथ ही हिन्दी भाषियों को इस्लाम के बारे में जानकारी प्राप्त करने का यह एक सरल एवं सुगम मार्ग है। इस पत्रिका के अध्ययन से हमें समाज में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में काफ़ी सहूलत होती है। अतः इस पत्रिका का प्रकाशन एवं संचालन नियमित रूप से होते रहना चाहिए।

शंभू प्रसाद गुप्ता
दाऊद नगर, औरंगाबाद (बिहार)

मानव प्रेम का प्रतीक

मासिक पत्रिका 'कान्ति' को मैं लगभग एक वर्ष से पढ़ रहा हूं। सच कहूं तो जस नाम तस गुण को सत्य कर दिया इस पत्रिका ने। जीवन को कान्ति प्रदान करने हेतु विचारों में नवीनता एवं सारगर्भिता का होना आवश्यक है जो मुझे इससे प्राप्त हो रहा है। मानव प्रेम को बढ़ावा दे रही यह पत्रिका स्वयं में देश दुनिया के नवीन विचारों, ज्वलंत मुद्दों, सारगर्भित विचारों, शिक्षाप्रद लेखों एवं जीवन के कटु सत्य के साथ जुड़ती व मनोरंजन प्रदान करती कविताओं व कहानियां दिल छू लेती है। शुभकामनाओं के साथ।

राजूनंदन कुमार सिंह
सहायक शिक्षक, राष्ट्रीय इंटर विद्यालय
दाऊदनगर, औरंगाबाद, बिहार

पारदर्शी पत्रिका

मासिक पत्रिका 'कान्ति' हिन्दी भाषियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस पत्रिका के माध्यम से मुझे इस्लाम के संबंध में काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई है। इस पत्रिका में सभी धर्मों का समावेश है साथ ही साथ गागर में सागर के रूप में तथ्य वर्णित रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धर्म के संबंध में यह पत्रिका पारदर्शिता को दर्शाती है। मैं इस पत्रिका का लगातार तीन वर्षों से अध्ययन कर रहा हूं। यह बहुत ही उपयोगी पत्रिका है।

मिथिलेश सिंह
अधिवक्ता
दाऊदनगर, औरंगाबाद (बिहार)

सराहनीय

'कान्ति' पत्रिका के प्रत्येक अंक का मैं बहुत ही आदर एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन करता हूं। मैं इस पत्रिका से बहुत प्रभावित हूं। इसमें मानव के जीवन में जीने का तरीक़ा एवं मानव धर्म की बात बतायी जाती है। धर्म चाहे कोई भी हो झूठ, हिंसा, अनाचार, व्यभिचार करने के लिए नहीं बताता है। इन्हीं सब बातों को इस पत्रिका में बताया जाता है। यह बहुत सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। इसी तरह से आप इसका प्रचार एवं प्रसार करते रहें जिससे समाज के लोग समझें और सीखें।

राजेन्द्र प्रसाद सिंह
सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक
औरंगाबाद, बिहार

मानव-मानव एक समान

यह मासिक पत्रिका 'कान्ति' हम हिन्दी भाषियों के लिए बहुत अच्छी पत्रिका है । इससे इस्लाम धर्म के बारे में बहुत कुछ जानने एवं समझने का मौक़ा मिलता है । इस पत्रिका में इस्लाम धर्म के बारे में बहुत ही पारदर्शी रूप से जानकारी दी जाती है जो सारे अवाम को लाभ पहुंचा सकता है । इस पत्रिका को मैं चार साल से लगातार पढ़ रहा हूं और आगे भी पढ़ता रहूंगा ।

कुछ बातें जो मुझे याद है मैं लिख रहा हूं ।

● अल्लाह की नज़र में सभी लोग समान हैं अपने ध न-दौलत के बल पर किसी पर श्रेष्ठता स्थापित न करो ।

● ईश्वर का नाम लो पर किसी को उसका साझी न ठहराओ ।

● माता-पिता के साथ एवं अपने पड़ोसियों, दोस्तों, नातेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करो ।

● इस्लाम धर्म यह भी कहता है कि अपने पिता के दोस्तों के साथ भी अच्छा व्यवहार करो ।

● सबसे अहम बात इस्लाम धर्म सहनशीलता एवं धैर्य रखने की हिदायत देता है जो अल्लाह को बहुत प्रिय है । ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगीं । आपका एवं 'कान्ति' पत्रिका का शुभचिंतक ।

कृष्णा प्रसाद
मेन रोड दाऊदनगर,
औरंगाबाद (बिहार)

शुभकामनाएं

'कान्ति' का मैं नियमित पाठक हूं । इस पत्रिका में आये विद्वानों के लेख अत्यंत ही ग्राह्य योग्य है । इसमें कोई दो मत नहीं है । 'कान्ति' के माध्यम से समाज में शांति स्थापित करने का प्रयास अत्यंत ही सराहनीय व अनुकरणीय है । वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि धार्मिक उपदेशकों की बाढ़ आयी हुई है और दूसरी ओर समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास ही ह्रास है । क़ुदरत की देन धरती, हवा, पानी और सूर्य की प्रकाश पर निजी अधिकार किसने और क्यों दिया ? इसके संबंध में भी 'कान्ति' के माध्यम से समाज को अवगत कराने की आवश्यकता अनिवार्य हो गया है । क्योंकि क़ुदरत ने मानव को सभी जीवों में श्रेष्ठ बनाया है, ताकि सभी जीवों की समुचित व्यवस्था करे, परन्तु आज का मानव साम्प्रदायिकता, जातीयता, भाषा तथा क्षेत्रीयता जैसे निकृष्ट बंधनों में बंध कर शैतान की भूमिका में है । जब तक मानव ऐसे निकृष्ट बंधनों में बंधा रहेगा तब तक समाज में स्थायी शांति होना असंभव है । इन सारी बातों से समाज को अवगत कराते रहें, 'कान्ति' से मेरी यही गुज़ारिश है ।

● राजा राम सिंह
● श्यामदत्त विश्वकर्मा
दाऊदनगर, औरंगाबाद (बिहार)

पूंजीवाद के दुष्प्रभाव

आपके द्वारा संपादित मासिक पत्रिका 'कान्ति' का नवीनांक पढ़ा । पढ़ने के बाद शिथिल पड़े शरीर में एक नयी शक्ति और ऊर्जा का संचार होने लगा । एक नये उमंग का अनुभव होने लगा । ऐसा महसूस होने लगा कि पूंजीवाद और नवसाम्राज्य आदि से लड़ने के लिए एक नयी टीम तैयार हो रही है । ये ऐसे 'वाद' (इज़्म) हैं जिंनसे समाज के प्रत्येक वर्ग का नुक़सान हो रहा है । गिने-चुने कुछ लोगों को आर्थिक लाभ तो प्राप्त हो रहा है, मगर नैतिक पतन का शिकार वे भी हो रहे हैं ।

पूंजीवाद से पूरी व्यवस्था दुष्प्रभावित होती है । आम नागरिक का जीवन तो प्रभावित होता ही है, देश, समाज, शिक्षा संस्कृति, शासन-प्रशासन यहां तक कि जीवन जन्तु, जलवायु और वातावरण भी दुष्प्रभावित होता है ।

शैलेन्द्र सिंह निषाद
वार्ड नं॰ 28, बड़ा बाज़ार,
क़टिहार (बिहार)

चिंता और चाह

चिंता और मूल कारण है हमारी अत्यंत महत्वाकांक्षी होना । आवश्यकताओं को पूर्ति करे वहां तक तो जीवन संयम में बंधा रहता है लेकिन आकांक्षाओं के होते वह उससे मुक्त नहीं हो सकता । जिस प्रकार सागर और आकाश का अंत तो हो सकता है परंतु मनुष्य की इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता और ये इच्छाएं ही चिंताओं को जन्म देती रहती हैं । जबकि इच्छाएं दो चार ही पूरी होती हैं परंतु दिन-रात इच्छाओं को ओर बढ़ाने से कृष्णा भी तेज रफ़्तार से बढ़ती जाती है । परिणामस्वरूप चिंता बढ़ती जाती है । इसी लिए कहा है चाह और चिंता का चोली दामन का साथ है । जिसे प्राप्त करना आसान नहीं । उसे प्राप्त करने की धुन में चिंतित रहता है जिससे वे परिवार, समाज, देश से भी करता जाता

है । ज़रूरत है चिंता का दूर से ही तिलांजलि करने की ओर जा मिला है उसके लिए ख़ुदा का शुक्रगुज़ार बनते हुए जी भर के उसका रसास्वादन करना चाहिए और अपने इस सुख में दूसरों को भी भागीदार बनाना चाहिए । यही सुखी रहने की दवा है ।

'ज़ादे' चार प्रकार के होते हैं (1) अमीरज़ादा (2) नवाबज़ादा (3) शाज़ादा और (4) हरामज़ादा । इनकी कैफ़ीयत यह है कि एक आदमी बहुत प्यासा था । कुएं के पास बैठा था और रस्सी डोल निकट ही पड़ी थी, मगर पानी कौन निकाले ? उधर से एक और व्यक्ति गुज़रा वह भी प्यासा था । वह भी बैठ गया । पानी कौन निकाले ? इसी तरह तीसरा आया, वह भी बैठ गया । पहले ने कहा–मैं अमीरज़ादा हूं पानी क्यों निकालूं, दूसरा बोला–मैं नवाबज़ादा हूं पानी निकालूं तो मेरी बेइज़्ज़ती होगी ? तीसरे ने कहा–मैं शाहज़ादा हूं कुएं से पानी निकाल कर पीना मेरी शान के ख़िलाफ़ है ।

इतने में एक चौथा आदमी आया । उसने पानी कुएं से निकाला और बड़े आराम से पानी पिया । तीनों बोले–भाई हमें भी पानी पिलाओ । वह बोला–जब आप लोग अमीरज़ादा, नवाबज़ादा और शाहज़ादा हैं–मैं तो हरामज़ादा हूं । मैं तो पानी पीता हूं, पिलाता नहीं ।

आज हमारे देश के लोगों की भी यही दशा हो रही है । भले ही हमारे धर्मगुरु धर्मोपदेश दें कि हमें हमारे पड़ोसी का भी ख़याल रखना चाहिए, पर सुनता कौन है–करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । ज़रूरत है लोगों को सचरित्रवान, निष्ठावान बनाने की ।

घेवरचन्द गोदीका

किशनपोल बाज़ार, जयपुर

अच्छी रचनाएं

'कान्ति' का सितम्बर अंक पढ़ा । अच्छी रचनाओं से लबरेज़ हर अंक को पढ़कर मन खुश हो जाता है । और इसी लिए मैं हर अंक को हिफ़ाज़त से सहेजती भी जाती हूं । हर रचना में जान होती है, उससे कुछ सीखा जा सकता हूं, अम्न-चैन जो धीरे-धीरे अपने देश से ग़ायब होता जा रहा है, उसे वापस लाया जा सकता है, अगर हर किसी का दिल-दिमाग़ शांत और विवेकपूर्ण हो जाए । पत्रिकाओं के ढेर में इस एक 'कान्ति' की बात ही अलग है ।

डॉ० रामनिवास 'मानव' द्वारा रचित दोहे बेमिसाल लगे । बहुत सुन्दर व सटिक लिखा है । इस्लामी परिवार सचमुच प्रेम का ख़ज़ाना है । मैंने कई मुस्लिम देश घूमे हैं जिसमें पिछले वर्ष जॉर्डन देश वहां शाम होते पूरा परिवार बाहर घूमने-फिरने का शौक़ रखता है । जिसमें बूढ़े-बुज़ुर्ग भी शामिल थे जबकि ऐसा दृश्य अपने भारत में ही नहीं दिखता ।

और हां, नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लायक़ कभी नहीं हो सकते, जिनके हाथ ख़ून से सने हों वे भी निरपराध मासूम लोगों का क़त्ल । मुझे नफ़रत है ऐसे लोगों से ।

माला वर्मा

हाजीनगर, प०ब०-743135

ज्ञानवर्द्धक एवं संग्रहणीय

आपके यशस्वी संपादन में प्रकाशित मासिक 'कान्ति' पत्रिका का अगस्त 2013 अंक मिला । एतदर्श हार्दिक धन्यवाद । 'कान्ति' के माध्यम से आप हिन्दी भाषा साहित्य एवं मानवता का उल्लेखनीय उपकार करते रहें, सही हार्दिक कामना है । इस अंक की सारी सामग्री शोधपूर्ण, रोचक-प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक होने से यह पठनीय ही नहीं, संग्रहणीय भी है ।

भानुदत्त त्रिपाठी 'मधुरेश'

अम्बेडकर नगर, उ०प्र०

कटु सत्य

(1) कंजूस धनवान से वह ग़रीब अच्छा है जो दो रोटी में एक खाता है और दूसरी खिलाता है ।

(2) वह अच्छा मित्र है, जो हमें पापों से बचाता है ।

(3) ग़रीब के सामने समस्या है कि भूख लगे तो क्या खाए, और अमीर के सामने समस्या यह है कि क्या खाये की भूख लगे ।

यशपाल जैन 'आदर्श'

494/5, राजापार्क, जयपुर-302004

For Information On

City Shops, Roads, Restaurants, Magazine, Schools and much more.

Syed Shahbaz Alam Barvi

Business Development Director (09049185093)

Visit us:

www.shoppinglanes.com

इस्लाम में नैतिकता की अनिवार्यता

■ डॉ॰ फ़रहत हुसैन

सामाजिक संरचना को सुदृढ़ रखने तथा उसमें मानवता के फलने-फूलने हेतु अनुकूल वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से इस्लाम धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गयी हैं, जिन पर चलकर समाज दयाभाव, समता और समरसता के शिखर पर पहुंच सकता है । मुख्य बिन्दुओं की चर्चा संक्षेप में प्रस्तुत है–

नैतिकता की अनिवार्यता

इस्लाम नैतिकता को समाज में प्रचलित देखना चाहता है–सत्य, न्याय, वचन-पालन, आपसी सहयोग, अनुशासन, संयम, बहादुरी समाज में फले-फूले। झूठ, धोखेबाज़ी, चोरी-डकैती, व्यभिचार, भ्रष्टाचार आदि बुराइयां न पनप पाएं। क़ुरआन और हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के कथनों में इस पर बहुत ज़ोर दिया गया है । इनको ईशभय और परलोकवाद से जोड़ा गया है जिससे बाहरी दबाव के बिना भी मनुष्य नैतिकता के कठिन मार्ग पर चल सकता है । अगर परलोक की जवाबदेही पर ईमान न हो, तो इन्सान अधिक समय तक सच्चाई पर नहीं चल सकता । इसके साथ ही शराफ़त की भाषा न समझने वालों के लिए दंड संहिता (Penal Code) का प्रावधान भी है, जो अन्तिम हथियार के तौर पर ही प्रयुक्त किया जाता है ।

सारे इन्सान बराबर हैं

ऊंच-नीच, छूतछात, भेदभाव के रहते समाज में दयाभाव, भाईचारा और सौहार्द का वातावरण पैदा नहीं हो सकता । इस्लाम ने इस तथ्य पर बल दिया कि सारे इन्सान बराबर हैं, क्योंकि सब एक ही जोड़े की सन्तान हैं–

"ऐ लोगो ! हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें बिरादरियों और क़बीलों का रूप दिया ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो । वास्तव में अल्लाह के यहां तुममें सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है जो तुममें सबसे अधिक ईश-भय रखता है ।" (क़ुरआन, 49:13)

आख़िरी हज के ऐतिहासिक संबोधन में ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने घोषणा की–

"लोगो ! तुम सबका रब भी एक है और बाप भी एक है, तुम सब आदम की औलाद हो, और आदम मिट्टी से बने थे । इसलिए किसी अरब को ग़ैर-अरब पर बड़ाई नहीं, न गोरे को काले पर, बड़ाई केवल ईशपरायणता के आधार पर है ।"

इन शिक्षाओं पर पूरा अमल हुआ । अश्वेत हज़रत बिलाल (रज़ि॰) की वही हैसियत थी जो अन्य सहाबा की थी । रूम के सुहेब (रज़ि॰), ईरान के सलमान फ़ारसी (रज़ि॰) भी अरब मुस्लिमों के बराबर प्रतिष्ठित थे । बराबरी का पाठ पढ़ाने के लिए दिन में पांच बार कंधे से कंधा मिलाकर नमाज़ पढ़ी जाती है जिससे ऊंच-नीच का अहंकार समाप्त हो जाता है । हज के अवसर पर तो दुनिया के हर कोने से आने वाले हज-यात्री एक ही ड्रेस–दो सफ़ेद चादरें लपेटे हज की प्रक्रिया पूरी करते हैं ।

दासों के प्रति दयाभाव

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) दासों के मसीहा हैं । इस्लाम ने इस कुप्रथा को धीरे-धीरे समाप्त किया । उनके मानवाधिकार बहाल किये । देखिए ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश–"तुम्हारे दास तुम्हारे भाई हैं, इसलिए तुममें से जिसके क़ब्ज़े में उसका भाई हो उसे चाहिए कि वैसा ही खिलाए और पहनाए जैसा स्वयं खाता और पहनता है ।" (हदीस : बुख़ारी)

"तुममें से कोई यह न कहे कि मेरा दास, मेरी दासी बल्कि यूं कहे, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची ।"

उपरोक्त निर्देशों के द्वारा दासों के प्रति लोगों की धारणा में बदलाव लाया गया । उसके उपरांत दासों को आज़ाद कराने की प्रक्रिया लागू की गयी–

(1) लोगों को इस बात पर उभारा गया कि दास को आज़ाद करें, यह पुण्य का कार्य है । इसका बहुत अच्छा प्रभाव हुआ ।

(2) पापों के प्रायश्चित में दासों को मुक्त करने का प्रावधान रखा गया ।

(3) दास को अपने मालिक से समझौता करने की

अनुमति दी गयी कि तय रक़म कमाकर देने पर दास मुक्त हो जाएगा । यह लिखित समझौता होता था । इस प्रक्रिया से भी बहुत-से दास आज़ाद हुए । आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए सरकारी सहायता भी दी गयी ।

(4) पढ़े-लिखे दासों से यह समझौता भी हुआ कि वह लोगों को पढ़ना-लिखना सिखा दें और मुक्त हो जाएं ।

इस प्रक्रिया को अपनाकर कुछ ही वर्षों में दास प्रथा से मुक्ति मिल गयी । यही नतीजा है कि पूर्व में दास रहे मुसलमानों ने ज्ञान के क्षेत्र में ऊंचा स्थान पाया तथा उच्च पदों पर कार्य किया ।

अनाथों के प्रति दयालुता

दासों की तरह एक अन्य कमज़ोर वर्ग अनाथों का है । इस्लाम ने उनके संरक्षण और सहायता का विशेष प्रबंध किया ।

(1) उनका माल अवैध तरीक़े से हड़पने की मनाही–

"जो लोग अनाथों के माल अन्याय के साथ खाते हैं, वास्तव में वे अपने पेट में आग भरते हैं, और वे अवश्य ही भड़कती हुई आग में पड़ेंगे।" (क़ुरआन, 4:10)

"और यतीम (अनाथ) के माल को हाथ मत लगाओ मगर उत्तम ढंग से ।" (क़ुरआन, 17:34)

(2) अनाथों पर ख़र्च करने को कहा गया–(क़ुरआन, 2:215, 4:36 व 4:8) तथा नेकी का कार्य बताया गया । (क़ुरआन, 2:177)

(3) अनाथों को दबाकर रखने को मना किया गया । (क़ुरआन, 93:9)

(4) हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया कि मैं और अनाथ की सहायता करने वाला स्वर्ग में समीप रहेंगे (आपने दो उंगलियों को मिलाकर संकेत दिया)।

इस प्रकार इस्लामी व्यवस्था में अनाथों, विधवाओं तथा अन्य कमज़ोर वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया । यह दयालुता और कृपाशीलता का स्पष्ट प्रमाण है ।

पड़ोसी

आमतौर पर पड़ोस में बसने वालों में छोटी-मोटी बातों के कारण मनमुटाव और कलह पायी जाती है, जबकि पड़ोस से हर समय काम पड़ता है । इस्लाम ने जो शिक्षाएं दीं उनके द्वारा एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के बहुत निकट आ जाता है और प्रेम व भाईचारे का वातावरण निर्मित होता है। क़ुरआन में निर्देश दिया गया–"अल्लाह की बन्दगी करो और उसके साथ किसी को साझी न बनाओ, और अच्छा व्यवहार करो माता-पिता के साथ, नातेदारों, अनाथों, असम्पन्न लोगों, रिश्तेदार पड़ोसियों, अपरिचित पड़ोसियों, साथ रहने वाले पड़ोसियों के साथ और मुसाफ़िरों और दास-दासियों के साथ ।" (क़ुरआन, 4:36)

इस निर्देश में तीन प्रकार के पड़ोसी बताये गये हैं । प्रथम वह जो संबंधी है अर्थात उससे पहले से रिश्ता-नाता है, दूसरे वह जो नातेदार नहीं मगर पड़ोस में है, तीसरे वह जिनसे कार्य-स्थल पर, आफ़िसों में या यात्रा के दौरान वास्ता पड़ता है जो अस्थायी होता है । इन तीनों से अच्छा व्यवहार करने की हिदायत कर दी गयी । उल्लेखनीय है कि इसमें धर्म या जाति का भेद नहीं ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के निर्देश देखिए–

(1) वह आस्थावान नहीं जिसका पड़ोसी उसकी शरारत से असुरक्षित हो । (हदीस : बुख़ारी)

(2) वह व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से सुरक्षित नहीं ।

(हदीस : मुस्लिम)

(3) एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के माल तथा इज़्ज़त का रखवाला होता है, कहीं रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसकी सज़ा भी अधिक होनी चाहिए । इस पृष्ठभूमि में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का यह निर्देश कितना सार्थक है–"पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करना दस औरतों से व्यभिचार करने से ज़्यादा गंभीर है, और पड़ोसी के घर चोरी करना दस घरों में चोरी करने से अधिक बुरा है ।"

(4) पड़ोस में जो भी बसा है, चाहे वह जिस धर्म का मानने वाला हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की ताकीद है–ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) अपने यहूदी पड़ोसी को भी उपहार भिजवाते थे ।

(5) अगर हमारा पड़ोसी हमारे साथ अच्छा व्यवहार न भी करे, तब भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की जीवन की मशहूर घटना है कि मक्का में आपकी पड़ोसन प्रतिदिन आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी । आप (सल्ल०) कपड़े झाड़कर आगे बढ़ जाते थे । एक दिन कूड़ा नहीं डाला गया । आपने पूछताछ की तो मालूम हुआ कि कूड़ा डालने वाली बीमार है । आप तुरन्त उस औरत का कुशल-क्षेम पूछने उसके घर पहुंच गये । यह आदर्श हमें अपने सामने रखना चाहिए ।

इस्लाम में समानता का अधिकार

■ मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी

समानता को इन्सान का बुनियादी अधिकार ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार के अधिकारों की बुनियाद कहा जाता है । मानवाधिकार के अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा-पत्र राजनीतिक (Universal Declaration of Rights) में जिन अधिकारों का उल्लेख किया गया है, उनके संबंध में कहां गया है कि ये अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त होंगे । इसमें वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा अन्य विचारधारा, सामाजिक एवं आर्थिक हैसियत और जन्मभूमि के आधार पर अन्तर एवं भेदभाव नहीं किया जाएगा । यही बात अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक एवं राजनीतिक संधि (International Covenant on Civil and Political Rights) में कही गयी है ।

राज्य की यह ज़िम्मेदारी ठहरायी गयी है कि वह इन अधिकारों का हनन न होने दे और उसकी अपेक्षाओं को ज़िन्दगी के किसी भी मामले में प्रभावित होने से बचाए ।

दुनिया ने समानता की अवधारणा को आज जितनी अहमियत (महत्व) दी है, इस्लाम ने इसे इससे ज़्यादा अहमियत दी है । मानव-एकता एवं समानता की अवधारणा उसकी बुनियादी शिक्षाओं में सम्मिलत है । उसने इसे उस समय उजागर किया जबकि दुनिया इससे बेख़बर और अनभिज्ञ थी ।

इन्सानों के अन्दर वर्ण, वंश, भाषा, क्षेत्रीयता, लिंग, पद, हैसियत, कारोबार व पेशे आदि का अन्तर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, परन्तु इस अन्तर को इन्सान ने अपनी नादानी से केवल यही नहीं कि वास्तविक अन्तर समझ लिया, बल्कि इसे श्रेष्ठता एवं निम्नता का मापदंड भी घोषित कर दिया, कभी उसने गोरे को काले से श्रेष्ठ बनाया, कभी किसी विशेष वंश की अन्य वंशों पर श्रेष्ठता की परिकल्पना उस पर छायी रही, कभी किसी भाषा के बोलने वालों को वह अन्य भाषा-भाषियों से श्रेष्ठ समझ बैठा तो कभी जाति एवं लिंग उसके लिए श्रेष्ठता का आधार बन गया और औरत पर मर्द की प्रधानता असहनीय बनी रही । आज भी समानता के हज़ार दावों के बावजूद ये अन्तर शेष हैं । इस्लाम ने इन्सानों के बीच अन्तर एवं भेदभाव की इस सोच पर कड़ा प्रहार किया और इस सच्चाई को उजागर किया कि इन्सानों के बीच अन्तर एवं भिन्नता वास्तव में आपसी परिचय का माध्यम है, वास्तविक अन्तर नहीं, यह अन्तर इसलिए है कि ताकि पता चले कि किस व्यक्ति का किस भू-भाग एवं देश से संबंध है ? वह कौन-सी भाषा बोलता है और उसका लिंग क्या है ? यह परिचय वास्तव में एक-दूसरे को जानने-पहचानने का माध्यम है । यदि सबके रंग-रूप, शक्ल-सूरत, भाषा-बोली एक होती तो उन्हें पहचाना न जाता । इन्सानों के बीच यह भिन्नता और विविधता क़ुदरत की निशानी है कि उसने इस विविधता एवं रंगारंगी के अन्दर मानवजाति की एकता शेष रखी है । यह विविधता में एकता की दलील है । मतभेद और बिखराव की दलील नहीं है । इस संदर्भ का चित्रण क़ुरआन में बहुत ही सुन्दर ढंग से हुआ है । कहा गया–''ऐ लोगो ! हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें क़ौमों एवं क़बीलों का रूप दिया ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो । बेशक तुममें सबसे बुज़ुर्ग (श्रेष्ठ) अल्लाह के नज़दीक वह है जो तुममें सबसे ज़्यादा

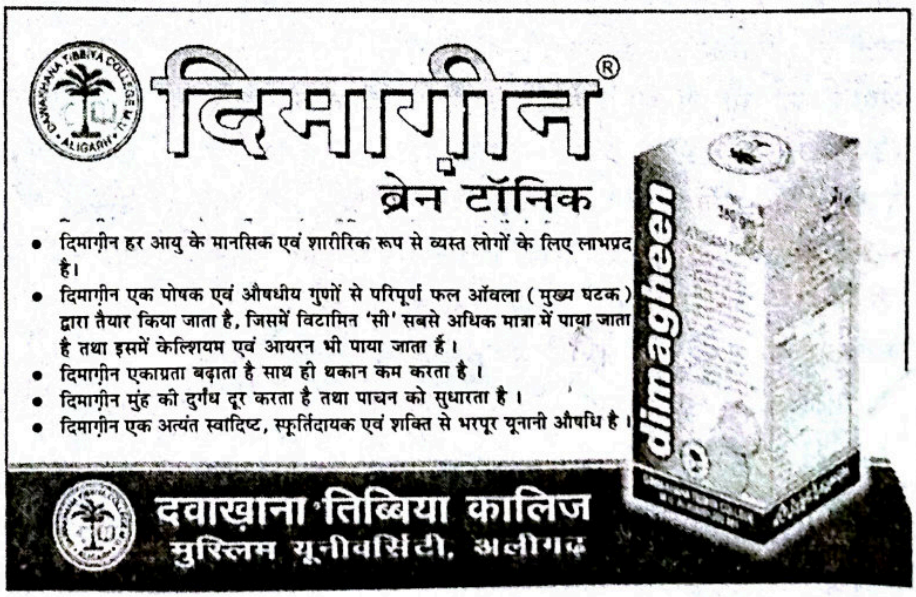

उससे डरता है । यक़ीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और ख़बर रखने वाला है ।'' (कुरआन, 49:13)

अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने मक्का विजय के बाद जो भाषण दिया, उसमें क़ौमी एवं नस्ली श्रेष्ठता की भावना को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और बताया कि आदम (अलैहि०) की सब औलाद की हैसियत समान है । हां ! तक़वा (अल्लाह का डर और ईशपरायणता), अल्लाह की भक्ति और आचरण की श्रेष्ठता से इन्सान महानता एवं श्रेष्ठता के उच्च स्थान पर विराजमान हो सकता है और वह दूसरों के लिए आदरणीय बन सकता है । नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया–''ऐ लोगो ! सुन लो, बेशक तुम्हारा रब (अल्लाह) एक है और तुम्हारा बाप (भी) एक है । सुन लो, किसी अरबवासी को किसी अजमी (ग़ैर-अरब) पर, किसी अजमी को किसी अरब पर, किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई श्रेष्ठता एवं प्रधानता नहीं है सिवाय तक़वा के (जिसके अन्दर जितना तक़वा होगा उतना ही वह श्रेष्ठ समझा जाएगा) ।''

(हदीस: मुस्नद अहमद)

यह मानव समानता एवं एकता की स्पष्ट घोषणा (Declaration) थी कि किसी भी व्यक्ति को चाहे उसका संबंध किसी भी नस्ल एवं जाति से हो, किसी अन्य वर्ण, वंश एवं जाति के व्यक्ति पर कोई श्रेष्ठता नहीं है । श्रेष्ठता का मानदंड केवल तक़वा और ईश-भक्ति है, जो जितना ईशपरायण है वह उतना ही इज़्ज़त एवं सम्मान का पात्र है ।

इन्सानों के बीच अन्तर एवं भेदभाव और उन पर ज़ुल्म-ज़्यादती अल्लाह के क्रोध को भड़काती है, और जिस क़ौम को यह रोग लग जाए वह अंतत: तबाह व बर्बाद हो जाती है । फ़िरऔन और उसकी क़ौम नस्ली संकीर्णता एवं श्रेष्ठता की भावना में लिप्त थी और वह बनी-इसराईल (इसराईली-क़ौम) को अपने समकक्ष हैसियत देने के लिए तैयार न थी, उसने उन्हें गुलाम बनाए रखा था और उन्हें मात्र सेवक की हैसियत से देखती थी । नरसंहार के द्वारा उनकी जनशक्ति को घटाने और उन्हें कम करने की लगातार कोशिशें कर रही थी और उनके उभरने के सभी अवसर ने अवरुद्ध कर रखे थे । किसी क़ौम के एक वर्ग को कार दबाना और कुचलना संगीन जुर्म था । क़ुरआन ने ज़ुल्म को जगह-जगह स्पष्ट किया और बताया कि ाह ने फ़िरऔन के इस रवैये के मुक़ाबले में बनी-इसराईल जैसी कमज़ोर क़ौम को ऊपर उठाया और फ़िरऔन और उसकी क़ौम अपने बुरे अंजाम को पहुंचकर ही रही । क़ुरआन में है–''बेशक फ़िरऔन ने (मिस्र की) धरती में सरकशी की राह अपनायी और वहां के निवासियों को फ़िरक़ों (गिरोहों) में बांट दिया । उनमें से एक गरोह (बनी इसराईल) को कमज़ोर बनाए रखा । उनके बेटों को ज़िब्ह कर देता (मार डालता) और उनकी औरतों को ज़िन्दा रखता। बेशक वह फ़साद (बिगाड़ पैदा) करने वालों में से था । और हम उन लोगों पर एहसान करना चाहते थे जो ज़मीन में कमज़ोर बनाकर रखे गये थे, उन्हें इमाम बनाना चाहते थे (अर्थात नेतृत्व देना चाहते थे) और उन्हें ज़मीन में सत्ता देना चाहते थे और फ़िरऔन, हामान और उनकी सेनाओं को उनके ज़रिए से वही कुछ दिखाना चाहते थे जिससे वे डर रहे थे ।'' (कुरआन, 28:4-6)

यह इस बात का स्पष्ट एलान है कि हुकूमत और सत्ता किसी भी वर्ग अथवा गिरोह को गुलाम बनाने के लिए नहीं है । राज्य का हर व्यक्ति और हर समूह अपने अधिकार रखता है । राज्य उसे किसी भी हीले-बहाने अथवा श्रेष्ठता-तुच्छता के मिथक के सहारे ख़त्म नहीं कर सकता । अल्लाह का क़ानून इस ज़ुल्म-ज़्यादती, अत्याचार और फ़िरऔनियत को सहन नहीं करता ।

लघुकथा

सुरक्षित कहां ?

बने मित्र से पूछा मैंने–''तुम्हारी पत्नी कहां है ?'' उत्तर मिला–अपने भाइयों के पास । किसी आशंका से मन में घबराहट के उपरांत कहा मैंने–क्यों ? तुम्हारे माता-पिता के पास क्यों नहीं ?

उसके आवेग का ज्वालामुखी फूटा इस प्रकार–''नहीं छोड़ सकता था, मैं उसे वहां क्योंकि अपनों के बीच ही उसकी अस्मिता लुटने का डर था और किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वह मेरा बाप था ।''

मित्र चला गया । मन-मस्तिष्क को झकझोर कर । वाह रे मानव । तुझे उत्पन्न करने वाली शक्ति का यह हाल । हर घर में बैठे हैं उसकी अस्मिता के लुटेरे दानव । वह सुरक्षित कहां ?

डॉ० इन्दिरा अग्रवाल

अलीगढ़ (उ०प्र०)

सहशिक्षा, पर्दा और इस्लाम

■ क़ैसर हुसैन

आधुनिक युग में मनुष्य विज्ञान से इतना प्रभावित हुआ है कि उसने इस युग का नाम ही 'वैज्ञानिक युग' रख दिया है । विज्ञान से प्रभावित आधुनिक जीवन में सर्वप्रथम मनुष्य के मानसिक परिवेश में परिवर्तन आया है । परंपरागत मान्यताओं, मूल्यों और आस्थाओं के प्रति उसका दृष्टिकोण निरंतर परिवर्तनशील हो रहा है । नित नये फ़ैशन और नवीन विचारधाराओं ने मानव जीवन को विलासिता के तट पर खड़ा कर दिया है । विडम्बना है कि समाज में नग्नता तथा-स्त्री मेल-जोल को मान्यता प्रदान कर दी है । सभ्यता के इस नाज़ुक दौर में स्त्रियों की दशा बड़ी ही दयनीय है । आधुनिक महिला को चलचित्रों एवं टी०वी० के पर्दों पर ही नहीं, बल्कि उसको अर्धनग्नावस्था में सरेआम देखा जा सकता है । समाचार पत्रों के विज्ञापनों तथा आवश्यकताओं की वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने में उसके चित्र सहायक हैं ।

किसी देश की सभ्यता, संस्कृति एवं उन्नति का मूल्यांकन वहां के नारी-वर्ग की स्थिति को देखकर ही किया जाता है । आज भी कुछ राष्ट्रों में नारी को रात्रि-मनोरंजन का स्रोत समझते हैं, वहां बच्चों को जन्म लेते ही उनके माता-पिता से अलग करके किराये की माताओं के सुपुर्द कर दिया जाता है, ताकि विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करने में, माता-पिता को ये सन्तान बाधक न हों । पाश्चात्य देशों के शिक्षाशास्त्री बालक और बालिकाओं की शिक्षा में कोई अन्तर रखना श्रेयस्कर नहीं समझते । ये ऐसे विचार भारतीय समाज, धर्म तथा संस्कृति से मेल नहीं खाते । वास्तव में महिलाओं की प्रकृति को आधुनिक सहशिक्षा ने बदल दिया है । सह-शिक्षा के समर्थकों का कथन है कि विद्यार्थी जीवन में एक साथ रहने से बालक-बालिकाएं एक दूसरे की आदतों की विशेषताएं समझ जाते हैं । वे पुरुषों के स्वभाव व उनकी रुचि से भली-भांति परिचित हो जाती हैं । एक-दूसरे के स्वभाव का परिचय होने के कारण उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है ।

व्यावहारकि रूप से सह-शिक्षा के जो परिणाम सामने आये हैं वे बड़े ही घातक हैं । सह-शिक्षा से बालक और बालिकाओं में अनाचार की वृद्धि होती है । सह-शिक्षा बालिकाओं को पथ-भ्रष्ट ही नहीं करती बल्कि उनको कर्तव्यच्युत तथा बिलासिनी बना देती है । पश्चिमी देशों में विवाह-विच्छेद की अधिकता का एकमात्र कारण बचपन से ही एक साथ विद्याध्ययन करना और यौन-संबंधों में स्वेच्छाचारी होना है । भारतीय संस्कृति ऐसी स्वतंत्रता के सर्वथा विपरीत है ।

पश्चिमी देशों का अनुसरण करके आज हमारे चरित्र, व्यक्तित्व का कोई मापदंड नहीं है । पश्चिमी सभ्यता एवं फ़ैशन ही आधुनिकता का प्रतीक है । शीत प्रधान देशों में बालक-बालिकाओं की किशोरावस्था जिसमें यौन-संबंधित ज्ञान के सर्वप्रथम अंकूर फूटते हैं, फिर भी कुछ देर में आती है । भारत में जलवायु शीतोष्ण होने के कारण, बालक बालिकाएं 12-14 वर्ष की अवस्था पार करते-करते ऐसे विषयों से भिज्ञ होने लगती हैं । इसलिए हमारे देश में सहशिक्षा और भी अवांछनीय है ।

इस्लामी दृष्टिकोण भी सहशिक्षा का विरोधी है । सह-शिक्षा के जो दुष्परिणाम हमारे सामने आये हैं, वे हमारे समाज के नवयुवकों तथा नवयुवतियों के लिए हानिकारक हैं । इस्लाम तो ऐसी सोसायटी का भी विरोध करता है कि जिसमें अनावश्यक तौर पर स्त्री-पुरुषों का बेबाकी से संपर्क हो क्योंकि इस्लाम में पर्दा अनिवार्य है । पर्दा क्या है ? इस संदर्भ में कुछ कुरआनी आदेश सुनें-

"हे नबी ! ईमान वाले पुरुषों से कहो कि अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें यह उनके लिए अधिक विशुद्ध रीति है, जो कुछ वे करते हैं अल्लाह को उसकी ख़बर रहती है ।

और हे नबी ईमान वाली स्त्रियों से कह दो कि अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें और अपना बनाव शृंगार न दिखाएं सिवाय उसके जो स्वयं ज़ाहिर हो जाए और अपने वक्षस्थलों पर ओढ़नियों के आंचल डाले रहें । वे अपना बनाव शृंगार न ज़ाहिर करें किन्तु इन लोगों

के सामने पति, पिता, पतियों के पिता, अपने बेटे, पतियों के बेटे, भाई, भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे, अपने मेलजोल की स्त्रियां, अपने लौंडी-गुलाम, वे अधीन पुरुष जो किसी और प्रकार का प्रयोजन न रखते हों, और वे बच्चे जो स्त्रियों की छिपी बातों से अभी परिचित न हुए हों । वे अपने पांव धरती पर मारती हुई न चला करें कि जो शृंगार उन्होंने छिपा रखा हो वह लोगों को मालूम हो जाए ।'' (सूरह नूर)

पुरुषों एवं स्त्रियों में प्राकृतिक रूप से आकर्षण होता है, इसलिए इस्लाम में पर्दा अनिवार्य है । केवल वे ही बालिग़ स्त्री व पुरुष इन ईश्वरीय आदेशों के विरोध में आवाज़ उठा सकते हैं जो सिनेमा एवं थियेटर में, क्लबों में, डानसिंग पार्टियों में परस्पर भाग लेते हैं ।

पर्दे के विषय में इस्लामी दृष्टिकोण प्रकृति के अनुकूल हैं । उपर्युक्त आदेशों में मर्दों और औरतों दोनों को पर्दे के विषय में शिक्षाएं दी गयी हैं ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया है–''तुम को निकाह करना चाहिए क्योंकि वह आंखों को बदनज़री से रोकने और गुप्तांगों की रक्षा करने का सर्वोत्तम तरीक़ा है, और जो व्यक्ति तुममें से निकाह करने का सामर्थ्य न रखता हो वह रोज़ा रखे क्योंकि रोज़ा वासनाओं को दबाने वाला है ।'' (बुख़ारी)

इस्लाम ने पर्दे की शिक्षा के साथ-साथ मर्द और औरतों के अधिकार क्षेत्रों का क़ुरआन में वर्णन किया है । क़ुरआन की भाषा में मर्दों को 'कव्वाम' (परिवार का मुखिया) कहा गया है परिवार के मुखिया का उत्तरदायित्व है कि वह परिवार के पालन-पोषण के लिए साधन जुटाए और आवश्यकताओं की पूर्ति करें । आदर्श स्त्रियां वे होती हैं जो अपने पतियों की आज्ञाकारिणी होती है ।

क़ुरआन में है–''पुरुष स्त्रियों के मामलों के ज़िम्मेदार हैं, इस आधार पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे के मुक़ाबले में आगे रखा है, और इस आधार पर कि पुरुष अपने माल ख़र्च करते हैं । अत: जो अच्छी स्त्रियां हैं वे आज्ञाकारी होती हैं और पुरुषों के पीछे अल्लाह की रक्षा और संरक्षण में उनके अधिकारों की रक्षा करती हैं ।''

(अन-निसा : 34)

इस्लाम ने औरत पर यह नियंत्रण रखा है कि वह अपने पति की आज्ञा के बिना घर से बाहर जाने के लिए मजबूर है यदि उसको कोई यात्रा ही करना पड़े तो उसके साथ उसके पिता या भाई या बेटा या पति होना अनिवार्य है । वास्तव में इस्लाम में पर्दे का अर्थ बहुत व्यापक है । सूरह नूर में ही औरतों को शिक्षा दी गयी है कि–वे अपने पांव ज़मीन पर मारती हुई न चलें कि जो शृंगार उन्होंने किया है अर्थात जो आभूषण वे पहने हुए हैं उसका हाल मालूम हो जाए (झंकार सुनायी दे) आज दुनिया की सभ्य जातियों का यह हाल है कि वे ऐसे वस्त्र धारण करती है कि जिससे जिस्म के हिस्सों की नुमाइश होती है ऐसे वस्त्र पहनना इस्लाम में निषेध हैं । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया–'कि जो औरत कपड़े पहन करें भी नंगी ही रहे और दूसरे को रिझाए और स्वयं दूसरों पर रीझें और बुख्ती ऊंट की तरह गर्व से गर्दन टेढ़ी, करके चलें वे जन्नत में हरगिज दाख़िल न होंगी, और न उसकी बू पाएगी ।' (मुस्लिम)

इस्लाम ने औरतों और मर्दों के लिए शरीर ढांकने की सीमाएं निश्चित की है । इस्लामी भाषा में इसको सतर कहते हैं । शरीर के उस हिस्से को सतर कहते हैं जिसका छुपाना अनिवार्य है । मर्दों के लिए नाफ़ और घुटने के बीच का हिस्सा सतर कहलाता है । और इसका किसी के सामने अकारण खोलना वर्जित है और न ही कोई किसी दूसरे के सतर पर नज़र डाले । औरतों के लिए सतर का स्थान बहुत विस्तारपूर्वक है । वे अपने चेहरे और हाथों के सिवा समस्त शरीर को लोगों से छुपाएं । यह आदेश पिता, भाई, रिश्तेदार के लिए भी लागू होता है । (केवल पति के लिए यह आदेश लागू नहीं होता)

नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया–''कि औरत के लिए जो अल्लाह और क़ियामत के दिन पर ईमान रखती है, जायज़ नहीं कि वह अपना हाथ इससे अधिक खोले, यह कहकर आपने अपनी कलाई के आधे हिस्से पर हाथ रखा, जब औरत बालिग़ हो जाए तो उसके जिस्म का कोई हिस्सा नज़र न आना चाहिए सिवाय चेहरे और कलाई के जोड़ तक हाथ के ।'' (इब्ने ज़रीर, अबू-दाऊद)

हज़रत असमा बिन्त अबीबक्र जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की साली थीं एक बार आपके सामने बारीक वस्त्र पहनकर हाज़िर हुईं, उस समय उनका जिस्म अन्दर से झलक रहा था । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने तुरन्त नज़र फेर ली और फ़रमाया–''ऐ असमा जब औरत बालिग़ हो जाए तो जायज़ नहीं कि उसके जिस्म में से कुछ देखा जाए केवल इसको और इसके । यह कहकर अपने चेहरे और हथेलियों की

तरफ़ इशारा किया ।''

इस्लाम ने घर के आदमियों को अचानक घर में बिना सूचना या दस्तक दिये हुए घर में प्रवेश को मना किया है । क़ुरआनी आदेश घर वाले तथा दूसरे लोगों के लिए निम्नलिखित हैं–''और जब तुम्हारे लड़के बालिग़ हो जाए तो उनको चाहिए कि वे आज्ञा लेकर घर में प्रवेश करें जिस तरह उनमें बड़े उनसे पहले आज्ञा लेकर आते थे ।''

(सूरह नूर : 8)

''ऐ लोगों ! जो ईमान लाये हो, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में प्रवेश न किया करो जब तक कि घर वालों की स्वीकृति न ले लो, और घर वालों पर सलाम न भेज लो, यह रीति तुम्हारे लिए अच्छी है । आशा है कि तुम इसका ध्यान रखोगे, फिर यदि वहां किसी को न पाओ तो प्रवेश न करो जब तक कि तुमको अनुज्ञा न मिले और यदि तुमसे कहा जाए वापस चले जाओ, तो वापस हो जाओ यह तुम्हारे लिए विशुद्ध रीति है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे भली-भांति जानता है ।'' (सूरह नूर : 4)

अंत में पर्दे और इस्लाम की व्याख्या में निम्नलिखित ईश्वरीय आदेश पर चिंतन करें । यह आदेश इस संदर्भ में है जो कि जब किसी अजनबी मर्द को किसी औरत से कोई आवश्यकता की वस्तु मांगना हो–

''और जब तुम औरतों से कोई चीज़ मांगो तो पर्दे की ओट से मांगो इसमें तुम्हारे दिलों के लिए भी पवित्रता है और उनके दिलों के लिए भी ।''

(सूरह अहज़ाब : 7)

हज़रत उकबा बिन आमिर (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया–''ख़बरदार औरतों के पास एकांत में न जाओ । अंसार में से एक व्यक्ति ने कहा–ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) देवर और जेठ के बारे में क्या हुक्म है फ़रमाया वह तो मौत है ।''

पर्दे की अवधारणा में अपनी निगाहें नीची रखने की शिक्षाएं दी गयी हैं तथा आरतों को एक साथ दो शिक्षाएं दी गयी हैं कि वे अपनी निगाहें नीची रखे तथा अपनी इस्मत की रक्षा करें ।

सूरह-अहज़ाब में कहा गया है कि–'ऐ नबी अपनी बीबियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के घूंघट डाल लिया करें । इससे आशा की जाती है कि वह पहचानी जाएंगी और उनको सताया न जाएगा । जब औरतें घर से बाहर किसी आवश्यक कार्य से निकलती हैं तो अजनबी लोगों से पर्दो के लिए यह क़ुरआनी आदेश है ।

वास्तव में आधुनिक युग में एक महिला को पर्दा करने की आवश्यकता है । जो भी महिला पर्दे के महत्व को समझ लेती है वह इस पर अमल करने की कोशिश करेंगी, यह इस समय की विडंबना है कि आधुनिक महिला ने पर्दे की महत्ता को नहीं समझा उसकी आबरू हर गली, कूचे में नष्ट होती नज़र आती है । अफ़सोस अगर ऐसा ही होता रहा तो इसके घातक परिणाम हमारे सामने आएंगे ।

SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 2001 with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1400 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Free education is given to poor students of the locality after school time.
- Our immediate needs are—Purchase one more school bus, Construction of Prayer Hall & Purchase of 30 Computers.

(Prof. Z. H. Khan) Chairman

(Prof. M. B. Zaman) Secretary

SHATABDI PUBLIC SCHOOL

Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

بسم اللہ الرحمن الرحیم

"नेकी यह है कि
अल्लाह की मुहब्बत में
अपना दिलपसन्द माल
रिश्तेदारों और यतीमों पर,
मिस्कीनों और मुसाफ़िरों पर,
मदद के लिए हाथ फैलाने
वालों पर और ग़ुलामों की
रिहाई पर ख़र्च करो ।"

(कुरआन)

Ek Hamdard, Ranchi
(Jharkhand)

पत्रकारिता-दमन के काले क़ानून

● संपादन प्रभाग

सरकार की प्रेस-दमन की नीति बहुत पुरानी है । अंग्रेज़ों ने इस सिलसिले में कई काले क़ानून बनाये । 1823 ई॰ में ऐसा ही क़ानून । इसका पहला शिकार राजा राममोहन राय का फ़ारसी समाचार पत्र 'मिरातुल अख़बार' हुआ । उन्होंने उसी दिन अपने पत्र का अन्तिम संस्मरण प्रकाशित करते हुए उसके स्थगित करने की सूचना दी ।

इसी वर्ष भारत के स्थानापन्न गवर्नर जनरल जॉन एडम ने 'कलकत्ता जर्नल' के संपादक जेम्स सिल्क बकिंघम को गिरफ़्तार करके और भारत से निर्वासित करके इंग्लैंड भेज दिया ।

सन 1823 ई॰ का क़ानून सन 1835 ई॰ तक लागू रहा । 1835 ई॰ में उसे सर चार्ल्स मैकडाफ ने रद्द कर दिया । इसका आशय यह था कि भारतीय समाचार पत्रों को इंग्लैंड के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता प्राप्त होगी । परन्तु इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी असंतुष्ट हुए और उन्होंने सर चार्ल्स मैकडाफ को वापस इंग्लैंड बुला लिया और उनके स्थान पर नया गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया ।

सन 1857 ई॰ में जब भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम महासंग्राम हुआ तब पुनः सरकार ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना आवश्यक समझा । अतएव सन 1857 ई॰ का प्रेस अधिनियम जारी किया गया और अस्थायी रूप से मुद्रणालयों की स्थापना तथा समाचार पत्रों एवं पुस्तकों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिये गये । कुछ समय पश्चात से प्रतिबंध हटा भी लिए गये ।

सन 1867 ई॰ में 'रेगुलेशंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड न्यूज़ पेपर्स' का अधिनियम पारित हुआ । इसका उद्देश्य मुद्रणालयों और समाचार पत्रों आदि का प्रकाशन नियमित करना और तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही करना था । इस अधिनियम में सन 1890 ई॰ में तथा 1840 ई॰ में कतिपय संशोधन भी किये गये थे ।

सन 1878 ई॰ में 'भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम' जारी किया गया । इसका उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों में बढ़ती हुई हिंसा और विद्रोह की भावना का दमन करना था । इसके पक्ष और विपक्ष में अनेक प्रकार के विचार व्यक्त किये गये और आंततोगत्वा सन 1882 ई॰ में इसे रद्द कर दिया गया ।

14 मार्च सन 1878 ई॰ को 'वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट' घोषित किया, जिसके अनुसार सरकार को किसी भी देशी भाषा के पत्र के संपादक, प्रकाशक अथवा मुद्रक को यह आदेश देने का यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह यह इक़रारनामा कर दे कि अपने पत्र में ऐसी सूचना या समाचार का प्रकाशन नहीं करेगा, जिससे जनता के हृदय में सरकार के प्रति घृणा या द्रोह की भावना उपजे । इस इक़रारनामे की शर्तों को भंग करने पर पहली बार चेतावनी देने और दूसरी बार प्रेस ज़ब्त कर लेने का सरकार को अधिकार था । इसके अंतर्गत यह भी प्रावधान था कि इस क़ानून के ख़तरे से बचने की इच्छा रखने वाले पत्रकार अपने पत्र के प्रकाशन के पूर्व उसके सभी स्तंभों के प्रूफ़ का सेंसर करा सकते हैं ।

'वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट' (1878 ई॰) के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को यह अधिकार दिया गया कि वे किसी भी समाचार पत्र से ज़मानत ले सकें और किसी भी प्रकाशित सामग्री को ज़ब्त कर सकें । इस एक्ट का भारतीय जनता द्वारा तीव्र विरोध हुआ । 1882 ई॰ में लार्ड रिपन ने इस एक्ट को रद्द कर घोषित कर दिया ।

सन 1878 ई॰ के 'प्रेस क़ानून' के अंतर्गत अंग्रेज़ी और भारतीय भाषाओं के पत्रों में भेदभाव किया गया था । 'प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम' 22 मार्च सन 1867 ई॰ को लागू किया गया था । 1 फ़रवरी 1876 ई॰ तक उसमें अनेक संशोधन हुए । इसके अनुसार प्रत्येक प्रकाशित पत्र और मुद्रक, प्रकाशक, प्रकाशन स्थान का नाम स्पष्ट मुद्रित होना चाहिए । वही मुद्रक छाप सकता है जिसने ज़िला प्रेसीडेंसी या सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में प्रेस स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली हो, प्रत्येक समाचार पत्र के प्रत्येक अंक पर उसके स्वामी तथा संपादक का नाम होना चाहिए तथा साथ में प्रकाशन तिथि भी अंकित

होनी चाहिए, किसी प्रत्र प्रकाशन के लिए मुद्रक और प्रकाशन को ज़िला प्रेसीडेंसी अथवा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता है तथा प्रकाशन की अवधि एवं भाषा आदि से संबंधित सूचना भी देनी होगी, मुद्रक के लिए आवश्यक है कि वह पत्र के स्वामी का लिखित अधिकार पत्र भी अपने घोषणा पत्र के साथ संलग्न करे, पत्र के नाम भाषा, काल, मालिक, मुद्रक आदि में परिवर्तन होते ही नया आज्ञा पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है, घोषणा पत्र पर स्वीकृति के छह सप्ताह (साप्ताहिक आदि) एवं महीने (अन्य समाचार पत्र) के भीतर यदि प्रकाशन न हो तो प्राप्त आज्ञा पत्र रद्द समझा जाएगा, किसी अन्य पत्र का यदि 12 महीने से अधिक समय तक प्रकाशन न हो तो उसका घोषणा पत्र भी बेकार समझा जाएगा, यदि कोई व्यक्ति यह दावा करे कि किसी पत्र के किसी अंक का मैं संपादक नहीं था और किसी त्रुटि के वश उसका नाम छप गया है, तो उसकी सूचना मिलते ही दो सप्ताह के अन्दर वह ज़िला प्रेसीडेंसी अथवा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने अपना प्रार्थना पत्र लेकर उससे प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले ।

प्रेस रजिस्ट्रार अथवा किसी अन्य व्यक्ति की मांग पर पूर्व जांच का समय देने के पश्चात मजिस्ट्रेट घोषणा पत्र को प्रभावहीन घोषित करने का अधिकारी है, घोषणा पत्र के प्रभावहीन घोषित होने पर उसकी अपील 60 दिन के अन्दर प्रेस और रजिस्ट्रेशन अपील बोर्ड के सामने की जा सकती है, प्रत्येक प्रकाशित पत्र की दो प्रतियां राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अधिकारी को नि:शुल्क भेजनी होंगी तथा एक प्रति प्रेस रजिस्ट्रार को, प्रेस नियमों का उल्लंघन करने पर संपादक, प्रकाशक, मुद्रक को दो हज़ार रुपये दंड तथा 6 महीने तक की सज़ा देने का भी प्रावधान है, किसी पत्र का मुद्रक अथवा प्रकाशक न रहने की दशा में मजिस्ट्रेट के समक्ष उस बात की घोषणा तुरन्त करना अनिवार्य है, नहीं तो मुक़दमा चला कर दो सौ रुपये तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है, सरकार और प्रेस रजिस्ट्रार को पत्र के प्रकाशित अंक न प्रेषित करने की स्थिति में 50 रुपये तक जुर्माना हो सकता है । प्रेस क़ानून के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त करती है । प्रेस रजिस्ट्रार समाचार पत्रों का पूर्ण विवरण रखता है । जब किसी पत्र के लिए मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन किया जाता है तो वह घोषणा पत्र की एक प्रति प्रेस रजिस्ट्रार को प्रेषित करता है । निरीक्षण-परीक्षण के बाद प्रेस रजिस्ट्रार तुरन्त पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रकाशक को भेज देता है, यह अनिवार्य है कि हर प्रकाशक अपने पत्र का पूर्ण विवरण हर वर्ष प्रेस रजिस्ट्रार को भेजे । प्रेस रजिस्ट्रार के संकेत पर उसे अपने पत्र में उसका प्रकाशन भी करना आवश्यक है, पत्र प्रकाशकों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रेस रजिस्ट्रार प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट तैयार करता है । यदि कोई प्रकाशक प्रेस रजिस्ट्रार को ग़लत सूचना भेजेगा तो उस पर पांच सौ रुपये तक का अर्थ दंड लगाया जा सकता है । यदि कोई राज्य सरकार चाहे तो केन्द्रीय सरकार से आज्ञा लेकर किसी समाचार पत्र पर प्रेस क़ानून की आंशिक अथवा पूर्ण रूप से लागू न करने की अधिसूचना सरकारी गजट में जारी कर सकती है संपूर्ण देश में यह प्रेस क़ानून मान्य है ।

सन 1889 ई॰ में ब्रिटिश सरकार ने एक क़ानून इस आशय का भी बनाया, जिसके अनुसार यह घोषणा की गयी कि किसी भी समाचार पत्र को यह अधिकार नहीं है कि वह सरकार की गुप्त सूचनाओं अथवा दस्तावेज़ों के आधार पर कोई सूचना, समाचार अथवा संवाद प्रकाशित कर दे ।

1908 ई॰ में समाचार पत्र (अपराधों के भड़काने वाला) अधिनियम जारी किया गया । इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे समाचार पत्रों का अस्तित्व समाप्त करना, जिनमें हत्या अथवा विस्फोटक सामग्री के लिए हिंसापूर्ण कार्य की प्रेरणा देने का अपराध सिद्ध हो । इस अधिनियम के द्वारा ज़िला अधिकारी को हिंसा भड़काने वाले समाचार पत्र को छापने वाले प्रेस को ज़ब्त करने का अधिकार भी दिया गया था । इस अधिनियम को कोप भाजन 'युगांतर', 'संध्या' तथा 'वन्दे मातरम्' आदि को बनना पड़ा और उनका प्रकाशन बंद कर दिया गया ।

सन 1910 ई॰ में 'भारतीय मुद्रणालय अधिनियम' (इंडियन प्रेस एक्ट) जारी किया गया । इसके अनुसार ज़िला अधिकारी 500 रुपये से लेकर दो हज़ार रुपये तक की ज़मानत लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया । इस अधिनियम के द्वारा आपत्तिजनक और विद्रोहात्मक प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया । यह अधिनियम भारतीय समाचार पत्रों के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ और इसके अन्तर्गत 350 प्रेसों और आठ सौ से अधिक प्रकाशनों को दंड का भागी बनना पड़ा । 200 से अधिक प्रेस और लगभग

130 समाचार पत्र आदि इसकी कठोर शर्तों के कारण आरंभ ही न हो सके । अनेक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित पत्र भी इससे प्रभावित हुए, जिनमें 'अमृत बाज़ार पत्रिका', 'बांबे क्रानिकल' , 'दि हिन्दू', 'दि ट्रिब्यून', 'दि पंजाबी' तथा 'हिन्दवासी' प्रमुख हैं । सन 1919 ई० में यह अधिनियम रद्द कर दिया गया ।

सन 1910 ई० के उक्त प्रेस एक्ट के अनुसार 'अमृत बाजार पत्रिका' से पांच हज़ार रुपये की ज़मानत मांगी गयी क्योंकि उसने आसाम के सिलहट जिले में एक डिविज़नल कमिश्नर की रिपोर्ट पर टीका-टिप्पणी की थी ।

'प्रेस आब्जेक्शनेबुल मैटर्स एक्ट' सन 1910 ई० में भारत सरकार ने पास किया था और लाहौर से प्रकाशित दैनिक 'स्वराज्य' को, एक-एक करके 10 संपादकों को जेल भेजने के बाद, इस क़ानून के अंतर्गत बंद करा दिया गया था ।

कृति स्वाम्य अधिनियम अथवा कॉपी राइट क़ानून भारत में 1914 ई० में बनाया गया था । इसका आधार सन 1911 ई० का 'इम्पीरियल कॉपी राइट क़ानून' था । इसके पूर्व सन 1857 ई० में 'रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट' बना था । तदनुसार किसी प्रकाशन की कृतियां सरकार के पास जमा करने से कृति स्वाम्य स्वत: प्राप्त हो जाता है । उसे लिए पृथक पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती । यह अधिकार मूल रूप से लेखक के पास सुरक्षित रहता है । लेखक लिखित रूप से स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के द्वारा यह संपूर्ण अथवा आंशिक अधिकार किसी को दे भी सकता है और विक्रय भी कर सकता है । यह लेखक के पास आजीवन सुरक्षित रहता है । उसकी मृत्यु के पश्चात 50 वर्षों तक भी यह सुरक्षित रहता है । मौलिक कृति के अतिरिक्त अनुवाद का भी कृति स्वाम्य होता है ।

सन 1922 ई० में 'प्रेस लॉ अपील एंड एमेंडमेंट एक्ट' लागू हुआ था । इनके अनुसार विभिन्न प्रकार के अपराधों के भागी प्रकाशनों की ज़ब्ती का प्रावधान था ।

'भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम' अपने मूल रूप में सन 1923 ई० में स्वीकृत हुआ था और मार्च 1967 ई० तक इसमें अनेक संशोधन किये जा चुके हैं । राज्य के हित और सुरक्षा के विरुद्ध निषिद्ध स्थानों पर जाने, उनके विषय में प्रत्यक्ष अथपा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की सूचना शत्रु को देने, सरकारी संकेतों-चित्रों और गुप्त योजनाओं को अनाधिकृत व्यक्ति को देने, आपत्तिजनक सूचनाएं प्राप्त करने, सरकारी मोहरों के अनाधिकृत प्रयोग से जालसाज़ी करने से संबंधित अपराध में एक से चौदह वर्ष तक दंड और जुर्माना इस अधिनियम के अंतर्गत किया जा सकता है ।

सन 1923 ई० में प्रयाग में मोतीलाल नेहरू के 'इंडिपेंडेंट' की स्थापना हुई । इसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लग जाने के कारण यह हस्तलिखित और साप्ताहिक रूपों में प्रकाशित होकर बिकता रहा । इसकी प्रतियों का प्रकाशन, क्रय और विक्रय अपराध घोषित कर दिया गया । उसका विक्रय करने वाले स्वयं सेवक गिरफ़्तार कर लिए जाते थे और पुलिस उसकी प्रतियां छीन कर ज़ब्त कर लेती थीं ।

सन 1926 ई० में 'कटैप्ट ऑफ कोर्ट' एक्ट पास हुआ था । सन 1952 ई० में इसका एक नया अधिनियम बनाया गया । सन 1971 ई० में नया कटैप्ट ऑफ कोर्ट अधिनियम पारित हुआ और यह 24 दिसम्बर 1971 ई० को लागू हुआ । इसके अनुसार दीवानी और फ़ौजदारी दोनों प्रकार के न्यायालय की अवमानना दंडनीय अपराध घोषित किया गया ।

सन 1930 में लार्ड इर्विन ने 'प्रेस आर्डिनेंस' जारी किया । कालांतर में इस आर्डिनेंस को 'प्रेस इमरजेंसी एक्ट' के नाम से एक स्थायी क़ानून का रूप दे दिया गया । इस क़ानून के अन्तर्गत यह प्राविधान था कि सरकार किसी भी पत्र से पांच सौ रुपये से लेकर दो हज़ार रुपये तक की ज़मानत मांग सकती थी । यही नहीं, एक बार ज़मानत की रक़म के ज़ब्त होने पर दूसरी बार एक हज़ार से लेकर दस हज़ार रुपये तक की ज़मानत मांगी जा सकती है । इसके भी ज़ब्त होने के पश्चात सरकार को प्रेस को ही ज़ब्त कर लेने का अधिकार प्राप्त हो गया था ।

सन 1931 ई० में 'भारतीय समाचार पत्र (संकट कालीन अधिकार) अधिनियम' जारी किया गया । इसका उद्देश्य समाचार पत्रों में ऐसी सामग्री के प्रकाशन को प्रतिबंधित करना था जिससे हत्या अथवा हिंसा को किसी भी रूप में प्रोत्साहन मिले । इसके अन्तर्गत संबंधित मुद्रणालयों की ज़मानत को ज़ब्त करने का विधान था । इसी के साथ नये घोषणा पत्र के लिए एक हज़ार रुपये से लेकर दस हज़ार रुपये तक की ज़मानत जमा करायी जा सकती थी और उसी अपराध को दोहराने पर इसे भी ज़ब्त किया जा सकता था । इसके अंतर्गत अनेक पत्रों को दंडित किया गया । 'बांबे

हमारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें

इस्लाम एक सामान्य परिचय	–शैख़ अली तंतावी	90.00
इस्लाम एक स्वयंसिद्ध ईश्वरीय जीवन व्यवस्था	–राजेन्द्र नारायण लाल	25.00
प्यारे नबी की पाक ज़िन्दगी	–एजाज़ुल हक़ क़ुद्दूसी	30.00
इतिहास के साथ यह अन्याय	–बी॰ एन॰ पाण्डे	7.00
मेरे दावती तजुर्बात (प्रथम)	–नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	25.00
ग़लत फ़हमियों का निवारण	–डॉ॰ ज़ाकिर नाइक	25.00
क़ुरआन और हम मुसलमान	–नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	15.00
क़ुरआन का पैग़ाम	–ख़ुर्रम मुराद	10.00
क़ुरआन पर अनुचित आक्षेप	–नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	15.00
हमें ख़ुदा कैसे मिला?	–अब्दुल ग़नी फ़ारूक़	100.00
इस्लाम आतंक या आदर्श?	–स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य	40.00
इस्लाम और इनसान (1-6)	–डॉ॰ सैयद शाहिद अली	84.00
दलित समस्या जड़ में कौन?	–इन्तिज़ार नईम	140.00
हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) और भारतीय धर्म-ग्रंथ	–डॉ॰ एम॰ ए॰ श्रीवास्तव	18.00
इस्लामी सभ्यता	–मुंशी प्रेम चन्द्र	5.00
क़ुरआन पुकारता है "ऐ लोगो..."	–मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी	12.00
आधुनिक नारी	–नुज़हत यासमीन	10.00
इस्लाम एक मात्र रास्ता	–मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी	12.00
शैतानी धोखे के विभिन्न रूप	–डॉ॰ सैयद शाहिद अली	40.00

हमारी सभी पुस्तकें मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

MADHUR SANDESH SANGAM

E-20, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
E-mail : madhursandeshsangam@yahoo.co.in, Ph. : 9212356332

क्रानिकल' सहयोग संबंधों में हस्तक्षेप उत्पन्न करने वाले समाचार पत्रों अथवा पुस्तकों आदि प्रकाशनों के विरुद्ध क़ानूनी कार्यवाही करके उन्हें दंडित करना था ।

सन 1933 ई॰ में 'मुद्रणालय अधिनियम' का अधिकार क्षेत्र बहुत विस्तृत कर दिया गया और उसकी परिधि के अंतर्गत अनेक प्रकार के आन्दोलनकारी प्रकाशनों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार सरकार को मिल गया ।

सन 1934 में 'भारतीय राज्य सुरक्षा अधिनियम' जारी किया गया, जिसका उद्देश्य देशी राज्यों के प्रकाशन पर पत्रकारिता के अकारण आक्रमणों को प्रतिबंधित करना था । इसके अंतर्गत सरकार को समुचित अधिकार दिये गये थे, जिससे वे अपराधी समूहों को दंडित कर सकें ।

15 मार्च सन 1947 तथा 4 अक्तूबर 1947 को भारत सरकार ने एक 'पत्र क़ानून जांच समिति' गठित की थी । इसने अनेक पूर्व पारित क़ानूनों को दृष्टि में रखकर कार्य किया था । इनमें सन 1847 ई॰ का 'प्रेस एंड बुक एक्ट' 1922 ई॰ का 'इंडियन स्टेट्स (प्रोटेक्शन अर्गेस्ट डिसअफ्केशन) एक्ट' सन 1923 ई॰ का 'आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट', सन 1931 ई॰ का 'इंडियन प्रेस (इमरजेंसी पावर्स) एक्ट', सन 1932 ई॰ का 'फॉरेन रिलेशंस एक्ट', सन 1934 ई॰ का 'इंडियन स्टेट्स (प्रोटेक्शन) एक्ट', सन 1860 ई॰ के 'इंडियन पेनल कोड' की धारा 124ए तथा 505, सन 1898 ई॰ के 'क्रिमिनल प्रोजीजर कोड' की धारा 99 ए॰, बी॰, सी॰, डी॰, ई॰, एफ़॰ तथा जी॰, सन 1978 ई॰ के 'कस्टमस एक्ट' की धारा 19, 180ए से लेकर 181 सी॰ तक, 1885 के 'इंडियन टेलीग्राफ़ एक्ट' की धारा 5 सन 1898 के 'इंडियन पोस्ट ऑफ़िस एक्ट' की धारा 25, 26, 27, ए॰, बी॰, सी॰ तथा डी॰ एवं प्रांतीय जनसुरक्षा क़ानूनों की सेंसरशिप और प्रकाशन नियंत्रण संबंधी धाराएं प्रमुख हैं । उक्त कमेटी ने 22 मई सन 1948 ई॰ को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया । उसके अनुसार उस समय भारत में कुल 39 सौ के लगभग पत्र प्रकाशित होते थे जिनकी संपूर्ण प्रसार संख्या 70 लाख थी । इनमें अंग्रेज़ी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के पत्र थे और इनमें से तीन सौ दैनिक समाचार पत्र थे ।

सन 1948 ई॰ में 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया' की स्थाना एक उल्लेखनीय क़दम साबित हुआ, जिससे भारतीय पत्रकारिता के विकास को नयी गति प्राप्त हुई । सन 1948 ई॰ में 'समाचार पत्र क़ानून जांच समिति' की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गयी । इसके अध्यक्ष गंगानाथ झा थे । इसके सदस्यों में केन्द्रीय विधानसभा और 'अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन' के प्रतिनिधि भी थे । इसने अनेक सिफ़ारिशें कीं जिनके परिप्रेक्ष्य में समाचार पत्रों से संबंधित क़ानूनों का पुनरीक्षण किया गया ।

अपने घर को
इस्लाम के प्रकाश से रोशन कीजिए
स्वयं पढ़िए, अपने प्रियजनों, संबंधियों
और अन्य लोगों को भी पढ़ाइए

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
कान्ति
www.kanti.in
सहयोग राशि वार्षिक : Rs. 220/-
आजीवन : Rs. 5,000/-

दावत
دعوت
www.dawatonline.com
सहयोग राशि वार्षिक : Rs. 600/-
आजीवन : Rs. 10,000/-

कान्ति
स्वस्थ चेतना का वाहक हिन्दी साप्ताहिक अख़बार
सहयोग राशि वार्षिक : Rs. 250/-
आजीवन : Rs. 5,000/-

ماہنامہ زندگی نو
सहयोग राशि
वार्षिक
स्वदेश में
: Rs. 220/-
विदेशों में
30 अमेरिकी
डॉलर
आजीवन
: Rs. 5,000/-
www.zindgienau.com

मांगे जाने पर नमूने की प्रति निशुल्क भेजी जाएगी।

MANAGER, DAWAT TRUST,
D-314, DAWAT NAGAR, ABUL FAZL ENCLAVE,
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-110025,
TEL.: Dawat: 09818799113, Kanti: 09818799223,
E-mail: dawattrust@yahoo.co.in

सच्चे ईश्वरवाद की विशेषताएं

■ मौलाना जलालुद्दीन उमरी

संसार में जितने पैग़म्बर और संदेशवाहक आये, सबने पूर्ण सहमति से एक ऐसी हस्ती को स्वीकार किया जो सारी शक्तियों एवं सामर्थ्य का स्रोत है, जो इस ब्रह्माण्ड का रचयिता, प्रभु और व्यवस्था करने वाला है । ब्रह्माण्ड की इस व्याख्या पर उन तमाम पैग़म्बरों का मतैक्य साफ़ बताता है कि उन्हें सीधे तौर पर ब्रह्माण्ड के रचयिता की ओर से ये जानकारियां मिल रही हैं, क्योंकि आज तक सिवाय पैग़म्बरों के इन्सानों का इतना बड़ा वर्ग किसी अदृश्य वास्तविकता पर सहमत नहीं हुआ और फिर पैग़म्बरों ने नैतिकता एवं नेकी की जो शिक्षाएं पेश कीं उनके विषय में कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि वे बुराई एवं अशान्ति का ज़रिया हैं, क्योंकि जब भी उनका परीक्षण किया गया, अच्छे परिणाम सामने आये और इंसानों को सुख-चैन एवं शान्ति प्राप्त हुई । इन शिक्षाओं को अल्लाह के पैग़म्बरों ने दुनिया के सामने पेश ही नहीं किया, बल्कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा उन पर अमल किया । वे उन शिक्षाओं के मूर्त रूप थे । उनके शत्रु भी उनकी नेकी और भलाई को मानते थे । किसी ने उन पर किसी नैतिक अपराध का आरोप नहीं लगाया । इससे पता चलता है कि वे अपने मिशन के प्रति निष्ठावान थे और गंभीरतापूर्वक अपनी और दूसरों की भलाई इसी मिशन में देखते थे ।

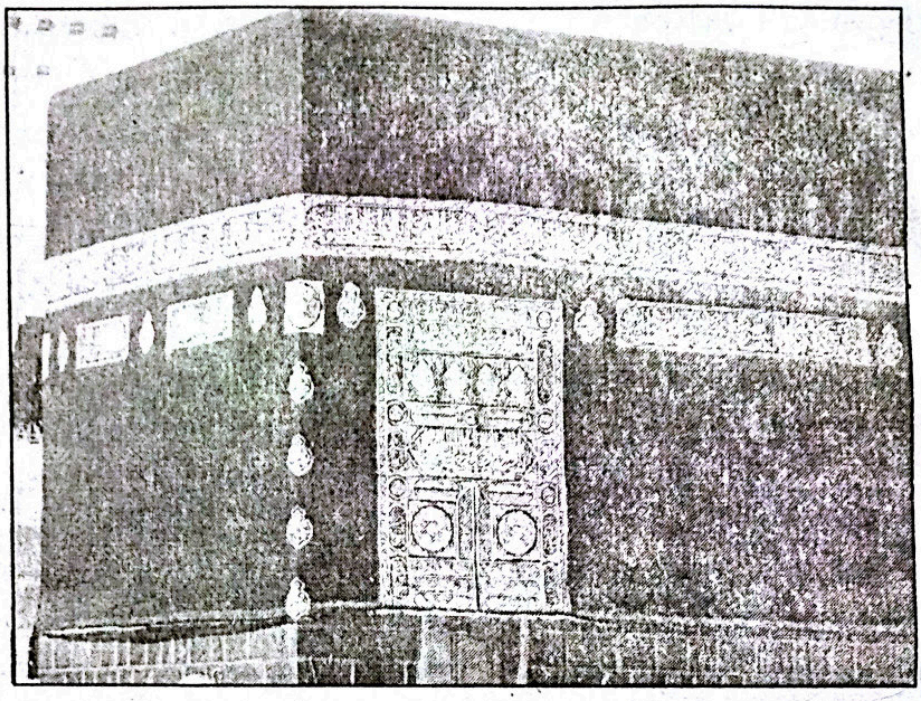

आख़िरी रसूल

इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के साथ छठी सदी ईसवी में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने रसूल होने का ऐलान किया और दावा किया कि इस ब्रह्माण्ड का एक रचयिता एवं प्रभु है । उसी के आदेश से यह ज़मीन एवं आसमान क़ायम हैं । उसी के हाथ में दिन एवं रात के आने-जाने का चक्र है । वही जीवन एवं मृत्यु का मालिक है, वही सेहत एवं तंदुरुस्ती प्रदान करता और रोग से ग्रसित करता है । संक्षेप में यह कि इस ब्रह्माण्ड में केवल उसी का आदेश चल रहा है, उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई पलक भी नहीं झपका सकता । मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने इस दावे के सबूत में ब्रह्माण्ड की एक-एक चीज़ पेश की और इंसानों को समझाया कि वे उसी की बन्दगी एवं ग़ुलामी स्वीकार करें और जो मांगना हो उसी से मांगें, क्योंकि वही इबादत (उपासना) का अधिकार रखता है और अपने बन्दों की मुरादें (मनोकामनाएं) पूरी करने वाला है ।

नीचे हम मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाओं का एक छोटा-सा नमूना क़ुरआन से उद्धृत करते हैं–

"हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उनके बीच में है, उसे खेल के रूप में नहीं बनाया है । यदि हम कोई खिलौना बनाना चाहते और बस यही कुछ हमें करना होता तो अपने ही पास से ऐसा कर लेते । बल्कि हम सत्य को असत्य पर फेंक मारते हैं, वह उसका सिर तोड़ देता है । फिर अचानक बातिल मिट जाता है । तबाही है तुम्हारे लिए उन बातों में जो तुम बयान करते हो । उसी के लिए हैं आसमानों और ज़मीन की सारी चीज़ें और जो उसके पास हैं, वे उसकी इबादत से न तो सरकशी करते हैं और न

अन्याय और अत्याचार का अंत

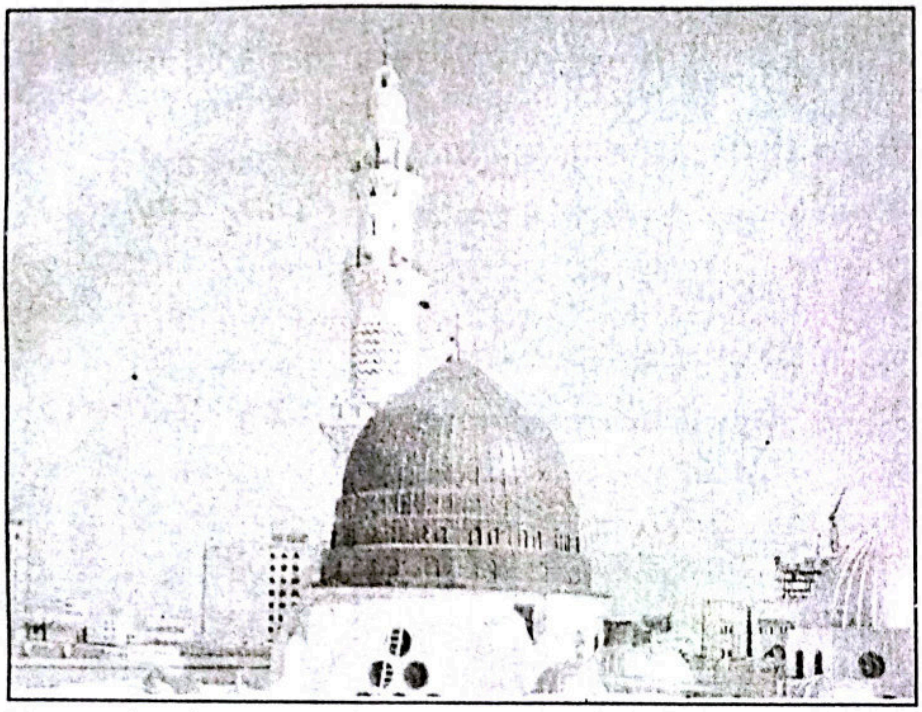

सुस्ती । रात और दिन उसकी तसबीह (गुणगान) करते हैं और थकते नहीं । क्या उन इन्कार करने वालों ने ज़मीन में से अपने लिए ईष्ट-पूज्य बना लिए हैं, जो उन्हें क़ब्रों से उठाएंगे ? यदि आसमान और ज़मीन के अन्दर अल्लाह के अतिरिक्त बहुत-से ईष्ट-पूज्य होते तो (धरती और आकाश) दोनों की व्यवस्था बिगड़ जाती । अत: पाक है अल्लाह, अर्श (सिंहासन) का मालिक उन बातों से जो ये करते हैं और जो कुछ वह करता है उसके संबंध में उससे सवाल नहीं किया जाता, बल्कि ये अपने आमाल (क्रियाकलापों) के बारे में पूछे जाएंगे । क्या उन्होंने सिवाय अल्लाह के बहुत-से ईष्ट पूज्य बना लिए हैं । कहो इनसे कि वे अपना प्रमाण लाएं । यह ज़िक्र है उन लोगों का जो मेरे साथ हैं और उन लोगों का जो मुझसे पहले गुज़र चुके हैं, परन्तु इनमें से अधिकतर हक़ (सच्चाई) को नहीं जानते और वे इससे मुंह मोड़े हुए हैं । हमने तुमसे पहले जिस रसूल को भी भेजा उसकी ओर यह वह्य की कि मेरे सिवा कोई ईष्ट पूज्य नहीं है, अत: तुम मेरी बंदगी करो । ये लोग कहते हैं कि रहमान (अल्लाह) ने अपनी औलाद बना रखी है । पाक है अल्लाह; वे (अर्थात फ़रिश्ते) तो उसके प्रिय बंदे हैं, वे बात में उससे आगे नहीं बढ़ते और उसके आदेश के अनुसार काम करते हैं । अल्लाह जानता है उन सारी चीज़ों को जो उनके आगे हैं और जो उनके पीछे हैं । ये फ़रिश्ते सिवाय उसके किसी की सिफ़ारिश नहीं करते जिससे अल्लाह राज़ी हो और वे उससे डरते रहते हैं । उनमें से जो भी यह दावा करेगा कि अल्लाह के सिवा मैं भी एक ईश हूं, तो हम उसकी इबात पर उसको जहन्नम का बदला देंगे । हम ज़ालिमों को ऐसे ही बदला देते हैं ।''

(क़ुरआन, 21:16-29)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने एक स्रष्टा और स्वामी की बन्दगी की जो शिक्षा दी उसके आधार पर ज़िंदगी का पूरा नक़्शा पेश किया । बन्दगी के तरीक़े तथा पारस्परिक संबंधों के उसूल बताए, क़ानून एवं क़ानून के उल्लंघन पर दंड निश्चित किये । उठने, बैठने, बोलने, लिखने, खाने-पीने और सोने-जागने के आचार सिखाये । पूरी ज़िंदगी को अल्लाह का आज्ञापालक बना दिया और अल्लाह एवं बंदे के संबंध को इस प्रकार मज़बूत किया कि किसी क्षेत्र और किसी स्थिति में उसे कमज़ोर होने नहीं दिया ।

यह ठीक वही शिक्षा है जो बीते ज़मानों में दूसरे रसूल देते रहे । इससे स्पष्ट है कि मुहम्मद (सल्ल०) के ज्ञान का स्रोत भी वही है, जो दूसरे रसूलों के ज्ञान का स्रोत था । अन्यथा यह असंभव है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के दर्शनों और ज्ञानों से बिल्कुल अनभिज्ञ था, जो लिखना-पढ़ना नहीं जानता था और जिसने आलिमों एवं विद्वानों की संगति में जीवन व्यतीत नहीं किया, यहां तक कि कभी किसी विद्वान से मुलाक़ात तक नहीं की, वह ठीक-ठीक वहीं बातें कहे जो सदियों पहले दूसरे रसूल कहते रहे हैं ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने बिना किसी पूर्व ज्ञान एवं अध्ययन के अचानक ख़ुदा की बंदगी की दावत दी और इस विश्वास के साथ दी कि आपकी ज़िन्दगी की एक-एक

अदा से यह विश्वास झलकता था । आप (सल्ल०) के दुश्मनों ने आपको बड़ी-बड़ी तक़लीफें पहुंचायी । हर तरह सताया, भूखा रहने पर विवश किया, गालियां दीं, पत्थर मारे यहां तक कि देश छोड़ने पर मजबूर किया । परन्तु आपकी आस्था एवं विश्वास में नाम मात्र को भी कमी नहीं आयी, बल्कि उसमें वृद्धि होती ही रही । आप (सल्ल०) जिस ख़ुदा की ओर दुनिया को बुला रहे थे उसी ख़ुदा से हर मामले में मदद मांगते, बिल्कुल फ़क़ीरों और मुहताजों की तरह उसके सामने हाथ फैलाते । रो-रोकर उससे अपनी मुरादें मांगते । आपको कई बार ऐसी स्थिति में भी देखा गया कि रात की तनहाई है और आप (सल्ल०) अपने रब के आगे हाथ फैलाये उसकी यातना से पनाह मांग रहे हैं और उसकी दया की भिक्षा चाह रहे हैं । आपको देखने वाली हर आंख गवाही देती कि आप एक ऐसी हस्ती पर आस्था रखते हैं, जो इस ब्रह्माण्ड का रचयिता एवं प्रभु तथा प्रशासक है और स्वयं को उसके मुक़ाबले में अति बेबस, तुच्छ एवं विवश पा रहे हैं ।

हम नहीं कह सकते कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपनी दुनिया बनाने के लिए यह स्वांग रचाया, क्योंकि दुनिया ने देखा है कि सारे अरब पर अधिपत्य के बावजूद आप (सल्ल०) ने एक निर्धन फ़क़ीर की ज़िन्दगी गुज़ार दी ऐश-आराम के साधन होते हुए भी सादा जीवन व्यतीत करने को प्रधानता दी । इस बात को भी पसंद नहीं किया कि बोरिया आदि को छोड़कर किसी गद्देदार बिस्तर पर आराम करें । जब आपके साथियों ने आपके लिए नर्म बिस्तर तैयार करने की इच्छा प्रकट की तो जवाब दिया, "यह दुनिया और मैं ! मुझे इस दुनिया से क्या लेना ? मैं इस दुनिया में एक मुसाफ़िर हूं । जिस प्रकार मुसाफ़िर किसी छाया के नीचे कुछ देर आराम के लिए ठहर जाता है, परन्तु उसे अपनी मंज़िल नहीं समझता, उसी प्रकार यह दुनिया मेरी मंज़िल नहीं है ।"

हम यह भी नहीं कह सकते कि आप (सल्ल०) अपने दावे में झूठे थे, क्योंकि आपके दुश्मनों तक

क़ियामत के दिन अल्लाह इन्सान को संबोधित करेगा–"आदम की औलाद ! मैं बीमार पड़ा रहा, परन्तु तूने मेरी बीमारपुर्सी नहीं की ?"

इंसान कहेगा, "मेरे रब ! तू सारे जगत का पालनहार है, मैं तेरी बीमारपुर्सी कैसे करता ?"

अल्लाह कहेगा, "क्या तुझे नहीं मालूम था कि मेरा अमुक बन्दा बीमार है ? परन्तु उसके बाद भी तू उसकी बीमारपुर्सी के लिए नहीं गया । यदि तू उसके पास जाता तो उसके पास मुझे पाता ।"

अल्लाह कहेगा, "आदम की औलाद ! मैंने तुझसे खाना मांगा परन्तु तूने मुझे खाना नहीं दिया ।"

इन्सान कहेगा, "हे रब ! तू तो सारे जगत का पालनहार है । मैं तुझे कैसे खाना खिलाता ?"

वह कहेगा–'क्या तुझे नहीं मालूम कि मेरे अमुक बन्दे ने तुझ से खाना मांगा, लेकिन तूने उसे खाना नहीं खिलाया । क्या तूने यह बात न जानी कि अगर तूने उसे खाना खिलाया होता तो उस (के सवाब) को मेरे पास पाता । ऐ आदम के बेटे ! मैंने तुझ से पानी मांगा, लेकिन तूने मुझे पानी नहीं पिलाया ? बन्दा कहेगा ऐ रब मैं तुझे कैसे पानी पिलाता, तू तो सारे जगत का रब है । वह कहेगा–मेरे अमुक बन्दे ने तुझ से पानी मांगा लेकिन तूने उसे न पिलाया, अगर तू उसे पानी पिलाता तो उस (के सवाब) को मेरे पास पाता ।" (मुस्लिम)

ने भी आपके सच्चे होने की पुष्टि की है । जो व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में झूठा साबित न हुआ हो, एक विशेष मामले में हम उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाएं तो यह कितना बड़ा जुल्म होगा, जबकि हमारे पास कोई तर्क और प्रमाण भी नहीं है । लोग जब घृणा, नफ़रत, पक्षपात और संकीर्णता से काम लेने लगते हैं तो अनेकानेक समस्याएं पैदा होने लगती हैं । इनमें सबसे बड़ी समस्या सत्य को पहचानने की होती है । स्पष्ट है कि जब सत्य को ही सही ढंग से नहीं पहचाना जाएगा तो उसका जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा । इस स्थिति में मानव की मानसिकता निवृत हो जाएगी । हम देखते हैं कि यूरोप का रहने वाला व्यक्ति एशिया की हर चीज़ को हीनता की दृष्टि से देखता है, अमेरिका का हृदय अफ़्रीक़ा के लिए तंग है और अफ़्रीक़ा अमेरिका से अप्रसन्न है । इसी प्रकार भाषाई और क्षेत्रियता के आधार पर अन्य पक्षपात भी सामने आते हैं ।

इसके समाधान के लिए विश्वव्यापी मानव-समाज की परिकल्पना पेश की जाती है । यानी तमाम क़ौमें अपने साझा-हितों के प्रति संगठित हो जाएं और उनकी प्राप्ति के लिए मिल-जुलकर प्रयास करें । स्वयं भी जीवित रहें और दूसरों को भी जीवित रहने का अधिकार दें । परन्तु यह एक कल्पना मात्र है, व्यावहारिक रूप में इसका समर्थन नहीं होता । इन्सान के हित उसकी सोच और दृष्टिकोण के अधीन होते हैं । इन्सान संधि एवं युद्ध, मित्रता एवं शत्रुता के सारे मामले दृष्टिकोण के आधार पर ही करता है । दृष्टिकोण में यदि विरोधाभास है तो हित भी कभी एक नहीं हो सकते । जो व्यक्ति कम्युनिज़्म को मानता हो, पूंजीवाद की ओर सुलह का हाथ बढ़ाना उसके लिए असंभव है । राष्ट्रवादी मानसिकता अराष्ट्रवादी मानसिकता की उन्नित को सहन नहीं कर सकती । विचार-भिन्नता का इतिहास बताता है कि इससे इन्सानों के बीच सदैव विवाद और लड़ाई रही है । आज यही चीज़ प्रेम एवं स्नेह का साधन बन जाए, यह असंभव है ।

प्रश्न यह है कि जिस भू-भाग से इन्सान को लाभ नहीं प्राप्त होता, जिस क़ौम की आस्थाएं एवं दृष्टिकोण उसकी आस्थाओं एवं दृष्टिकोणों से भिन्न हों, जो भाषा उसकी भाषा से मेल न खाती हो, उससे वह क्यों प्रेम करे ? यह ऐसा स्वाभाविक प्रश्न है कि इसे रद्द नहीं किया जा सकता और विश्वव्यापी मानव-समुदाय की परिकल्पना पेश करने वाले भी अब तक इसका जवाब नहीं दे सके हैं ।

उचित दृष्टिकोण

इस्लाम तमाम इन्सानों को एक समान क़रार देता है और सबके जीवन का उद्देश्य भी एक ही निश्चित करता है, क्योंकि सबका रचयिता और प्रभु एक है । उसने भारतीय के लिए अलग और चीनी के लिए अलग, रूसी के लिए अलग और अमेरिकी के लिए अलग उद्देश्य क़रार नहीं दिया, बल्कि इन्सानों के पैदा करने वाले ने ज़मीन पर बसने वाले प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक गिरोह से उसकी बन्दगी करने को कहा है । इस उद्देश्य के विषय में न तो अजमी (ग़ैर-अरब) यह कह सकते हैं कि यह केवल अरबों के लिए है और न अरब इसे अजमियों का उद्देश्य कह सकते हैं । इसमें प्रत्येक वर्ग एवं वंश और प्रत्येक भू-भाग के इंसानों के लिए आकर्षण पाया जाता है । अपने रचयिता एवं प्रभु और अपने उपकारक की ओर बढ़ना तथा उससे निकट होना इन्सान का स्वभाव है, क्योंकि पग-पग पर वह उसकी ओर उन्मुख होने और उसके दामन में पनाह लेने को विवश है । कठिनाइयों में वह उसका सहारा ढूंढ़ता है और ख़ुशियों में उसके उपकार की कृतज्ञता प्रकट करता है, इसलिए यह सारे इन्सानों का उद्देश्य है । उसको अपनाने में प्रत्येक का अपना व्यक्तिगत लाभ है और उसको ठुकराने में अपनी व्यक्तिगत हानि ।

और फिर अल्लाह की कोई ज़ात-बिरादरी नहीं । उसका कोई ख़ानदान और क़बीला नहीं । उसका अस्तित्व किसी भू-भाग में सीमित नहीं । वह हर जगह मौजूद है और हर एक को देखता, उसकी फ़रियाद सुनता है और मदद करता है । उससे प्रत्येक इन्सान अपना रिश्ता जोड़ सकता है । गोरा, काला, मज़दूर, मालिक, किसान, व्यापारी, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, शासक और शासित सभी उससे अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं । सब उसकी निगाह में समान हैं । सब उसकी ओर बढ़ सकते हैं और उसका सामीप्य एवं प्रेम चाह सकते हैं । कोई व्यक्ति न तो अपने गोत्र और कुल के आधार पर उसके पास उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है और न ही कोई सम्मान एवं पद । उस तक पहुंचने में बदहाली

और निर्धनता न तो रुकावट बनती है और न खुशहाली एवं सम्पन्नता सहायक । वह हर उस व्यक्ति को आगे बढ़कर लेने को तैयार है जो उसकी ओर बढ़े । चाहे वह अफ़्रीक़ा का हो या अमेरिका का, अंग्रेज़ी बोलता हो या अरबी । सम्मान एवं प्रतिष्ठा उसके निकट उस व्यक्ति के लिए है जो अपने आपको उसकी दासता में लगा दे । उसकी यातना से डरे और उसकी रहमतों को प्राप्त करने के लिए तड़प रखे ।

इसी परिप्रेक्ष्य में क़ुरआन में आया है–

"लोगो ! हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें विभिन्न ज़ातों और क़बीलों में बांट दिया, ताकि तुम पहचाने जा सको । निस्संदेह अल्लाह की दृष्टि में तुम में सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है जो तुममें सबसे अधिक परहेज़गार हो । अल्लाह निस्संदेह सब कुछ जानता और ख़बर रखता है ।" (क़ुरआन, 49:13)

जिन लोगों के हृदय अल्लाह के भय से ख़ाली हों और जो उसके आज्ञापालन से मुंह मोड़ें उन्हें उसकी यातना से न तो उनकी शानोशौकत बचा सकती है और न उसकी सत्ता और हुकूमत । इस ज़मीन पर कितनी ही क़ौमें और कितने ही व्यक्ति गुज़रे हैं जिन्हें अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य पर घमंड था, जिन्होंने ख़ुदा की गुलामी से इन्कार किया और ज़मीन पर सरकश एवं विद्रोही बनकर रहे जिसके परिणामस्वरूप वे ज़मीन से अवांछनीय वस्तु की तरह मिटा दिये गये । अल्लाह के रसूल भी अल्लाह को इसलिए प्रिय होते हैं कि वे सबसे अधिक उसके आज्ञापालक एवं फ़रमांबरदार होते हैं । यदि वे उसके आज्ञापालन से मुंह मोड़ें तो उन्हें भी उसकी यातना से कहीं पनाह नहीं मिल सकती । मुहम्मद (सल्ल०) अल्लाह के सबसे अधिक नेक बंदे थे परन्तु आपकी ज़बान से ऐलान कराते हुए क़ुरआन में कहा गया–

"यदि मैं अपने रब की अवज्ञा करूं तो मुझे बड़े दिन (क़ियामत) की यातना (अज़ाब) का डर है ।

(क़ुरआन, 6:15)

यह इस बात का प्रमाण है कि अल्लाह की ज़मीन पर रहने वाले इन्सानों में उसके पुरस्कार एवं सम्मान का अधिकार उन्हीं लोगों को है, जिनके दिलों में उसका डर (तक़वा) हो । तक़वा के अतिरिक्त दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इन्सान को ख़ुदा से निकट कर दे और उसकी पकड़ से बचाए । इन्सानों के बीच वर्ण, वंश, भाषा, विचार, उद्योग-धंधे, राष्ट्रीयता एवं देश का जो अन्तर पाया जाता है वह किसी की महानता अथवा हीनता का प्रमाण नहीं है, बल्कि प्रकृति की अन्य अनगिनत चिन्हों की तरह यह भी एक चिन्ह है, जो बताता है कि इस ब्रह्माण्ड में वास्तविक अधिपत्य एवं सामर्थ्य अल्लाह को ही प्राप्त है । वह जिसे चाहता सुन्दर पैदा करता है और जिसे चाहता कुरूप पैदा करता है । जिसे चाहता है धन-दौलत प्रदान करता है और जिसे चाहता है उससे वंचित कर देता है । जिसे जिस भू-भाग में चाहे पैदा करता है और जो भाषा चाहे सिखाता है । यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी चीज़ को अपनी महानता अथवा दूसरे की तुच्छता समझता है, तो वह प्रकृति की एक बहुत बड़ी निशानी से सबक़ हासिल नहीं कर रहा है । वह उस निगाह से वंचित है जिसमें अल्लाह की निशानियों का अध्ययन करने की योग्यता होती है । इसी संदर्भ में क़ुरआन में आया है–

"उसकी निशानियों में एक यह है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया फिर तुम इन्सान की शक्ल में ज़मीन पर फैल गये । यह भी उसकी निशानियों में से एक है कि उसने ख़ुद तुम्हारे अन्दर से तुम्हारे जोड़े पैदा किये, ताकि तुम उनसे सुकून प्राप्त करो और उसने तुम्हारे बीच प्रेम एवं दया की मनोवृत्ति रख दी । निस्संदेह इसमें सोचने वालों के लिए निशानियां हैं । आसमानों और ज़मीन की रचना और तुम्हारी भाषाओं और वर्णों की भिन्नता भी उसकी निशानियों में से हैं । निस्सन्देह इसमें जानने वालों के लिए निशानियां हैं । उसकी निशानियों में से तुम्हारा रात को सोना और दिन में उसके फ़ज़्ल (आजीविका) को ढूंढ़ना भी है । इसमें (हक़ीक़त को) मानने वालों के लिए निशानियां हैं ।"

(क़ुरआन 30:20-23)

यह परिकल्पना इन्सानों के बीच से हर प्रकार की संकीर्णता एवं भेदभाव को समाप्त करती और उन्हें एक इकाई में तब्दील करती है । इसको मानने के बाद इन्सान के अन्दर सम्मान और अपमान के झूठे भेदभाव कभी उभर नहीं सकते । अल्लाह की बन्दगी का एहसास गुलाम और आक़ा, शासक एवं शासित, राजा एवं प्रजा सबको एक पंक्ति में

खड़ा कर देता है । इतिहास की यह एक दुखद घटना है कि इन्सानों को कल्याण एवं उन्नति के नाम पर स्वार्थ एवं स्वहित जैसी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया । उन्हें गिरोहों और वर्गों में बांटा गया और उनके बीच विवाद एवं झगड़े के कारण पैदा किये गये । इस्लाम के सिवा दुनिया के हर दृष्टिकोण ने इन्सान को इन्सान का हमदर्द और सहानुभूति व्यक्त करने वाला नहीं बल्कि उसका प्रतिद्वंदी और शत्रु बनाया और उन्हें एक-दूसरे के मुक़ाबले में खड़ा किया है । इसके परिणामस्वरूप ख़ानदान एवं क़बीले तबाह हुए, वर्गीय विवाद उभरे और राष्ट्रों के झगड़े अस्तित्व में आये । हत्या एवं अत्याचार, लूटमार एवं बलात्कार के बाज़ार गर्म हुए । अत्याचार की एक दास्तान ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी उससे भयानक दास्तान शुरू हो गयी । हद तो यह कि इस अत्याचार एवं जुल्म के लिए कभी-कभी तो इतनी बात काफ़ी समझ ली गयी कि अमुक व्यक्ति का संबंध दूसरी क़ौम से है अथवा अमुक क़ौम वह भाषा नहीं बोलती, जो हम बोलते हैं अथवा उस भू-भाग से संबंध नहीं रखती जिससे हम रखते हैं । किसी भी देश और राष्ट्र पर आक्रमण के लिए जर्मनों ने यह तर्क काफ़ी समझा कि उसका संबंध जर्मन क़ौम से नहीं है । कोई ऐसा दृष्टिकोण आज तक नहीं पेश किया जा सका, जो जुल्म एवं अत्याचार को समाप्त करने वाला हो, जिसकी बुनियाद इन्सानियत के हर तबक़े के साथ न्याय पर हो और जो इन्सानों को एक-दूसरे के भाई की हैसियत से सामने लाए । इसके लिए जब इस्लाम की ओर नज़र उठती है तो फिर किसी दूसरी ओर देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती ।

अत्याचार एवं अन्याय का अंत

हक़ीक़त यह है कि ख़ुदा की ख़ुदाई में यक़ीन और उसकी बन्दगी के एहसास ही से शोषण, लूट-खसोट, घृणा, शत्रुता अत्याचार और अन्याय समाप्त होता है और उसकी जगह एक-दूसरे की शुभेच्छा, हमदर्दी और भाईचारे की मनोवृत्ति उभरती है, क्योंकि अल्लाह की बंदगी इन्सानों से दो चीज़ों की मांग करती है । एक यह कि वह अपनी भावनाओं एवं अनुभूतियों को उसकी भेंट चढ़ा दे, उसकी प्रशंसा एवं प्रार्थना करे, उसकी यादों में डूब जाए, उसके सामने हाथ जोड़कर ख़ड़ा हो, अपना सिर झुका दे और नम्रता के साथ उसके दर पर गिर पड़े । इसका नाम इबादत है । ख़ुदा की बन्दगी दूसरी मांग यह करती है कि अपनी शक्तियों, योग्यताओं और अपनी तमाम प्रिय चीज़ों की क़ुरबानी पेश की जाए । उसका व्यावहारिक रूप ख़ुदा के बन्दों की सेवा करना है । ख़ुदा के बन्दों की मदद करना ख़ुदा की मदद करना है । उनके काम आना ख़ुदा के काम आना है । यदि आपके समक्ष ख़ुदा का कोई बंदा हाथ फैलाए और आप उसे ख़ाली लौटा दें तो मानो आपने ख़ुदा के हाथ को ख़ाली लौटाया । कोई रोगी आपकी मदद का मुहताज हो यदि आपने उसकी मदद से इन्कार कर दिया तो मानो ख़ुदा की मदद से इन्कार कर दिया । ख़ुदा को ख़ुश करने के लिए ज़रूरी है कि ख़ुदा के बन्दों को ख़ुश किया जाए । आसमान वाला उसी समय प्रसन्न होगा जब ज़मीन वाले प्रसन्न हों । इस हक़ीक़त को मुहम्मद (सल्ल०) ने एक वार्तालाप के रूप में अति प्रभावी एवं रोचक अन्दाज़ में बयान किया है । क़ियामत के दिन अल्लाह इन्सान को संबोधित करेगा–

''आदम की औलाद ! मैं बीमार पड़ा रहा, परन्तु तूने मेरी बीमारपुर्सी नहीं की ?''

इंसान कहेगा, ''मेरे रब ! तू सारे जगत का पालनहार है, मैं तेरी बीमारपुर्सी कैसे करता ?''

अल्लाह कहेगा, ''क्या तुझे नहीं मालूम था कि मेरा अमुक बन्दा बीमार है ? परन्तु उसके बाद भी तू उसकी बीमारपुर्सी के लिए नहीं गया । यदि तू उसके पास जाता तो उसके पास मुझे पाता ।''

अल्लाह कहेगा, ''आदम की औलाद ! मैंने तुझसे खाना मांगा परन्तु तूने मुझे खाना नहीं दिया ।''

इन्सान कहेगा, ''हे रब ! तू तो सारे जगत का पालनहार है । मैं तुझे कैसे खाना खिलाता ?''

वह कहेगा–'क्या तुझे नहीं मालूम कि मेरे अमुक बन्दे ने तुझ से खाना मांगा, लेकिन तूने उसे खाना नहीं खिलाया । क्या तूने यह बात न जानी कि अगर तूने उसे खाना खिलाया होता तो उस (के सवाब) को मेरे पास पाता । ऐ आदम के बेटे ! मैंने तुझ से पानी मांगा, लेकिन तूने मुझे पानी नहीं पिलाया ? बन्दा कहेगा ऐ रब मैं तुझे कैसे पानी पिलाता, तू तो सारे जगत का रब है । वह कहेगा–मेरे अमुक बन्दे ने तुझ

से पानी मांगा लेकिन तूने उसे न पिलाया, अगर तू उसे पानी पिलाता तो उस (के सवाब) को मेरे पास पाता।''(मुस्लिम)

कुरआन में है–तुम ने देखा उस व्यक्ति को जो आख़िरत के प्रतिदान और सज़ा को झुठलाता है ? वही तो है जो अनाथ को धक्के देता है और मुहताज को खाना देने पर नहीं उकसाता फिर तबाही है उन नमाज़ पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज़ से ग़फ़लत बरतते हैं जो दिखावे का काम करते हैं और जिनके दिल ज़रूरतमन्दों और मुहताजों के हक़ में नर्म नहीं पड़ते। वे उन्हें धुतकारते और धक्का देते हैं। उनकी संकीर्ण हृदयता का यह हाल है कि आम उपयोग की चीज़ें तक किसी को नहीं देते। (कुरआन अल माऊन)

इससे मालूम होता है कि कुरआन मुहताजों की मदद को अनिवार्य समझता है। वह इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि एक चीज़ हो और दूसरी चीज़ न हो, क्योंकि ये दोनों धाराएं एक स्रोत से निकली हैं। जो दिल अल्लाह के प्रेम से भरा हो उसे बन्दों की मुसीबत में बेचैन होना चाहिए। यही कारण है कि कुरआन अल्लाह की बन्दगी और अल्लाह के बन्दों के साथ सहानुभूति एवं भलाई चाहने का एक साथ उल्लेख करता और उन्हें एक समान महत्व देता है। उसके निकट वे बिल्कुल एक-दूसरे के पूरक हैं। कभी-कभी तो उसने सहानुभूति और हमदर्दी को इबादत का विकल्प ठहराया है। मानो इन्सानों के साथ भलाई करने का संबंध उनके रब से संबंध का प्रमाण है।

'रोज़ा' विशुद्ध इबादत का एक रूप है, जिसमें इन्सान अल्लाह के लिए भूखा-प्यासा रहता है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, परन्तु आप देखेंगे कि कुरआन मुसीबत में घिरे इन्सानों की मदद और उनका भला चाहने को उस विशुद्ध इबादत के बराबर कर देता है।

यदि कोई व्यक्ति अपनी बीवी को मां घोषित कर दे और फिर उससे रुजू करना चाहे तो प्रायश्चित के रूप में एक गुलाम आज़ाद करे या निरंतर साठ रोज़े रखे या साठ मुहताजों को खाना खिलाए (कुरआन, 58:3)। क़सम का प्रायश्चित यह बयान किया गया है कि दस मुहताजों को खाना-कपड़ा दिया जाए या किसी गुलाम को आज़ाद किया जाए या तीन दिन के रोज़े रखे जाएं। (कुरआन, 5:89)

जो व्यक्ति हज का समय आने तक उमरा (दर्शन) से लाभ उठाना चाहे उसके लिए आदेश है कि वह कुरबानी दे और यदि कुरबानी का जानवर न मिले तो दस रोज़े रखे। (कुरआन, 2:196)

इन आदेशों में गुलाम आज़ाद करने, मुहताजों को खाना-कपड़ा देने और कुरबानी को रोज़े के बराबर हैसियत दी गयी है।

इबादतों में जो त्रुटि रह जाए उसकी भरपाई का भी यही उपाय बताया गया है कि खुदा के बन्दों के साथ भलाई की जाए। 'इहराम' की हालत में बाल मुंडवाने पर प्रतिबंध है यदि किसी कष्ट के कारण इन्सान को बाल मुंडवाना पड़े तो आदेश है कि रोज़ा रखे या कुरबानी दे या सदक़ा करे। (कुरआन, 2:196)

रमज़ान के रोज़ों के बाद फ़ितरा दान) की व्यवस्था की गयी है और इसकी यह वजह बतायी गयी है कि इससे रोज़ों में जो बुरे एवं अप्रिय कार्य हो जाते हैं, उनकी भरपायी हो जाती है। (अबू दाऊद)

इससे भी आगे की बात यह कि जो लोग अपने बुढ़ापे या रोग के कारण रेज़ा न रख सकें, उन्हें रोज़े के बदले किसी मुहताज को खाना खिलाने का आदेश है।

खुदा की नेमतों का एहसास

ये दलीलें इस बात का सबूत हैं कि इबादत और लोगों के प्रति सहानुभूति एवं उनकी सहायता में गहरा एवं निकट संबंध है। इबादत की रूह यह है कि इन्सान की खुदा की नेमतों और एहसानों को जब सोचे तो कृतज्ञता की भावना से उसका दिल चमक जाए और वह व्याकुल होकर स्वयं को खुदा के सामने डाल दे। लोगों के प्रति सहानुभूति और उनकी सहायता के पीछे यही रूह काम कर रही है। इन्सान जब देखता है कि उसे देखने को आंख, बोलने को ज़बान, सोचने-समझने के लिए बुद्धि और जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हैं और दूसरे खुदा के बन्दे इन नेमतों से वंचित हैं। उन्हें जीवित रहने के लिए खाना-कपड़ा प्राप्त नहीं है, तो सहसा वह खुदा का शुक्र बजा लाता है और अपनी दौलत का एक हिस्सा उनके लिए निकाल देता है। वह सोचता है कि यदि आज मैं खुदा के ज़रूरतमन्द बन्दों के काम आऊं तो शायद कल क़ियामत के दिन खुदा मुझे किसी ज़रूरत से बचाए। आज यदि मैं किसी बन्दे को

कपड़ा पहनाऊं तो कल शायद ख़ुदा मुझे नग्नता से बचा ले और यदि किसी भूखे को खाना खिलाऊं तो ग़रीबी और मुहताजी से मुक्ति दे ।

ख़ुदा की नेमतों को पाने के बाद यदि किसी के अन्दर यह भावना न उभरे तो इसका मतलब यह है कि उसका दिल ख़ुदा की नेमतों के एहसास से ख़ाली है । ख़ुदा को छोड़कर अन्य की इबादत करने वालों की मानसिकता की यही ख़राबी है कि वह अपने अस्तित्व और इस ब्रह्माण्ड से लाभ तो उठाती है, परन्तु उसे ख़ुदा का दिया हुआ नहीं समझती । उसके निकट नेमतों से भरी यह दुनिया मात्र संयोग का करिश्मा है और यह भी एक संयोग ही है कि उसके अपने अस्तित्व में शक्तियों और योग्यताओं का भंडार एकत्र हो गया है जिसके द्वारा वह इस ब्रह्माण्ड से लाभ उठा रही है । यह परिकल्पना इन्सान के अन्दर से दया और प्रेम की भावनाओं को समाप्त करने वाली है । इन्सान को जो कुछ मिला है यदि वह किसी का दिया हुआ नहीं है तो इसमें किसी का कोई हिस्सा भी नहीं हो सकता । अनेक ख़ुदाओं को मानने वाला मस्तिष्क ख़ुदा की कल्पना तो करता है, परन्तु यह कल्पना धुंधली और अस्पष्ट होती है । वह इन्सान को ख़ुदा की नेमतों को समझ पाने का वास्तविक विवेक नहीं प्रदान करता । क़ुरआन इन्सान के अन्दर यह सोच उभारता है कि इस दुनिया में जो कुछ तुम्हें मिला है, वह ख़ुदा की ओर से मिला है, इसलिए स्वयं ही उसके बन्दों का हक़ उसमें वाजिब हो गया है । इसी संदर्भ में क़ुरआन में आया है–"क्या हमने उसे दो आंखें और एक ज़बान और दो होंठ नहीं दिये और उसे (भलाई और बुराई) की दोनों राहें नहीं दिखायीं ? परन्तु वह घाटी पर नहीं चढ़ा। तुम जानते हो यह घाटी क्या है ? गर्दन का छुड़ाना (ग़ुलाम आज़ाद करना) या फ़ाक़े के दिन खाना खिलाना निकटवर्ती अनाथ को या बदहाल मुहताज को ।" (क़ुरआन, 90:8-16)

नेमतों को ख़ुदा की ओर से समझना कृतज्ञता का एहसास पैदा करता है और इन्सान को दूसरों के प्रति निष्ठावान और भला चाहने वाला बनता है । दूसरों को देते हुए उसे यह ख़याल नहीं होता कि वह उन पर एहसान कर रहा है बल्कि ख़ुदा की कृपा एवं दया का एहसास उसके अन्दर जाग उठता है । वह सोचता है कि आज जो नेमतें मुझे प्राप्त हैं उन्हें प्राप्त करने में मेरी कोशिशों एवं मेहनतों का कोई हाथ नहीं है उनसे मैं वंचित भी हो सकता था और ये मुझसे छिन भी सकती है । यह एहसास आदमी को विवश करता है कि जो नेमतें उसे मिली हैं उन पर सांप की तरह क़ब्ज़ा न जमाए रहे, बल्कि उन्हें ख़ुदा का अनुदान समझ कर उसकी राह में ख़र्च करे ।

इस्लाम के निकट इसी भावना का वास्तविक मूल्य है । यदि यह भावना न हो तो आदमी हज़ार ख़र्च करे इस्लाम उसे निष्फल समझता है । यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी धूल जमी चट्टान पर इस उम्मीद पर बीज छींट दे कि उससे खेती होगी । इस भावना को उभारने के साथ इस्लाम ने निश्चित रूप से बताया कि न्याय एवं इन्साफ़ के उसूल क्या हैं और ज़ुल्म की सीमा कहां से शुरू होती है ? अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ किन आधारों पर मामला करना चाहिए और वे कौन से तरीक़े हैं जो उनके मामलों को ग़लत और झूठा बना देते हैं ? इस प्रकार उसूल निर्धारित करने के बाद व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आसान हो जाता है कि वे इस कसौटी पर इन्सान के मामलों का जायज़ा ले सके और उनमें जो ग़लती हो उसका सुधार करे ।

जो संबंध ख़ुदा पर यक़ीन और उसकी हिदायत की बुनियाद पर अस्तित्व में आये और जो संबंध दूसरे कारकों के नतीजे में पैदा हों, उन दोनों में ज़मीन और आसमान का अन्तर है । पहले प्रकार के संबंध उस समय तक टूट नहीं सकते, जब तक कि ख़ुदा का आदेश उन्हें न तोड़ दे, परन्तु दूसरे प्रकार के संबंध हर क्षण टूट सकते हैं । ख़ुदा पर यक़ीन रखने वाला इन्सान उन तमाम संबंधों को निभाने पर विवश है जिनके निभाने का ख़ुदा ने आदेश दिया है, चाहे उसकी इच्छा हो या न हो, चाहे उसके साथ ज़ुल्म हो या इन्साफ़, परन्तु जिस व्यक्ति को ख़ुदा पर यक़ीन न हो वह हर उस संबंध को तोड़ सकता है, जिसमें उसका नुक़सान हो और अगर उसका फ़ायदा हो तो अपने निकटतम संबंधी को भी धोखा दे सकता है । वह जवाबदेही के भय से ख़ाली होता है इसलिए उससे हर प्रकार की बेवफ़ाई संभावित है, परन्तु एक मोमिन (ईमान वाला) अपने दुश्मन के साथ भी धोखा और बेवफ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ख़ुदा इससे रोकता है ।

मुनअम पब्लिक स्कूल

(सी०बी०एस०ई०, दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त, 10+2, ईंग्लिश मिडियम विद्यालय)
महाराजगंज, पो० दादपुर, जिला हजारीबाग, झारखण्ड।

नामांकण सुचना

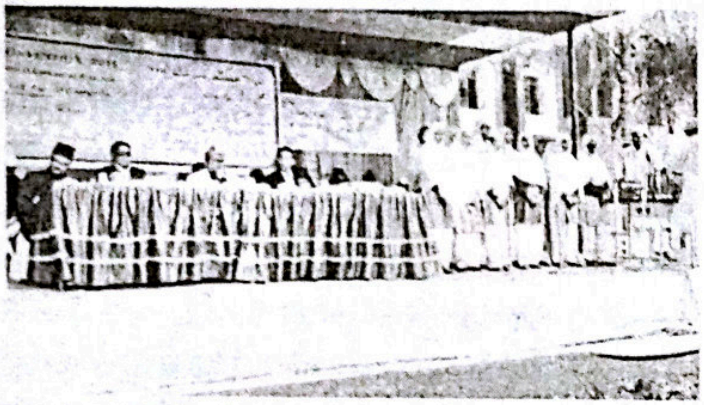

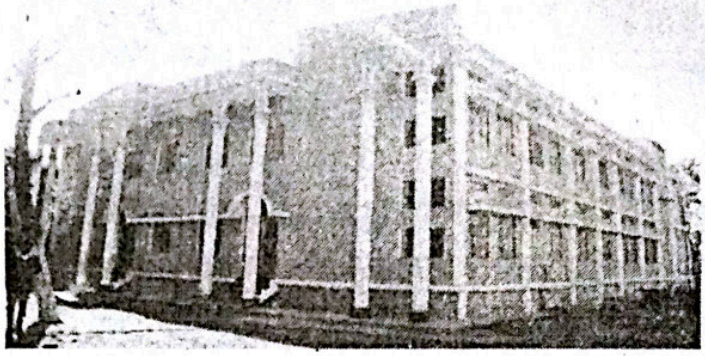

हजारीबाग के प्राकुतिक सौन्दर्य से भरपुर पहाडी क्षेत्र में स्थापित, विशाल कैम्पस में फैला एक अति-आधूनिक शैक्षणिक संस्था जहां छात्र-छात्राओं के लिए माडर्न स्कूल की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं।

सफलता का सत्रहवां साल - मुस्लिम लडकीयों के लिए नायाब तोहफा

लडकीयों के लिए 100 बेड का शानदार हॉस्टल

सत्र 2013-2014 के लिए छात्रावास में रह कर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र-छात्राएं 150/- रू० अदा कर के फार्म एंव प्रास्पेक्टस स्कूल काउंटर से प्राप्त करें या 175/- रू० का ड्राफ्ट भेज कर डाक से भी प्राप्त किया जा सकता हैं। विशेष जानकारी हेतु सम्पर्क करें -

मो० 09431530878, Website : munammission.org
E-mail-munam_school2000edu@yahoo.com

एस०एम० नईम
डायरेक्टर
एम०ए०, बी०एड

वकील अहमद
प्रिन्सिपल
बी०एस०सी०, बी०एड

अल्लाह की महानता

❖ मुनव्वर हुसैन

अल्लाह शब्द दो शब्दों के योग से बना है । इस शब्द का मूल इलाह है । अरबी भाषा में अल+ इलाह=अल्लाह हो जाता है । अल अंग्रेज़ी के 'दी' (The) की भांति अव्यय है । और इलाह का अर्थ है–उपास्य । अल्लाह शब्द, जो वास्तव में 'अल-इलाह' था, इसी का पर्यायवाची है । अल्लाह शब्द का अर्थ उस विशिष्ट सत्ता से है, जो सर्वथा इलाह (उपास्य) है, अनंत सीमा तक रहस्यमय, महान एवं अपार शक्ति का स्वामी है ।

अल्लाह शब्द की प्राचीनता

'अल्लाह' शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है । इस शब्द का न कोई बहुवचन है और न कोई लिंग । सभी ईश ग्रंथों में यह शब्द अल्लाह ने स्वयं के लिए प्रयुक्त किया है ।

आदि ग्रंथ वेद ईश ग्रंथ हो या न हो; परन्तु यह सत्य है कि वेदों में अल्लाह शब्द बहुत से मंत्रों में प्रयुक्त हुआ है । ऋग्वेद का पहला मंत्र 'अग्निमीले...' (हम अग्नि की उपासना करते हैं) दो शब्दों अग्निम+ ईले के योग से बना है । अग्नि का अर्थ है अग्रिणी, जो ईश्वर का एक गुणात्मक नाम है । ईले का अर्थ है उपास्य । ईले और इलाह दोनों ही इड्स्तुतौ धातु के शब्द हैं और उपास्य के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । इसके अतिरिक्त 'अला' या 'अल्ला' शब्द ऋग्वेद मंडल 9, सुक्त, 67 मंत्र 30 में 'अलाय्यास्य परशुर्ननाश' तथा ऋग्वेद मंडल 3, सूक्त 30 मंत्र 10 में 'अलातृणो वल इन्द्र ब्रजो गो: पुरा हन्तोर्भयमानो व्यार' तथा ऋग्वेद मंडल 4 सूक्त 28 मंत्र 3 में 'इलायास्त्वा पदे वयं नाभा पृथिव्या अधि' आदि के रूप में प्राप्त होता है ।

पंडित सुन्दर लाल ने अपनी पुस्तक–'गीता और कुरआन' में लिखा है–'कुरआन में खुदा के लिए अल्लाह नाम प्रयुक्त हुआ है । ऋग्वेद में ईश्वर के लिए जो नाम प्रयुक्त हुए हैं, उनमें से एक 'इला' है, जिसका मूल माद्दा 'इल' या 'एल' है और जिसका अर्थ है– ईश्वर की स्तुति एवं वंदना करना, उपासना करना । लगभग छह हज़ार वर्ष पूर्व सुमेरिया की भाषा में 'एल' का शब्द ईश्वर के लिए था ।

''सुमेरियन नगर बाबलून का शब्द वास्तव में 'बाब-एल' था अर्थात अल्लाह का द्वार । यही वह शब्द था जिसके द्वारा इसका किसी न किसी रूप में इबरानी, सुरयानी और कल्दानी भाषाओं में ईश्वर का अर्थ लिया जाता था । साधारण रूप एलिया, इलोह था । यह बिल्कुल खुली हुई बात है कि ऋग्वेद के काल से वर्तमान काल तक अल्लाह का शब्द किसी न किसी रूप में ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता आया है ।''

इसी प्रकार अरबी एवं संस्कृत के आर्य समाजी विद्वान श्री गंगा प्रसाद उपाध्याय ने भी अपनी पुस्तक 'मिस्बाह-उल-इस्लाम' में लिखा है–''हम नहीं जानते कि हज़रत आदम जिनको इस्लाम धर्मावलंबी सबसे पहला मानव स्वीकार करते हैं, किस भाषा को बोलते थे और ईश्वर के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे । प्रत्येक पूज्यनीय वस्तु को इलाह कहते हैं और केवल 'अल' लगाकर अल्लाह एक एकमेव उपास्य के लिए विशिष्ट हो गया है । ऋग्वेद में जो लाखों वर्ष पहला ग्रंथ माना जाता है ईश्वर के लिए एल्लिय: का शब्द प्रयोग होता है । एल्लिय: का शाब्दिक अर्थ है पूज्यनीय हस्ती । वेद में यह शब्द अल्लाह की जात के लिए विशिष्ट रूप में प्रयुक्त हुआ है । वेद मंत्र (2/9/9) का स्पष्ट अर्थ है–'अल्लाह, तू नये और पुराने, छोटे और बड़े सभी लोगों के लिए पूज्यनीय है, तुझे ज्ञान वाले ही समझ सकते हैं ।''

सुप्रसिद्ध इस्लामी विद्वान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी अपने कुरआन भाष्य- 'तर्जुमान-उल-कुरआन' में लिखा है, ''उन तमाम क़ौमों में एक अनदेखे खुदा की हस्ती का विश्वास मौजूद था और वह अल, इलाह या अल्लाह के नाम से पुकारा जाता था । यही 'इलाह' है जिसने कहीं 'एल' का रूप धारा, कहीं 'इलोह' का और कहीं 'इलाहिया' का ।''

तात्पर्य यह कि एल, एलिया, इलोह, इला, इलाह, ईले आदि सब एक ही धातु के शब्द हैं, जो उपास्य के अर्थ में विभिन्न धर्मग्रंथों में प्रयुक्त हुए हैं ।

अल्लोपनिषद में अल्लाह विषयक वर्णन

अल्लोपनिषद सनातन धर्म के मान्य उपनिषदों में से एक है । इस उपनिषद में अल्लाह विषयक वर्णन मौजूद है । अल्लोपनिषद दो शब्दों अल्ला+उपनिषद के योग से बना है । एतदतिरिक्त अल्लो पुराण में भी अल्लाह विषयक वर्णन मौजूद था, जो अब लुप्त हो चुका है । नीचे अल्लोपनिषद का एक अंश दिया जा रहा है–

हरि ॐ वरुण न दिव्यानुदान इलल्ले मित्र ही अस्मललां इलल्ले मित्रा वरुणा । द्वव्यानि धत्ते इलल्ले वरुणो राजा पुनदर्दुः । यह यामि मित्रो इल्लां इलल्ले इल्लां वरुण मित्रा ताजकामः ।।। हुं होतारमिन्द्रों होता इन्द्रो रामा हासुमिन्द्रा । अल्लो ज्येष्टं श्रेष्टं परमं पूर्ण ब्रह्मण अल्लाम (2) हां अल्लो रसूल महंमद रकवरस्य अल्लो-अल्लां आदला वुमेककं अलावृकं निखातकम् (3)

अर्थ–उस देव का नाम अल्लाह है । वह एक है । मित्र और वरुण आदि उसके विशेषतावादी नाम हैं । निश्चय ही अल्लाह वरुण है, जो समस्त ब्रह्माण्ड का राजा है । मित्र, उस अल्लाह को अपना पूज्य समझो । वह वरुण है और एक मित्र की भांति सभी लोगों के काम संवारता है । वह इन्द्र है, महान इन्द्र । अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ, सर्वाधिक पूर्ण और सर्वाधिक पवित्र है । मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के महानतम रसूल (सन्देष्टा) हैं । अल्लाह आदि और अंत अखिल जगत का प्रभु है । सभी अच्छे कृत्य अल्लाह के लिए ही हैं । वास्तव में अल्लाह ही ने ये सूर्य, चन्द्रमा और ग्रहों को पैदा किया है ।

स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक उपनिषद मंजरी में लिखा है कि सनातनी हिन्दुओं ने अल्लहोपनिषद लिखकर अथर्ववेद में दाख़िल कर दिया और यह खुला हुआ हस्तक्षेप है । यद्यपि अल्लहोपनिषद को स्वीकृत पुस्तकों में वेदांग माना जाता है । आश्चर्य है स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह आपत्ति किया है जबकि उनका वेद भाष्य अल्लहोपनिषद की प्रकृति का ही है ।

क़ुरआन में अल्लाह के विभिन्न नाम

ईश्वर के अंतिम ग्रंथ क़ुरआन में अल्लाह के कुल 100 नाम वर्णित हुए हैं । इन नामों में केवल एक नाम 'अल्लाह' व्यक्तिवाचक है । शेष सभी नाम गुणात्मक हैं । ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह शब्द एक विशेष पूज्य की ओर संकेत करता है । और वह विशेष पूज्य वह है जो शेष सभी 99 विशेषताओं से युक्त है । ये सभी विशेषताएं एक ही निराकार अल्लाह के सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं । क़ुरआन में वर्णित है–'एक अल्लाह के सिवाय कोई पूज्य नहीं । उसके बहुत से अच्छे-अच्छे नाम हैं ।'' (क़ुरआन सूरह ताहा : 8)

क़ुरआन में वर्णित अल्लाह क़े सभी नामों की सूची एवं उनके अर्थ निम्न हैं–

1. अल्लाह–पूज्य
2. रहीम–दयालु (सब पर) 3. क़ुद्दूस–निर्विकार
4. मुअमिन–शान्तिदाता
5. अज़ीज़–प्रबल
6. मुतकब्बिर–गुणोत्कृष्ट
7. बारी–कर्तार
8. वह्हाब–महादाता
9. ग़फ़्फ़ार–क्षमाशील
10. रहमान–करुणाशील
11. मालिक–अधीश्वर
12. सलाम–कल्याणकारी
13. मुहैमिन–त्राता
14. जब्बार–ताडक (बिगड़ी को बनाने वाला)
15. ख़ालिक़–स्रष्टा
16. मुसौविर–चितेरा
17. क़ह्हार–नियंत्रक
18. रज़्ज़ाक़–अन्नदाता
19. अलीम–ज्ञानस्रोत, सर्वज्ञ
20. बासित–विकासमय (किसी को अधिक रोज़ी देने वाला)
21. राफ़ी–उन्नायक
22. फ़त्ताह–उद्घाट पिता
23. क़ाबिज़–अधिष्ठाता
24. ख़ाफ़िज़–दलनकर्त्ता (ऊंचे को नीचे करने वाला)
25. मुइज़्ज़–प्रतिष्ठादाता
26. समीअ–सर्वश्रोता
27. मुज़िल्ल–प्रभावकारी
28. हकम–निर्णायक

29. लतीफ़–सूक्ष्मदर्शी
30. बसीर–सर्वद्रष्टा
31. आदिल–न्यायकारी
32. अली–सर्वोच्च
33. ग़फ़ूर–क्षमावान
34. अज़ीम–महान
35. शकूर–गुणग्राही
36. हलीम–सहनशील
37. ख़बीर–सर्वज्ञ
38. करीम–कृपालु
39. कबीर–श्रेष्ठ, बड़ाई रखने वाला
40. हसीब–निरीक्षक
41. हफ़ीज़–संरक्षक
42. जलील–पूज्य, व्यक्तित्व में बड़ा
43. मुक़ीत–जीविका स्रोत
44. रक़ीब–द्रष्टा
45. मजीद–मान्य, ऊंचे कर्तव्य वाला
46. हकीम–तत्वज्ञ
47. मुजीब–कामदानाथ, पुकार का उत्तर देने वाला
48. वदूद–मित्र, दूसरे को चाहने वाला
49. बाइस–बीज रूप, मरने के बाद पुनः उठाने वाला
50. वासिअ–विशाल
51. वली–अभिभावक, दोस्ती रखने वाला
52. शहीद–साक्षी
53. क़वी–शक्तिमान
54. हक़्क़–सत्य
55. मतीन–पुष्टि करने वाला, शालीन
56. वालि–काम बनाने वाला
57. मुमीत–संहर्त्ता
58. हमीद–स्तुत्य
59. मुह्यी–प्राणदा
60. मुह्सी–परिवेष्टक
61. मुईद–आवर्तक, दुबारा पैदा करने वाला
62. हैय–चेता
63. क़य्यूम–अक्षर (अविनाशी)
64. अहद–अद्वितीय
65. वाहिद–एक
66. माजिद–पावन (कर्त्तव्य में ऊंचा)
67. मुक्तदिस–सत्त्व (अपनी ताक़त दूसरों को दिखाने वाला)
68. वाजिद–सर्वग्राही
69. क़ादिर–समर्थ
70. बदीअ–अनुपम स्रष्टा
71. रशीद–सत्पथ दर्शक
72. बाक़ी–नित्य
73. बातिल–अगोचर
74. तौवाब–क्षमाशील
75. समद–तुष्टि रूप, पूर्णकाम
76. नूर–प्रकाश रूप
77. वारिस–सर्वाधिकारी, सबके बाद रह जाने वाला
78. मानिअ–विघ्नहारी
79. मालिकुल्मुल्कि–लोकाधिपति, महातेजस्वी जुलजलाति वल इकरामि:
80. नाफ़िअ–सिद्धिदाता
81. जामिअ–सर्वनिधान
82. सबूर–धैर्य रखने वाला
83. ग़नीय–नि:स्पृह, दूसरे की सहायता की आवश्यकता न रखने वाला
84. मुग़नी–समृद्धिदाता
85. रऊफ़–प्रेम स्नेह करने वाला
86. वाली–शासक, काम बनाने वाला
87. मअख़िर–शेष, आगे को पीछे कर देने वाला
88. मुक़सित–यथोचित फलदाता
89. हादी–मंज़िल तक पहुंचाने वाला
90. मुतआली–उदात्त
91. औवल–अग्रणी
92. रब–पायु (पालक)
93. सादिक़–सत्यनिष्ठ
94. हाफ़िज़–संरक्षक
95. मुडती–प्रदाता
96. बर्र–मंगलकारी
97. मुन्इम–पुरष्कारदाता

98. मुक़द्दिम–पीछे को आगे करने वाला
99. रब्बिल आलमीन–लोकपाल
100. अकबर–महान

कुरआन में अल्लाह के दिव्य गुणों की विस्तृत चर्चा हुई है । उसे हम उसके किसी भी गुणात्मक नाम से पुकार सकते हैं । अलग-अलग नामों से उसका स्मरण करते समय हमारी मन:स्थिति कदापि नहीं बदलती । अल्लाह एक है । निराकार है । नस-नाड़ी के बंधनों से मुक्त है । कुरआन में वर्णित है–"कह, अल्लाह एक है । अल्लाह सबसे बे-नियाज़ (निस्पृह) है और सब उसके मुहताज हैं । न उसकी कोई संतान है और न वह किसी की संतान । और कोई उसका किसी भी प्रकार का समकक्ष नहीं है ।"

(कुरआन, सूरह : 112)

अल्लाह की ज़ात, उसके गुणों एवं उसकी सत्ता में कोई साझीदार नहीं है । वह समस्त ब्रह्माण्ड का अकेला स्वामी है–

'वह अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई उपास्य नहीं, अप्रकट एवं प्रकट हर चीज़ का जानने वाला, वही मेहरबान और दया करने वाला है । वह अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इलाह (उपास्य) नहीं । वह बादशाह है अति पाक-साफ़, सरासर सलामती, अमन देने वाला, निगहबान, सब पर ग़ालिब, अपना हुक्म ताक़त से लागू करने वाला और बड़ा ही होकर रहने वाला । पाक है अल्लाह उस शिर्क से जो लोग कर रहे हैं । वह अल्लाह ही है जो सृष्टि की योजना बनाने वाला और उसको लागू करने वाला और उसके अनुसार रूप ढालने वाला है । उसके लिए बेहतरीन नाम हैं । हर चीज़ जो आसमानों और ज़मीन में है, उसका गुणगान कर रही है और वह ज़बरदस्त और हकीम है । (कुरआन, अल-हश्र : 22-24)

अल्लाह ही आरंभ में है और वही अंत में । जब कुछ नहीं था तो वह था । वह सदा से है और सदा रहेगा–

"जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की महानता का वर्णन करते हैं । और वही है ज़बरदस्त हिकमत वाला, आसमानों और ज़मीन का राज उसी का है । (वही) जिलाता और मारता है और उसे हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है, वही आदि है और वही अंत है और वही ज़ाहिर और छिपा हुआ (सर्वव्यापी), और वही हर चीज़ से जानकार (सर्वज्ञ) है ।

(कुरआन, अल हदीद : 1-3)

संदर्भ पुस्तकें–

1. पंडित सुंदर लाल, 'गीता और कुरआन', पृष्ठ-5
2. गंगा प्रसाद उपाध्याय, 'मिस्बाह-उल-इस्लाम', पृष्ठ-14-15
3. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 'तर्जुमान-उल-कुरआन, खंड 1, पृष्ठ-247
4. डॉ॰ वेद प्रकाश उपाध्याय, 'वैदिक धर्म और इस्लाम, पृष्ठ 40
5. ऋग्वेद
6. कुरआन

माल का लालच और ईमान दोनों किसी बन्दे के दिल में हरगिज़ जमा नहीं हो सकते ।

मद्रासी होटल
मालवीय रोड
रायपुर (सी॰जी॰)
फोन : 0771-2539516,2236788

मद्रासी होटल
शॉप नं॰ 1-7
मोतीबाग़ चौपाटी, रायपुर
फोन : 0771-2533946, 5053603

क्या आदमी पांच तत्त्वों का पुतला है ?

■ डॉ॰ सुरेन्द्र अज्ञात

प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक प्रवचनों तक यही सुनने को मिलता है कि मानव का शरीर पांच तत्त्वों से बना है । ये पांच तत्त्व हैं--पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश ।

परन्तु प्राचीनकाल से चार्वाक जैसे दार्शनिक और आर्यभट (पांचवीं शताब्दी) जैसे विज्ञानी यह कहते आ रहे हैं कि तत्त्व पांच नहीं, चार हैं । इन लोगों ने आकाश को स्वतंत्र तत्त्व के रूप में स्वीकार नहीं किया ।

इन दोनों विचारधाराओं में एक अन्य बुनियादी अन्तर है, पांच तत्त्व मानने वाले कहते हैं कि इन पांच तत्त्वों से जब शरीर बनता है, तब आत्मा बाहर से आकर इसमें डेरा डाल लेती है; जबकि चार तत्त्व मानने वालों का कथन है कि इन चारों तत्त्वों के विशेष रूप में परस्पर मेल से ही चैतन्य (चेतना) की उत्पत्ति होती है, आत्मा कहीं बाहर से आकर शरीर में प्रविष्ट नहीं होती । उनका कथन है : भूतेम्य : चैतन्यम् ।

शरीर में आत्मा के बाहर से आकर प्रविष्ट होने को झूठ सिद्ध करने के लिए और चार तत्त्वों से ही आत्मा के उत्पन्न होने की बात को प्रमाणित करने के लिए प्राचीनकाल से इन लोगों ने अनेक तथ्य प्रयोगों द्वारा एकत्र करने के प्रयास किये हैं ।

इनका कहना है कि जैसे शराब बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री में नशा नहीं होता; परन्तु उसे विशेष अनुपात में मिलाकर तैयार की गयी शराब में नशा पैदा हो जाता है, उसी तरह यद्यपि चारों भूतों में चेतना नहीं है तथापि उनके एक विशेष अनुपात में मिलने से चेतना उत्पन्न हो जाती है ।

बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि पायसि (प्रदेशी) नामक राजपुरुष ने अनेक प्रयोग किये और पाया कि मृत्यु के समय कोई चीज़ शरीर से निकल कर कहीं नहीं जाती । दीघनीकाय में पायसि कुमारकस्सय से कहता है : 'तुम कहते हो कि बुरे-भले कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद नरक व स्वर्ग की प्राप्ति होती है पर मेरे कई रिश्तेदार कई हैं जो चोरी करते थे, हिंसा करते थे, व्यभिचार करते थे । मैं उनसे कहता था कि मरने के बाद तुम लोग जिस घोर नरक में जाओगे, वहां से मेरे पास दूत भेजना । किन्तु वहां से अभी तक कोई दूत मेरे पास नहीं आया है । अत: नरक नहीं है ।'

इसी प्रकार, जो लोग सत्यभाषी थे और चोरी-हिंसा व व्यभिचार नहीं करते थे । उनसे मैं कहता था कि स्वर्ग में जाकर वहां से संदेश भेजना । परन्तु वहां से कोई भी दूत मेरे पास नहीं आया है । इसलिए कोई स्वर्ग नहीं है । जब न नरक है, और न स्वर्ग है, तब वहां जाने वाली कही जाती आत्मा भी नहीं है । इसलिए चार्वाक कहते हैं : नात्मा पारलौकिक :

दीघनिकाय से पता चलता है कि पायसि ने चूहों, बंदरों, सूअरों, मेंढकों आदि पर अनेक प्रयोग किये । वह फांसी की सज़ा पाये हुए चोर-डाकू आदि अपराधियों को राजा से ले लेता था । उन्हें वह एक बड़े बर्तन में बंद कर देता, ऊपर से ढक्कन चढ़कार मिटट्री का लेप लगा देता, बर्तन के भीतर बंद ये प्राणी जब मर जाते तो वह ढक्कन खोलकर देखता, पर उसे उस बर्तन से बाहर निकलती हुई कोई 'आत्मा' नहीं दिखायी दी ।

उसने मृत्युदंड की सज़ा पाये अपराधियों को मृत्यु से पहले और बाद में तौल कर भी देखा । परन्तु देह से जीवात्मा के चले जाने से मृत्यु के बाद शव का भार कम नहीं हुआ ।

इसी तरह उसने ख़ूनी गुनाहगारों की बोटी-बोटी छानकर देखी, पर उसे आत्मा कहीं नहीं मिली ।

ये सारे प्रयोग करके पायसि इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि शरीर में कोई आत्मा बाहर से प्रवेश नहीं करती, बल्कि उन्हीं चीज़ों के मेल से उत्पन्न होती है, जिनसे शरीर बना है । आज हम जानते हैं चेतना उन्हीं चीज़ों से उत्पन्न होती है जिनसे शरीर बना है, यद्यपि शरीर चार तत्त्वों से नहीं बना है । आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है और चार्वाक उसके

अनुसार आज नये तत्त्वों की बात करते हैं परन्तु धर्म ग्रंथ और धर्म गुरु पांच तत्त्वों की ही रट लगाए हैं ।

शरीर को बनाने वाले जिन पांच तत्त्वों की बात धर्म करता है, वे तत्त्व तो हैं ही नहीं । उनमें से एक भी तत्त्व नहीं है, यौगिक या मिश्रण है । तत्त्व वह होता है जिसमें एक ही तरह के परमाणु होते हैं और जिस सरलतर पदार्थ के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता ।

क्या पृथ्वी तत्त्व है ?

इन कथित तत्त्वों में पहला पृथ्वी बताया जाता है । पृथ्वी अपने आप में कोई तत्त्व नहीं है, क्योंकि यह तो खुद 100 से ज़्यादा तत्त्वों से बनी हुई है । उनमें से निम्नलिखित आठ तत्त्व प्रमुख हैं–ऑक्सीजन 46.5 प्रतिशत, सिलिकन 27.72 प्रतिशत, एल्यूमिनियम 8.13 प्रतिशत, लोहा 5.01 प्रतिशत, कैल्शियम 3.63 प्रतिशत, सोडियम 2.85 प्रतिशत, पोटाशियम 2.62 प्रतिशत, मैगनेज़ियम 2.09 प्रतिशत तथा अन्य तत्त्व 1. 41 प्रतिशत ।

ऐसी पृथ्वी को 'तत्त्व' कहना सरासर ग़लत है । आज 110 के ऊपर तत्त्व खोजे जा चुके हैं । उनमें 'पृथ्वी' का कहीं नामोनिशान तक नहीं है ।

क्या जल तत्त्व है ?

जल क्या है ? यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है (H_2O) यह तरल रूप में भी होता है, ठोस बर्फ़ के रूप में भी और भाफ़ के रूप में भी । यह यौगिक (कंपाउंड), तत्त्व नहीं ।

क्या वायु तत्त्व है ?

वायु क्या है ? यह कई गैसों के मिश्रण का नाम है । जिसे शुद्ध वायु कहते हैं, वह क्या है ? वह है 79 प्रतिशत नाइट्रोजन और 21 प्रतिशत ऑक्सीजन का मिश्रण । इसमें बहुत थोड़ी-सी कार्बन डाइआक्साइड तथा कुछ जलवाष्प होते हैं, जिनका प्रतिशत बदलता रहता है ।

हम जब सांस लेते हैं तो जितनी नाइट्रोजन अन्दर जाती है, उतनी ही बाहर आ जाती है (79 प्रतिशत), परन्तु ऑक्सीजन यदि 20.96 प्रतिशत अन्दर जाती है तो सिर्फ़ 16.50 प्रतिशत ही बाहर आती है । इसी तरह कार्बन डाइआक्साइड यदि .04/ अन्दर जाती है तो वह 4.50 प्रतिशत बनकर बाहर आती है । यही हाल जलवाष्प का है । वह भी चाहे कम अन्दर जाए, बाहर आते समय बढ़ जाता है यदि जल यागिक है तो वायु मिश्रण है । फिर इसे कौन बुद्धिमान तत्त्व कह सकता है ?

अग्नि क्या है ?

यह ज्वलन प्रक्रिया है, एक घटित हो रही घटना है, जिसमें पदार्थ हवा में मिलने वाली ऑक्सीजन से रासायनिक तौर पर मिलते हैं और प्रकाश तथा गर्मी (ताप) छोड़ते हैं । स्पष्ट है, अग्नि कोई पदार्थ न होकर एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन के बिना अस्तित्व में ही नहीं आ सकती । इसे कोई भी बुद्धिमान तत्त्व नहीं कह सकता । इसीलिए प्रो॰ यशपाल ने लिखा है कि अग्नि कोई चीज़ (थिंग) नहीं, एक घटना (हैपनिंग) है ।

आकाश क्या है ?

आकाश को तत्त्व सिद्ध करने के लिए कई तरह के हाथ-पैर मारे गये, यद्यपि चार्वाक दर्शन और आर्यभट जैसे विज्ञानी इसे सदियों पहले ही नकार चुके थे । फिर 'ईश्वर' नामक द्रव्य की कल्पना की गयी परन्तु माइकेल्सन और

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic Understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

1. IQRA PUBLIC SCHOOL : Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.

2. MILLAT HOSPITAL : Every year about 15,000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.

3. ISLAMIC INFORMATION CENTRE : Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov-March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your Cheque/Draft in favour of the society

(Nayyarruzzama) Chairman — **(Prof. Inamul Huque)** Secretary

JISSS

Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

मार्ली नामक वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगों से 1887 में सिद्ध कर दिया था कि ईश्वर नामक पदार्थ पूरी तरह कपोलकल्पित है और यर्थाथ में उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है ।

न्यूटन ने कभी आकाश के ढांचे को द्रव्य से स्वतंत्र माना था; परन्तु आइंस्टाइन के आपेक्षिकता के सिद्धांत ने यह सिद्ध कर दिया है कि न्यूटन की बात सही नहीं थी, क्योंकि आकाश का ढांचा उसमें मौजूद द्रव्यमान से निर्धारित होता है । यदि वस्तुएं ग़ायब हो जाएं तो न कहीं आकाश का पता चलेगा न काल का ।

जो आकाश स्वयं वस्तुओं के अस्तित्व पर आश्रित है, वह वस्तुओं को बनाने वाली सामग्री कैसे हो सकता है ?

इस तरह हम देखते हैं कि धर्म व परम्परा द्वारा बताए पंच तत्त्व, वास्तव में तत्त्व नहीं हैं । वे मिश्रण यौगिक और प्रक्रिया मात्र हैं । अत: इनसे न शरीर बनता है और न मरणोपरांत इनमें वह प्रविष्ट होता है । अत: संस्कृत, हिन्दी आदि भाषाओं के इस तरह के मुहावरे गुमराहकुन हैं-पंचत्वं गत: (=मर गया), पांच तत्त्वों में लीन होना, आदि ।

आज विज्ञान ने 110 से ऊपर तत्त्वों को खोज निकाला है । वहीं शरीर और विश्व के निर्माण के लिए उत्तरदायी है ।

शरीर किससे बना है ?

हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है । मनुष्य के शरीर में 100 खरब कोशिकाएं होती हैं । हर कोशिका के ऊपर एक झिल्ली होती है । भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न तरह की कोशिकाएं होती हैं । मांसपेशियों की कोशिकाएं समतल होती हैं, क्योंकि इन्हें शरीर की सतह को ढकना होता है । कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, कुछ अंडाकार और कुछ बेलनाकार ।

हर कोशिका के अन्दर 'कोशिका द्रव' या 'जीवन द्रव्य' होता है, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है । इसी पदार्थ द्वारा भोजन व ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है ।

प्रोटोप्लाज्म में राइबोसोम, माटोकांड्रिया, गोल्गीबाडीज़ आदि भी होते हैं जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को पूरा करते हैं ।

प्रोटोप्लाज्म की रचना

आधुनिक विज्ञान ने प्रोटोप्लाज्म का विश्लेषण करके पाया है कि इसमें 55 भाग कार्बन, 23 भाग आक्सीजन, 14 भाग नाइट्रोजन, 7 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग गंधक, पोटाशियम, सोडियम आदि हैं : 55+23+14+7+1=100 ।

यही जीव द्रव्य है, जीवन है । अब वैज्ञानिकों ने कृत्रिम जीवन का निर्माण कर लिया । 2010 में अमेरिका के जिनोम विज्ञानी क्रेग वैंटर की टीम ने रासायनों की जीवित कोशिकाओं के रूप में परिवर्तित करके कृत्रिम जीवन पैदा कर दिया है ।

प्रयोगशाला के सुरक्षित वातावरण में बैक्टीरिया की जैनेटिक प्रोग्रामिंग करके उसे एक कोशिका में डाल दिया । इससे बने जीवाणु का आकार (शकल) और व्यवहार ठीक वही था जैसे वैज्ञानिक बनाना चाहते थे । कोशिका को पूरी तरह कृत्रिम (सिंथैटिक) क्रोमोसोम से तैयार किया गया था, अर्थात ये क्रोमोसोम रासायनों के रासायनिक संश्लेषण से बनाए गये थे ।

जीव के कृत्रिम निर्माण के समाचार से यदि सबसे ज़्यादा कोई भड़का तो ये धर्मगर्द व धर्म के धंधेबाज़ थे । क्योंकि इससे परमात्मा पर पोंछा फिरता है, अत: ये इसे 'क़ुदरत से खिलवाड़' बताकर अपनी झेंप मिटा रहे हैं ।

वास्तविकता यह है कि परमात्मा पर लगे इस पोंछे से मानव का प्रकृति पर नियंत्रण पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो गया है । यह प्रकृति से खिलवाड़ नहीं, उसे अनुशासित करने का उस पर मानवीय नियंत्रण बढ़ाने की दिशा में एक दृढ़ क़दम है । धर्मगर्द विज्ञान के बढ़ते क़दमों का सदा विरोध क़िया ही करते हैं । क्योंकि विज्ञान का प्रत्येक क़दम उन्हें शीशा दिखा जाता है और उन्हें बता जाता है कि उनके धर्मशास्त्रीय वर्णन व आदेश पुराने पड़ चुके हैं एवं अपनी प्रासंगिकता खो बैठे हैं । इसी वजह से खिसिआनी बिल्ली खंभा नोचती है ।

मानव शरीर का विश्लेषण

आज वैज्ञानिकों ने मानव शरीर का पूरी तरह विश्लेषण कर दिया है और उसमें उन्हें जो मिला है, वह है–44.23 किग्रा॰ ऑक्सीजन, 12.25 किग्रा॰ कार्बन, 6.8 किग्रा॰ हाइड्रोजन, 2.04 किग्रा॰ नाइट्रोजन, 1.09 किग्रा॰ कैल्शियम, 680 ग्राम फास्फोरस, 204 ग्राम सोडियम, 204 ग्राम क्लोरिन, 170.1 ग्राम गंधक, 34 ग्राम मैग्नीज़ियम, 27 ग्राम लोहा और 337.5 ग्राम दूसरे खनिज पदार्थ । शरीर के लिए आवश्यक

कार्बोहाइड्रेट, चीनी, वसा, (चर्बी, फैट) आदि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं । प्रोटीन को हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आक्सीजन आदि मिलकर बनाते हैं । कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के निर्माण के काम आते हैं । लोहा रक्त का मुख्य अंग है । सोडियम और क्लोरिन नमक के रूप में शरीर में रहते हैं । इस प्रकार ये तत्त्व एक-दूसरे से मिलकर अनेक यौगिक बनाते हैं जो शरीर को जीवन पर्यंत क्रियाशील रखते हैं ।

इस विश्लेषण के दौरान न कहीं कथित पृथ्वी तत्त्व मिलता है, न जल, न वायु, न अग्नि और न आकाश, अत: हमें उक्त चीज़ों को 'तंत्त्व' कहने की पुरानी आदत उसी तरह छोड़नी होगी जैस हमने धरती को 'अचला' कहना छोड़ दिया और स्त्री को 'अबला' कहना । प्रकृति के पदार्थ वेदों–शास्त्रों या अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार अपना स्वभाव नहीं बदला करते । हमें ही पदार्थों के सही स्वभाव के अनुसार अपने को संशोधित करना होगा और तदनुसार बदलना होगा ।

इसी बात को ध्यान में रखकर बौद्ध दार्शनिक धर्मकीर्ति ने कहा था कि जो और जैसा पदार्थों का स्वभाव है, उनकी रुचि है, उसमें टांग अड़ाने वाले हम कौन होते हैं : यदींद स्वयमर्येम्यो रोचते के वयम (धर्मकीर्ति, प्रमाणवार्तिक, प्रत्यक्ष, 210) न्यायभूषण के कर्ता भासर्वज्ञ (925 ई०) ने कहा था कि किसी ऋषि मुनि या धर्म ग्रंथ के किसी लेखक के भय से पदार्थ अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते । किसी बड़े से बड़े ऋषि के भय से आग ठंडी नहीं हो सकती–न खलु वै सूत्रकारनियोगभयात्पदार्था: स्वधर्मं हातुमर्हन्ति । (न्यायभूषण, पृष्ठ 98)

यह एक ऐसा अकाट्य तथ्य है कि वाचस्पति मिश्र (841 ई०) ने शंकर के ब्रह्मसूचभाष्य की भामती टीका में यह स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया था कि यदि सामने घट (घड़ा) पड़ा हो तो उसे एक नहीं सौ वेद मंत्र भी यदि पट (कपड़ा) कहे तो घड़ा कपड़ा नहीं बन जाएगा । प्रकृति में जो है, वह ग्रंथों के कहने के अनुसार बदल नहीं जाएगा-न हि श्रुतीनां शतमपि घटं पटयितुमीष्टे । (भामती टीका)

लगभग ऐसी ही बात जगत को मिथ्या कहने वाले शंकर को भी कहनी पड़ी, जब उन्होंने कहा कि यदि सौ वेदमंत्र भी कहें कि आग ठंडी होती है और प्रकाश से रहित होती है तो कोई भी बुद्धिमान इसे सत्य नहीं मानेगा, इस बात को कभी भी मानने योग्य स्वीकार नहीं करेगा–न हि श्रुतिशतमपि 'शीतोऽग्नि:, अप्रकाशो वा' इति ब्रुवत प्रामाण्यमुपैति ।

(शंकर, गीताभाष्य, 18/66)

इस सबके मद्देनज़र हमें सत्य और तथ्य का अनुगमन करना चाहिए और प्रकृति के तथ्यों के विपरीत जाने वाले लेखकों व उनके ग्रंथों को दूर से ही नमस्कार कर देना चाहिए भले ही वे कितने ही बड़े क्यों न माने जाते रहे हों ।

(सा० 'भीम पत्रिका')

कविता

जीवन में उजाला हो

स्वयं तपो ताकि औरों के
जीवन में उजाला हो

आज विषमता हावी जग में
दम घोंटू हैं सभी दिशाएं,
भ्रम के अंधेरे फैले हैं
मधुर उजाला कैसे पायें

ऐसे में आचरण हमारा
सत्य-सारथी वाला हो
झूठ-कपट की ओढ़ चदरिया
शुचिता से हम दूर हुए
आडम्बर और अनाचार से
सबके घट भरपूर हुए
स्वयं को तो लें, हाथ में अपने
शुचि विवेक की माला हो,

जीवन पोथी के सब पन्ने
कूट उक्ति से अटे पड़े,
वैमनस्य की छत के नीचे
उलझे से हम हुए खड़े

सोचें सबके हित की बातें
मन ज्योतित शिवाला हो
स्वयं तपो ताकि औरों के
जीवन में उजाला हो ।

अभिराम सत्यज्ञ जयशील
हथुआ (बिहार)

सरकार चाहे तो घट सकती है महंगाई

❖ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

आजकल ग़रीब ही क्या मध्य वर्ग सभी बढ़ती महंगाई की मार से बुरी तरह प्रभावित हैं । वह अधमरा हो चुका है । थोक मूल्य सूचकांक में लगातार वृद्धि ही दर्ज हो रही है । हालत यह है कि महंगाई नित नये आयामों को लांघ रही है । इसका खुदरा मूल्यों पर पड़े असर का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । बाज़ार में सब्ज़ियों, फलों, दूध और दुग्ध उत्पादों, अंडे, मछली और मीट की क़ीमतें पिछले साल की तुलना में कहीं ज़्यादा बढ़ गयी हैं । बारिश ने फलों और प्याज़ समेत अन्य सब्ज़ियों की पैदावार को काफ़ी प्रभावित किया है ।

सरकार ने इस घाटे को कम करने के लिए जो क़दम उठाये हैं, वे किसी टोटके से कम नहीं हैं । केन्द्र सरकार पर सब की निगाहें टिकी हैं कि वह रुपये की क़ीमत बढ़ाने, खाद्य वस्तुओं व अन्य उपभोक्ता सामानों की क़ीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस क़दम उठाये, लेकिन सरकार से यह हो नहीं पा रहा है । यह बात दूसरी है कि वह अपने ख़र्चों में कमी करके यह ज़रूर साबित करना चाहती है कि वह अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहती है । इसलिए उसने फ़ैसला किया है कि अब सरकारी बैठकें और सम्मेलन पांच सितारा होटलों में नहीं होंगे ।

सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा गया है कि विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों का आकार बेहद छोटा रखें । अगले आदेश तक नया वाहन न ख़रीदने का आदेश भी सभी मंत्रालयों को भेजा गया है । ख़र्च में कटौती के इन फ़ौरी उपायों के अलावा सरकार ने जो बड़ा क़दम उठाया है वह है, नयी सरकारी नौकरियों और पिछले एक साल से ख़ाली पड़े पदों को भरने पर रोक लगाना । इन तमाम उपायों के ज़रिये ग़ैर-योजनागत व्यय में 10 फ़ीसदी तक कटौती कर राजकोषीय घाटे को जी॰डी॰पी॰ के 4.8 प्रतिशत तक रखने का सरकार का लक्ष्य है । राज्य सरकारों पर कुछ पाबन्दियां केन्द्र से लगायी गयी हैं ।

यहां यह सवाल उठाया जा सकता है कि अब तक हर माह हिसाब क्यों नहीं दिया जाता था ? सरकार ने ये क़दम कोई पहली बार थोड़े ही उठाये हैं, पिछले साल भी एक उल्लेखनीय कटौती का एलान किया गया था, लेकिन नतीजा कुछ ख़ास न निकला । महंगाई लगातार बढ़ती रही और आम आदमी पिसता रहा । कितनी अजीब बात है कि सरकार सीधे तौर पर सामानों और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम क्यों नहीं करती ? कारोबारियों पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं करती ? एक बार प्रखर समाजवादी राम मनोहर लोहिया ने महंगाई पर चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में कहा था कि, "क़ानून बनाने वाले सीधे चीज़ों के दाम घटाएं, न कि अपनी तनख़ाहों को बढ़ाएं ।" उन्होंने सवाल किया कि आप लोग अपनी ताक़त अपनी तनख़ाहों को बढ़वाने के बजाय चीज़ों के दाम घटाने में क्यों नहीं लगाते हो ?

वास्तविक स्थिति यह है कि बाज़ार में दाम घटते भी हैं, तो भी खुदरा विक्रेता क़ीमत नहीं घटाता । मिसाल के तौर पर प्याज़ मंडी में अब थोड़े सस्ते हुए हैं । खुदरा विक्रेता मंडी से 40-45 रुपये प्रति किलो उसे ख़रीदता है और 70-80 के भाव बेचता है । इसी प्रकार देसी चना का थोक रेट 30 रुपये किलो के आसपास है लेकिन खुदरा विक्रेता 50-60 में खुलेआम बेचते हैं । हर खाद्य सामग्री का यही हाल है । इस ख़तरनाक हालत के मद्देनज़र ज़रा उन 83 करोड़ देशवासियों की दुर्दशा पर ग़ौर कीजिए, जिनकी प्रतिदिन की आय तीस रुपये से कम है ।

इस विषम स्थिति में भी सरकार दिल से चाहे तो बढ़ती क़ीमतों पर क़ाबू पा सकती है, लेकिन इसके लिए उसे कड़े क़दम उठाने होंगे । देखा जा रहा है कि हमारी सरकार के अक्सर क़दम पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले होते हैं । हमारे यहां भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था न होने और परिवहन व्यवस्था भी ठीक न होने के कारण सब्ज़ियां, फल, दूध वग़ैरह ही नहीं ख़राब होते, बल्कि अनाज तक सड़ जाता है, जो एक अक्षम्य अपराध है । फिर वायदा कारोबार, आयात-निर्यात में दिशाहीनता, जमाख़ोरी और कालाबाज़ारी की समस्याएं भी अपनी जगह हैं । सरकार यहां हस्तक्षेप करके इस संगीन हालत पर क़ाबू पा सकती है ।

خطبات

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

موجودہ عہد کے لسانی وفکری مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کے بنیادی ارکان کی اہمیت وضرورت پر دل نشیں اور آسان انداز میں یقین آفریں کتاب۔

اردو

اول	[حقیقتِ ایمان]		16.00
دوم	[حقیقتِ اسلام]		16.00
سوم	[حقیقتِ صوم وصلوٰۃ]		22.00
چہارم	[حقیقتِ زکوٰۃ]		18.00
پنجم	[حقیقتِ حج و جہاد]		24.00
خطبات مکمل			125.00 [HB] 100.00 [PB]

ہندی

اول	[ایمان کی حقیقت]	19.00
دوم	[اسلام کی حقیقت]	18.00
سوم	[نماز، روزہ کی حقیقت]	23.00
چہارم	[زکوٰۃ کی حقیقت]	18.00
پنجم	[حج کی حقیقت]	17.00
خطبات مکمل		95.00

انگریزی

Fundamentals of Islam - I	28.00
Fundamentals of Islam - II	30.00
Fundamentals of Islam - III	28.00
Fundamentals of Islam - IV	26.00
Fundamentals of Islam - V	30.00
Fundamentals of Islam	130.00 PB 160.00HB

MARKAZI MAKTABA ISLAMI PUBLISHERS
NEW DELHI
مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی ۲۵

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) Fax: 26947858
E-mail: mmipublishers@gmail.com • **Website:** www.mmipublishers.net

कथा कुंज का राजकुमार

■ डॉ॰ सलीम ख़ां

जैसे ही सूरज की पहली किरण कथा कुंज गांव पर पड़ी, प्रकाश सिंह सूर्यवंशी ने अपनी नांव का लंगर खोल दिया । एकादशी की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ समुद्र यात्रा को बेहतरीन शगुन समझा जाता है । परंतु ये क्षण बहुत कम लोगों के भाग्य में आता था । इसलिए कि एकादशी पूर्णिमा की रात साल में एक बार आती थी । उस रात ये लोग सूरज देवता की बेटी चंद्रमा की पूजा करते । रात भर नाच-रंग का समारोह होता और आख़िरी पहर में वे अपने बिस्तरों का रुख़ करते । अब इसके बाद सुबह तड़के इस शुभ मुहूर्त को पाना लगभग असंभव होता था ।

प्रकाश सिंह सूर्यवंशी ने इस बार विशेष योजना बनायी थी । एक सप्ताह पहले उसने एक सपना देखा था कि वह इस मुहूर्त पर समुद्र में गया और उसके जाल में मछलियों के बजाय एक सोने का नारियल आ गया है । उसने जब नारियल को तोड़ा तो उसमें से बतख़ के अंडे के आकार का एक मोती निकल आया जिससे उसका घर जगमगाने लगा । गांव वालों ने यह चमत्कार देखकर उसे अपना राजा बना लिया, लेकिन इससे पहले कि वह सिंहासन पर विराजमान होता और राज मुकुट अपने सिर पर सजाता, उसकी आंख खुल गयी । सपने ने दम तोड़ दिया लेकिन सपने को पूरा करने की इच्छा ने जन्म ले लिया । पूर्णिमा की रात उसने केवल अपने सपने को पूरा होने की मन्नत बांधी । वह नाच-गाने की महफ़िलों से बचता-बचाता घर आया और बिस्तर पर लेट गया । उसे सुबह जल्दी उठना था । शुभ मुहूर्त में नांव खोलनी थी । लेकिन आंखों में नींद कहां ? अब वह जागते हुए सपने देख रहा था । अपना महल, अपना सिंहासन, अपना मुकुट, अपनी सेना और रणभूमि । ये सब देखते-देखते उसे नींद आ गयी । सपना फिर टूट गया ।

सुबह अंधेरे मुंह वह समुद्र की तरफ़ जा रहा था कि उसे झाड़ियों में सरसराहट महसूस हुई । वह चौंक पड़ा । यह कौन है जो अपना सपना साकार करने में उससे भी आगे निकल गया है ? वह सोचने लगा...क्या एक साथ दो नांव खुलेंगी और उनमें स्पर्धा शुरू हो जाएगी और फिर वह दोनों एक-दूसरे से टकरा जाएंगी और फिर उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा । मगर उसका अनुमान ग़लत निकला । वह कोई जानवर था जो अपना रास्ता बदलकर समुद्र से बस्ती की तरफ़ चल पड़ा था । प्रकाश सूर्यवंशी संतुष्ट हो गया । मनुष्य अपनी सत्ता में किसी की साझेदारी बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वह सत्ता काल्पनिक ही क्यों न हो ।

अपनी नांव में पहुंच कर दाएं-बाएं दूर तक नज़र दौड़ायी, मौत की सी शांति देखकर वह खुश हुआ । रस्सी उसके हाथ में थी और पैरों में पतवार पड़ी थी । आंखें आकाश पर लगी हुई थीं । सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हुआ था । उसकी नांव समुंद्र का सीना चीरती हुई आगे बढ़ने लगी कि उसने समुंद्र की लहरों पर तैरती एक सुन्दर टोकरी देखी । उसे देखने के बाद वह अपना जाल नारियल और सपना सब कुछ भूल गया । कुछ ही क्षण में उसने टोकरी को लपक लिया और जैसे ही उसे खोला उसकी आंखें फैल गयीं । उसके अन्दर एक सुन्दर-सा बच्चा मुस्कुरा रहा था । ये कुदरत का अनमोल उपहार है, ये उसकी दुआओं का असर है, ये उसकी क़िस्मत का सितारा है । उसका सूरज है, उसका चांद है, उसका सब कुछ है । ये सब सोचते हुए उसने कब अपनी नांव की दिशा समुद्र के किनारे की ओर बदल दी । कब उसका लंगर लगाया और कैसे घर पहुंचा, उसे कुछ भी पता न चला । उसकी झोंपड़ी में वह और उसकी पत्नी चन्दा रहते थे । चन्दा के सिवा उसका कोई नहीं था । एक नांव की दुर्घटना में उसके सारे परिवार को समुद्र ने निगल लिया था । वह संयोगवश बच गया था और उसे चन्दा ने अपना लिया जो अब उसकी पत्नी थी । दुर्भाग्यवश वे संतान सुख से वंचित थे ।

चन्दा गहरी नींद में सो रही थी । उसने सोचा कि चन्दा को न जगाए लेकिन स्वयं पर नियंत्रण न रख सका । उसने चन्दा को झिंझोड़ना शुरू कर दिया, "उठो भाग्यवान, देखो आज पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर सूर्य देवता ने हमें कौन-सा

वरदान दिया है ?''

चन्दा यह सुनकर चौंकी और हड़बड़ाकर बैठ गयी, ''क्या नारियल मिल गया ?'' उसने प्रश्न किया ।

''नहीं पगली...नारियल के पेट से मुर्दा मोती नहीं बल्कि टोकरी के अन्दर से ज़िन्दा चहचहाता हुआ लाल मिला है ।''

''ये कौन है ?'' चन्दा ने पूछा, ''किसका बच्च उठा लाए सुबह-सुबह ?''

''क्या बकती हो ?'' प्रकाश बोला, ''ऐसा सुन्दर बच्चा किसी के पास है हमारी बस्ती में या सारी दुनिया में ? ऐसा ख़ूबसूरत बच्चा किसी का नहीं हो सकता । ये हमारा उत्तराधिकारी होगा । ये हमारा राजा, मेरा और तुम्हारा राजा, ये सबका राजा है । कथा कुंज का राजकुमार है यह...।''

हिन्द महासागर के तट पर कई मछेरों की बस्तियां आबाद थीं लेकिन इन सबका राजा बस एक था । राजगढ़ का कठोर सिंह चन्द्रसैनी । न जाने किस मनहूस घड़ी में ये प्रथा पड़ी थी कि राजा, केवल चन्द्र सैनियों के राज परिवार का सदस्य होगा और ये प्रथा ऐसी चली कि लोगों ने सोचना तक छोड़ दिया कि कोई और भी राजा हो सकता है । प्रकाश सिंह सूर्यवंशी की बात लोगों को बड़ी विचित्र-सी लगने लगी थी । जब गांव भर में इसके चर्चे हुए तो प्रकाश का लंगोटिया यार रमेश उससे मिलने आया । दुआ सलाम, खान-पान के बाद उसने कहा, ''प्रकाश तुम जानते हो, आजकल लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं ?''

प्रकाश ने आश्चर्य से पूछा, ''क्या ?''

जवाब मिला, ''लोग कहते हैं तुम्हारा मित्र प्रकाश पागल हो गया है ।''

''क्यों....इसका क्या कारण है भला ?''

''इसलिए कि तुम कहते हो कि तुम्हारा बेटा कथाकुंज का राजा होने वाला है ।''

''इसमें आश्चर्य की क्या बात है ?'' प्रकाश बोला, ''यहां से पांच सौ कोस दूर राजगढ़ का कठोर सिंह हमारा राजा हो सकता है तो मेरा लाल भंवर सिंह सूर्यवंशी राजा क्यों नहीं हो सकता ?''

रमेश बोला, ''इसलिए कि ऐसा कभी नहीं हुआ है ।''

''लेकिन अगर हुआ नहीं है तो इसका अर्थ यह कैसे हो गया कि कभी होगा भी नहीं ?''

''परंतु ऐसी अनहोनी के लिए कोई कारण भी तो होना चाहिए ।'' रमेश ने सवाल किया ।

प्रकाश बोला, ''कारण ? कारण की क्या आवश्यकता है और अगर है भी तो ये क्या कम है कि इससे पहले कभी भी सूर्य देवता ने हमें ऐसा कोई वरदान नहीं दिया । भंवर एकादशी पूर्णिमा की सुबह सूर्य देवता का दिया हुआ पवित्र वरदान है । भंवर में फंसा हुआ ये बालक हमें कठोर सिंह की क्रूर सत्ता से मुक्ति दिलाने वाला है ।'' ये कहकर उसने आवाज़ दी, ''चन्दा...ज़रा अपने बच्चे राजा को बाहर तो लाओ ।''

चन्दा तुरन्त लाल रेशमी चादर में लिपटे भंवर सिंह को रमेश के सामने ले आयी । रमेश ने जब बच्चे को देखा तो बस देखतां ही रह गया । इतना सुन्दर बच्चा उसने पहले कभी नहीं देखा था ।

वह प्रकाश से होने वाले वार्तालाप को भूल गया । उसने भंवर सिंह को अपनी गोद में लिया, उसको चूमने लगा, उससे खेलने लगा, उससे बातें करने लगा । भंवर सिंह भी किलकारियां लेता रहा । दोनों एक-दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, फिर भी एक-दूसरे से बोले जा रहे थे । प्रकाश और चन्दा इस दृश्य को देखकर मुस्कुरा रहे थे ।

भंवर सिंह के चर्चे जब सारे गांव में हो गये तो गांव के पुरोहित धर्मेश सूर्यवंशी ने प्रकाश को अपने पास बुलवाया । मन्दिर में पहुंचकर प्रकाश ने पहले पूजा अर्चना की और फिर प्रसाद लेने पुरोहित के समक्ष जा पहुंचा । पुरोहित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया । धर्मेश ने चाय-पान पेश किया । यह पहला अवसर था जब पुरोहित जिजमानी कर रहा था । दुआ सलाम के बाद धर्मेश ने पूछा, ''प्रकाश, आजकल तुम क्या बहकी-बहकी बातें कर रहे हो ?''

''कैसी बातें ?'' प्रकाश ने पूछा ।

''यही कि तुम्हारा बेटा भंवर सिंह कथा कुंज का राजा बनेगा...?''

''लेकिन इसमें आश्चर्य की क्या बात है गुरुदेव ?'' प्रकाश बोला, ''भंवर सिंह राजा क्यों नहीं बन सकता ?''

''फिर वही बात...अरे मूर्ख... राजगढ़ के राज परिवार का धर्म राजधर्म है और हमारा कर्म प्रजा धर्म है । वह अपना धर्म पालन करते हैं और हम अपना धर्म पालन करते हैं, जिससे हमारे और उनके बीच संतुलन बना हुआ है । जब यह संतुलन बिगड़ जाएगा तो प्रलय हो जाएगा ।''

प्रकाश ने कहा, "गुरुदेव, आपका यह प्रवचन और आपकी यह भविष्यवाणी क्या किसी ग्रंथ में लिखी है ? या ये आपके मन की कल्पना मात्र है ?"

"ये तो एक वास्तविकता है बालक । इसका किसी ग्रंथ में लिखा होना आवश्यक नहीं है...ये तो पत्थर की लकीर है, ऐसा होगा और होकर रहेगा ।"

पुरोहित ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, प्रकाश बोला, "गुरुदेव, ऐसा आप सोचते हैं या चाहते हैं ?"

इस प्रश्न पर धर्मेश सूर्यवंशी पहले तो शांत हो गये, फिर कुछ देर बाद बोले ?

"मैं नहीं चाहता । मैं बिल्कुल नहीं चाहता । परंतु चूंकि यही होगा इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि अपना यह विचार मन से निकाल दो ।"

प्रकाश बोला, "गुरुदेव आप राजधर्म की बात कर रहे थे । क्या राजधर्म का अर्थ और उद्देश्य न्याय स्थापना नहीं है । क्या यह सत्य नहीं है कि कठोर सिंह अन्याय और अत्याचार करता है, अपनी प्रजा का शोषण करता है । अगर वह ऐसा करता है तो क्या अपने राजधर्म का पालन करता है ?"

"नहीं, वह अपने राजधर्म का पालन नहीं करता ।" पुरोहित ने उत्तर दिया ।

"अगर वह अपने धर्म का पालन नहीं करता तो हम उसके प्रति अपने धर्म का पालन क्यों करें ? बल्कि क्या ऐसे में अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करना हमारा धर्म नहीं है ?"

पुरोहित धर्मेश सूर्यवंशी प्रकाश के आगे लाजवाब हो गया । उसने कहा, "देखो शिष्य, मैं तुम से बहस नहीं कर सकता । मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता । मैं तो केवल तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम्हारे ये विद्रोही विचार न केवल तुम्हें बल्कि कथा कुंज को जलाकर भस्म कर देंगे ।"

प्रकाश ने कहा, "धन्यवाद गुरुदेव । आपकी चेतावनी सही हो सकती है । अगर यह आग हमारे साथ-साथ गुलामी की उन ज़ंज़ीरों को भी पिघला दे जिसने न जाने कितने शतकों से हमें जकड़ रखा है, तो मैं उसको भी सूर्य देवता का वरदान समझूंगा ।"

पुरोहित ने कहा, "काश कि ऐसा हो ।"

"ऐसा ही होगा ।" ये कहकर प्रकाश ने धर्मेश के चरणों को छुआ और विदा ली ।

कथा कुंज गांव के मुखिया निश्चय सिंह सूर्यवंशी एक सज्जन महापुरुष थे । सारा गांव उनका आदर करता था । वह गांव वालों के हर दुख-सुख में सदैव सहभागी होते थे । उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझते और उन्हें सुलझाने का पूर्ण प्रयास भी करते थे । गांव वाले उनका बड़ा सम्मान करते थे और उनकी इच्छा को आदेश के समान स्वीकार करते थे । उन्होंने ही धर्मेश पुरोहित से कहा था कि वे प्रकाश को बुलाकर समझाएं, लेकिन हुआ ये कि खुद पुरोहित प्रकाश से प्रभावित हो गये । प्रकाश के जाने के बाद पुरोहित भी अपने कमरें से निकले और निश्चय सिंह की सेवा में पहुंच गये । उन्होंने सारी वार्तालाप मुखिया जी को सुना दी ।

पुरोहित की बात सुनने के बाद निश्चय सिंह ने पूछा, "प्रकाश को छोड़ो, तुम अपनी बताओ । तुम्हारा विचार क्या है ?"

"प्रकाश की बात न्यायसंगत है ।" पुरोहित ने कहा, "मेरा मन तो यही कहता है ।"

निश्चय सिंह ने पूछा, "फिर क्या समस्या है ?"

"मुश्किल यह है कि संघर्ष के परिणाम से डर लगता है ।"

"यह भय मात्र तुम्हें लगता है या प्रकाश को भी लगता है ।" "प्रकाश को डर नहीं लगता ।"

निश्चय ने कहा," ठीक है, मैं उससे बात करूंगा ।"

प्रकाश जिस समय निश्चय सिंह के घर पहुंचा, वहां दरबार लगा हुआ था । लोग अपनी अपनी व्यथा कथा सुनाते रहे और निश्चय सिंह के उपदेश सुनकर जाते रहे । प्रकाश ने सोचा, "ये अजीब बात है, मुझे बुलाकर मुझ से बात नहीं की जा रही है, शायद मुखिया जी मुझसे नाराज़ हैं ।" जब सब लोग चले गये तो मुखिया ने प्रकाश को अपने पास बुलाया और कहा, "प्रकाश...तुम सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हें इतनी प्रतीक्षा क्यों करवायी ?"

"नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ।" प्रकाश बोला ।

निश्चय ने कहा, "क्यों नहीं ! बात जो है सो है...और बात दरअस्ल ये है कि मैं तुमसे एकांत में बात करना चाहता था और बातचीत कुछ लम्बी है इसलिए दूसरे लोगों को जल्दी निपटा दिया । तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ?"

"नहीं प्रधान जी । आपकी कोई बात हमें बुरी नहीं

लगती । इसलिए कि हम जानते हैं आपसे अधिक हमारा शुभचिन्तक कोई और नहीं है ।''

''छोड़ो ये सब बातें । क्या तुम राजा का अर्थ जानते हो ?''

''हां...हां...बिल्कुल जानता हूं ।''

''तो क्या तुम ये भी जानते हो कि जिस प्रकार एक मेयान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं, उसी तरह एक बस्ती में एक से अधिक राजा नहीं हो सकते ।''

''हां, ये भी जानता हूं ।''

प्रकाश के इस जवाब से निश्चय सिंह चौंक पड़े । प्रकाश ने बात और बढ़ायी, ''मैं यह नहीं कहता कि भंवर सिंह कथाकुंज के साथ-साथ राजगढ़ और आसपास की सारी बस्तियों का भी राजा बनेगा । मैं तो केवल यह कहता हूं कि वह कथाकुंज का राजा होगा । इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है ?''

''लेकिन इसका यह अर्थ भी होता है कि उस अवस्था में कठोर सिंह कथाकुंज का राजा नहीं होगा ।''

''निस्संदेह इसका यह मतलब भी होता है ।'' प्रकाश बोला । ''तो फिर क्या कठोर सिंह हमारे इस निर्णय को स्वीकार कर लेगा ?''

प्रकाश ने कहा, ''नहीं ।''

''...और अगर उसने आसपास के तमाम बस्ती वालों के साथ हम पर आक्रमण कर दिया तो हमारा क्या होगा ?''

''लेकिन दूसरी बस्ती के लोग उसका सहयोग क्यों करेंगे ? उसने उन्हें भी गुलाम बना रखा है ।''

निश्चय ने कहा, ''तुम्हारी बात सही है । गुलामों को चाहिए कि वे ग़लामों का साथ दें, लेकिन होता ये नहीं है । गुलाम सदैव दूसरे गुलामों के विरुद्ध अपने स्वामी का साथ देते हैं ।''

प्रकाश ने पूछा, ''प्रधान जी...आपने दुनिया देखी है । आप बताएं वे ऐसा क्यों करते हैं ?''

वे ऐसा ख़ुद को आज्ञाकारी सिद्ध करने के लिए करते हैं या डर से करते हैं ?''

''लेकिन उनका डर कौन ख़त्म करेगा ? जो खुद ही डरा हुआ हो वह ? या वह जो निडर हो ?'' प्रकाश ने सवाल किया । निश्चय ने कहा, ''जो निडर हो ।''

''तो हमें निडर बनना होगा ।''

निश्चय बोले, ''तुम तो पहले से निडर हो प्रकाश । ये कहो कि तुम्हें निडर बनाना होगा । अगर दूसरी बस्तियों के लोग कठोर सिंह के साथ न भी आये, तब भी राजगढ़ के लोग हमारी ईंट से ईंट बजाने के लिए सक्षम हैं ।''

''लेकिन प्रधान जी, क्या कठोर सिंह राजगढ़ की जनता का शोषण नहीं करता ? उन पर अन्याय और अत्याचार नहीं करता ?

''करता है ।'' ''तब क्या उनके मन में भी कठोर सिंह के विरुद्ध आक्रोश नहीं है ।''

''लेकिन वे उनका अपना आदमी है ।''

''अन्याय तो अन्याय होता है । चाहे वह अपने आदमी के द्वारा हो या पराये व्यक्ति के द्वारा । बल्कि अपने का अत्याचार अधिक खलता है ।''

''तुम्हारी बात तो सही है लेकिन उसको छोड़कर वे तुम्हारा साथ कैसे दे सकते हैं ? तुम पराये हो और वह उनका अपना आदमी है ।''

''आप ठीक कहते हैं । हम यह नहीं चाहते कि वे हमारा साथ दें, हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं । हम तो केवल इतना चाहते हैं कि वे उसका साथ न दें । अगर ऐसा हो गया तो कठोर सिंह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा बल्कि जब वह यहां से पराजित होकर लौटेगा तो अपना सिंहासन भी ग़ायब पाएगा ।''

प्रकाश और निश्चय सिंह की बातचीत चल रही कि पंचायत के कुछ वरिष्ठ सदस्य धर्मेश पुरोहित के साथ आज्ञा लेकर निश्चय सिंह की सेवा में उपस्थित हुए और एकांत में कुछ कहने की आज्ञा मांगी ।

प्रकाश खड़ा हो गया लेकिन निश्चय सिंह ने कहा, ''प्रकाश बेटे बैठ जाओ...'' और पंचायत के लोगों की तरफ़ मुड़कर कहा, ''नि:संकोच होकर कहो तुम क्या कहना चाहते हो ?''

धर्मेश बोला, ''प्रधान जी...कठोर सिंह कथाकुंज के वासियों पर आग बगूला हो गया है और अपनी सेना के साथ हमारी ओर बढ़ रहा है । अब आप तुरन्त कुछ करें, नहीं तो प्रलय हो जाएगा ।''

निश्चय सिंह ने कहा, ''जाओ....मंदिर के ढिंढ़ोरची से घोषणा करवा दो कि हम मुक़ाबला करेंगे और प्रकाश सिंह सूर्यवंशी हमारा सेनापति होगा ।''

''सेनापति नहीं, बल्कि हमारा राजा...राजा प्रकाश सिंह सूर्यवंशी ।''

सौन्दर्य-प्रसाधनों के इस्तेमाल के कुप्रभाव

■ विद्या प्रकाश

आज क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पालिश वग़ैरह के रूप में जिन चीज़ों का उत्पादन, विपणन और विक्रय किया जा रहा है, कृत्रिम और अप्राकृतिक होने की वजह से उनका मानव-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल और हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है । यह भी एक तथ्य है कि महिलाओं में रोगों के प्रसार के मूल में सौन्दर्य प्रसाधन आजकल विशेष भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं । इन कृत्रिम सौन्दर्य-प्रसाधनों का चकाचौंध क्षणिक होता है और पसीना बहने के साथ ही इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा इनके लगातार इस्तेमाल से चेहरे पर छोटे-छोटे गड्ढे पड़ जाया करते हैं जो कुरूपता को निमंत्रण देते हैं ।

त्वचा को विकृत करने और चेहरे को बदसूरत बनाने के अतिरिक्त ये अनेक प्रकार की बीमारियों को भी जन्म देते हैं । जैसे पाउडर का प्रयोग पसीना सोखता है तथा चेहरे की मुरझाहट को कुछ हद तक छिपाता है किन्तु इसका अधिकाधिक प्रयोग मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है । इसके कण त्वचा के रोम-छिद्रों पर जम जाया करते हैं जिसके फलस्वरूप अन्दर का मैल पसीने की शक्ल में बाहर नहीं निकल पाता जिससे शरीर की अन्दरूनी गन्दगी भीतर ही भीतर शरीर में फैलकर अनेक प्रकार के चर्म रोगों को उत्पन्न करती है । रोमछिद्रों में फंसे पाउडर कण अथवा पसीने के सम्पर्क में आकर फूल जाते हैं जिससे रोमछिद्र भी फैल जाया करते हैं और इस तरह त्वचा रुखी तथा खुरदुरी हो जाती है जो देखने में भद्दी लगती है ।

क्रीम का प्रयोग भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और ख़तरनाक सिद्ध हो रहा है । क्रीम के लगातार प्रयोग से त्वचा के छिद्र बन्द हो जाते हैं जिससे पसीना बाहर नहीं निकल पाता तथा त्वचा में विद्यमान तेल ग्रंथियों से निकलने वाला तरल चिकना पदार्थ बाहर आ जाता है जिसके चलते त्वचा की प्राकृतिक चमक धीरे-धीरे लुप्त होने लगती है । इसी प्रकार आजकल बहुतायत से प्रचलित सुगंधित साबुनों के अत्यधिक प्रयोग के फलस्वरूप हमारी त्वचा सूखी हो जाती है और वह ख़राब होने लगती है । इससे एक्जिमा जैसे चर्म रोगों के हो जाने की आशंका बनी रहती है ।

माथे पर एक ही स्थान पर बार-बार बिन्दी लगाने से उसका रंग समाप्त हो जाता है तथा खुजली रोग के होने का अन्देशा बढ़ जाया करता है । बिन्दी की गोंद में पैराशियरी व्यूटिल का फैलाव 80 प्रतिशत तक होने की स्थिति में त्वचा के कैंसर का रोग होने का ख़तरा रहता है ।

आजकल समाज में महिलाओं में नेल पॉलिश के इस्तेमाल का आम फ़ैशन है । नेल पॉलिश का लगातार तथा अत्यधिक इस्तेमाल नाख़ूनों में पीलापन ला देता है । इतना ही नहीं, भोजन करते समय उसके साथ हानिकारक तत्व पेट के आन्तरिक हिस्सों में पहुंचकर शरीर को क्षति पहुंचाते हैं जिससे मानव रुग्ण हो जाता है । इसी प्रकार बालों को रंगने का फ़ैशन भी आजकल ख़ूब ज़ोरों पर है । अधेड़ावस्था में जब सिर के बाल पकने आरंभ हो जाते हैं और वे सफ़ेद होने लगते हैं तो अधिकांश व्यक्ति हेयर डाई का प्रयोग करने लगते हैं । इनका प्रयोग भी स्वास्थ्य के लिए घातक और हानिकारक साबित हुआ है । इनके अत्यधिक प्रयोग से एक ओर सिरदर्द की शिकायत पैदा होती है तो दूसरी ओर सिर के बाल असमय झड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि वे सिर के बालों को जड़ से कमज़ोर कर देते हैं । कभी-कभी हेयर डाई के रिएक्शन करने से त्वचा में जलन के साथ चकत्ते भी निकल आते हैं । हेयर डाई के इस्तेमाल को दमा के रोगियों के लिए हानिकारक बताया गया है ।

लिपस्टिक ओठों पर बुरा और ख़तरनाक प्रभाव डालते हैं । इसी प्रकार सिन्दूर, काजल, आई लाइनर वग़ैरह त्वचा पर बुरा प्रभाव डालती हैं । यह तो स्टेंडर्ड कंपनियों की बात है । विदेशी कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित सौंदर्य प्रसाधनों के अलावा आजकल हमारे देश में हर क़स्बे-शहर में जनरल स्टोरों पर महिलाओं के लिए शृंगार सामग्रियां बहुतायत से बिकती हैं । सौंदर्य प्रसाधन के नाम पर ऐसी हानिकारक वस्तुओं के इस्तेमाल के मामले में हमें सावधानी बरतनी चाहिए ।

हानिकारक है फास्ट फूड का सेवन

● उषा जैन 'शीरी'

आज देश के महानगरों में फास्ट फूड के न जाने कितने पार्लर कुकुरमुत्तों की भांति फैलते जा रहे हैं और महानगर ही क्यों छोटे-छोटे शहरों में भी इनका चलन धड़ल्ले से होने लगा है ।

फास्ट फूड खाना न केवल आज के समय में एक फैशन बन गया है बल्कि यह स्वयं को दूसरों के सामने आधुनिक जताने का भी एक ज़रिया बना हुआ है । निस्संदेह यह ज़ायकेदार तो होता है और मिनटों में तैयार भी कर लिया जाता है लेकिन इसकी गुणवत्ता पर उंगली उठायी जाने लगी है ।

जैसे-जैसे अब लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं, वे हर खाद्य पदार्थ के नॉरीशिंग वैल्यू, कैलोरीज आदि भी जान लेने में सजगता दिखाने लगे हैं । खाद्य विशेषज्ञों का मानना है कि फास्ट फूड को खाते रहने से अल्सर होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है । फास्ट फूड के नियमित सेवन से पहले स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है जिससे एसिडिटी होने लगती है और यही एसिडिटी बाद में अल्सर का कारण बन जाती है ।

खाना सभी जानते हैं । अगर भोजन आराम से खाया जाए, तभी वह सुपाच्य होता है । सूप चाऊमीन, जिन्हें लोग इतना गर्मागर्म खा लेते हैं कि उससे पाचन शक्ति पर बुरा असर पड़ता है । इसके अलावा तेज़ मसालों का प्रयोग होने की वजह से इसे पाचक लार पूरी तरह से घुला नहीं पाती । नतीजतन इससे पेट की बीमारियां होने लगती हैं ।

बिक्री को दृष्टि में रखते हुए ये पार्लर प्राय: शहरों के मध्य ऐसे स्थानों पर खोले जाते हैं, जहां चहल-पहल बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे स्थानों पर वाहनों का प्रदूषण भी ज़्यादा होता है । खुले भोजन पर प्रदूषण का असर विषैले तत्वों को जन्म देता है । हम जिस 'फूड एडल्टरेशन' यानी मिलावट की बात करते हैं, यह भी उसी का एक उदाहरण है । फूड एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे उच्च रक्तचाप के मरीज़ों को रोग बढ़ाने की संभावना तो रहती ही है । दिल के मरीज़ों को तो ख़ासतौर से इससे बचना चाहिए ।

18 वर्षीय मुनि फास्ट फूड का इतना शौक़ीन था कि वह घर का खाना छोड़कर रोज़ चाऊमीन खाने सामने के फास्ट फूड पार्लर में पहुंच जाता । एक दिन उसके पेट में ज़ोर का दर्द उठा । जांच करने पर पता चला कि उसकी आंतों में मैदा चिपक गयी थी ।

देखा जाए तो जीवन जीने के लिए ही भोजन आवश्यक है, भोजन के लिए जीवन नहीं । लेकिन इसके अलावा यह भी सही है कि स्वाद के आनंद और महत्ता को भी नकारा नहीं जा सकता । सभी स्वादिष्ट चीज़ें 'जंक फूड' नहीं होती । कई चीज़ों में स्वाद के साथ-साथ नॉरिशिंग वैल्यू (गुणवत्ता) भी होती है जिनका सेवन बेहिचक किया जा सकता है ।

कामकाजी महिलाएं चूंकि घर बाहर की ज़िम्मेदारी से थकान महसूस कर कई बार खाना पकाने के मूड में नहीं होतीं, इसलिए ऐसी ही कुछ महिलाएं भी परिवार सहित इन पार्लरों की शोभा बढ़ाती हैं । 'डबल इन्कम' के कारण इनके ऊंचे दाम भी वे आसानी से वहन कर लेती हैं । बच्चे, टीन एजर्स, युवक-युवतियां सभी तो आज फास्ट फूड के दीवाने हो गये हैं ।

टेलीविज़न से होने वाली हानियों के बावजूद जिस प्रकार हमें उसकी लोकप्रियता के कारण उसे स्वीकारना पड़ा है, वैसे ही फास्ट फूड को भी जनजीवन से ख़ारिज नहीं किया जा सकता । बस देखना यह है कि फास्ट फूड का सेवन एक आदत बनकर न रह जाए, क्योंकि एडिक्शन तो हर चीज़ का बुरा होता ही है न !

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से मुद्रित ।
फोन: 09818799223, 011-26949430
संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबंधित है ।



قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

कह दो :

"ऐ इन्कार करने वालो!
मैं वैसी बन्दगी नहीं करूंगा
जैसी बन्दगी तुम करते हो,
और न तुम वैसी बन्दगी करने वाले हो
जैसी बन्दगी मैं करता हूं।
और न मैं वैसी बन्दगी करने वाला हूं
जैसी बन्दगी तुमने की है।
और न तुम वैसी बन्दगी करने वाले हुए
जैसी बन्दगी मैं करता हूं।
तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है
और मेरे लिए मेरा धर्म!"

(क़ुरआन)

A WELL WISHER
MUMBAI

Posted on 20-21 October 2013
November 2013
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.10.2013

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2012-2014
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2012-14





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

कहो : "वह अल्लाह यकता है, अल्लाह निरपेक्ष (और सर्वाधार) है, न वह जनिता है और न जन्य, और न कोई उसका समकक्ष है।"

(कुरआन)

A WELL WISHER
MUMBAI